राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 23 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए।

-चाणक्य

सिर्फ हंगामा, काम नहीं

मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर बार किसी न किसी बात को लेकर हंगामा शुरू होता है, और फिर पूरे सत्र थमता ही नहीं। विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है उस पर सत्ता पक्ष सहमत नहीं होता और हंगामा बढ़ता ही जाता है। यही मानसून सत्र के साथ भी हुआ। मानसून सत्र बिना खास कामकाज के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग सरकार ने अनसुना कर दी। फलस्वरूप लोक सभा की उत्पादकता महज 31 फीसद और राज्य सभा की 39 फीसद रही। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गतिरोध का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। इसी प्रकार राज्य सभा में उपसभापति हरिवंश ने भी सत्र के दौरान लगातार बने रहे गतिरोध पर निराशा जताई। इससे न केवल बहुमूल्य संसदीय समय की हानि हुई, बल्कि लोक महत्त्व के कई मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो सकी। लोक सभा में केवल 37 घंटे और राज्य सभा में मात्र 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। हल्ले-गुल्ले में सरकार ने 15 विधेयक जरूर पारित करा लिए।

संविधान का (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किया गया जिस पर विपक्ष को ढेरों आपत्तियां हैं। दो अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक 'संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' भी पेश किए गए। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान है। भारी हंगामे के बाद सरकार तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने पर सहमत हो गई। सत्र के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा हुई। पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाली घटना में सत्र के पहले ही दिन राज्य सभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। सरकार और विपक्ष में तलवारें इस हद तक खिंची हैं कि सत्र स्थगित होने के बाद लोक सभा अध्यक्ष के कमरे में होने वाली अनौपचारिक मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कुछ मंत्री तो पहुंचे किंतु दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य कोई प्रमुख विपक्षी नेता पहुंचा ही नहीं। सवाल उठता है कि जब काम नहीं तो वेतन नहीं नियम यहां क्यों लागू नहीं होता।

विवाह की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकता कि जब तक हमारा वैवाहिक संबंध है, मैं दूसरे जीवन साथी से स्वतंत्र रहना चाहता/चाहती हूं। मामले में अलग रह रहे दंपति को कहा, हर पति-पत्नी का आपस में कोई न कोई विवाद होता रहता है। दंपति के दो बच्चे भी हैं। पीठ ने कहा, हमें खुशी होगी अगर दंपति साथ आ जाता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। उन्हें टूटा हुआ घर देखने को न मिले। महिला का दावा है कि उसका पति सिंगापुर में रह रहा है, और मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। पति की कुछ हरकतों के कारण उसका वहां रहना मुश्किल है। महिला की इस दलील पर कि वह पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती, अदालत ने कहा कोई पत्नी पति से यह नहीं कह सकती क्योंकि भावनात्मक रूप से पति पर निर्भर होती है पत्नी। बेशक, पति-पत्नी के बीच विवाद की गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता परंतु दांपत्य में दोनों का बराबरी का संबंध होता है। जब महिलाएं साक्षर नहीं थीं, उनकी स्थिति बनिस्बत खराब थी। परिवार/समाज उनके साथ निराश्रितों की तरह बर्ताव करता था। तब उनकी मजबूरी थी कि पति पर निर्भर रहें। मगर अब व्यावहारिक तौर पर स्वीकरना होगा कि दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। विवाह में निजी स्वतंत्रता बमुश्किल मिलती है। यह सामंजस्य का बंधन है जिससे संपूर्ण कुनबा बंधा होता है।

खासकर अपने समाज में आज भी शादी सामाजिक/पारिवारिक निर्णय है। उस पर जब दंपति के बच्चे भी हों तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तमाम झगड़ों-झंझटों के बावजूद अभी भी अपने यहां बुरी से बुरी शादियां ताउम्र चल जाती हैं। सवाल सिर्फ दांपत्य तक सीमित नहीं है, हर रिश्ते में तारतम्यता की आवश्यकता होती है। सारी दुनिया में यूं भी अकेलेपन की समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। बेहतर जीवन गुजारने और दांपत्य की दरारों को मिटाने के प्रयास दोनों तरफ से होने जरूरी हैं। खासकर बच्चेदार पालकों को उनके मुस्तकबिल का ख्याल कर बीच का रास्ता निकालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बात सिर्फ गुजारा भत्ता या बच्चों के भरण-पोषण तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक समस्या है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से विमर्श करके निपटाया जा सकता है। कदम दोनों को बढ़ाना होगा, छद्म अहंकार हमेशा परिवार तोड़ने वाला ही होता है।

कटाक्ष/ कबीरदास

मास्टर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक

मोदी जी का सही है। अगले का हरेक स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक होता है। बताइए, चार-चार रेट वाली जीएसटी जब लागू की थी, मास्टर स्ट्रोक थी कि नहीं? 28 फीसद वाली भी और 18 फीसद वाली भी। 6 फीसद वाली जीएसटी भी और 12 फीसद वाली भी। अब घटा कर, रेट चार की जगह दो कर रहे हैं, सबसे ऊपर का रेट 28 से घटा कर 18 फीसद, तो यह भी मास्टर स्ट्रोक है। देशवासियों के लिए दीवाली गिफ्ट वाला मास्टर स्ट्रोक, लाल किले से ऐलान करने वाला मास्टर स्ट्रोक। बिहार चुनाव में काम आने वाला मास्टर स्ट्रोक। बीमा पर जीएसटी लगाई, तब भी मास्टर स्ट्रोक। सुना है कि अब हटा रहे हैं, अब भी मास्टर स्ट्रोक। और यह तो मोदी जी का स्टाइल ही है, शुरू से ही। इस बार लाल किले से डेमोग्राफी की चिंता जताई, बेशक मास्टर स्ट्रोक। हिन्दुओं की बहुसंख्यकता खतरे में बताई, मास्टर स्ट्रोक। जमीन से लेकर, बहन-बेटियों तक और रोटी-रोजगार से लेकर संस्कार तक, हर चीज खतरे में दिखाई, मास्टर स्ट्रोक। और उन्हीं मोदी जी ने गद्दी संभालते ही, 2014 में उसी लाल किले से सांप्रदायिकता और जातिवाद पर चिंता जताई थी, बेशक मास्टर स्ट्रोक। देश को राह दिखाई कि दस साल के लिए संप्रदाय और जाति के सवालों को उठा कर रख देना चाहिए, मास्टर स्ट्रोक। पर दस साल संप्रदाय और जाति के सवालों को न किसी ने उठाकर रखा और न उनके भक्तों ने रखने दिया, एक और मास्टर स्ट्रोक। अब दस साल बाद, ब्याज समेत सांप्रदायिकता और जाति के सवालों को बढ़ाने का संकल्प, एक और मास्टर स्ट्रोक। ऐसी वाशिंग मशीन बनाई, जो ग्यारह साल से चल रही है। दागदार हिमंत बिस्व सर्मा इसके अंदर, वेदाग बाहर। कालिख पुता अजीत पवार मशीन के अंदर, साफ-शफ्फाक बाहर। मास्टर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक। सीबीआई, ईडी, आईटी, सब दागदारों को घेर-घेर कर लाएं, वाशिंग मशीन में दूध सा सफेद बनाएं, मास्टर स्ट्रोक। और जो धुल कर सफेद होने में ज्यादा ही नखरा दिखाएं, सुधारगृह में रगड़-रगड़ के दाग मिटाएं, यह भी मास्टर स्ट्रोक। इसके बाद भी किसी कोने-कुचारे में अस्वच्छता रह गई हो तो बागी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को महीने जेल में रखने के बाद, उनके खुद ब खुद बर्खास्त हो जाने की एकदम नई मशीन हाजिर है-एक और मास्टर स्ट्रोक।

निरंकुशता का अंदेशा

नये विधेयक

अनिल जैन

भारत में 100 साल से भी पहले 18 मार्च, 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने एक बेहद खतरनाक दमनकारी 'कानून अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम' पारित किया था, जो रॉलेट एक्ट के नाम से कुख्यात हुआ। इसका मकसद देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना था। इस कानून के तहत भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे दो साल तक जेल में रखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत को था। यह रॉलेट एक्ट ही था, जिसके खिलाफ आंदोलन ने महात्मा गांधी को स्वाधीनता संग्राम की मुख्यधारा में लाकर भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग का सूत्रपात किया। उस आंदोलन के चलते ही 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ था। हालांकि कड़े विरोध के चलते यह कानून कभी भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका और अंततः 1922 में इसे निरस्त करना पड़ा।

अब कुछ-कुछ उसी रॉलेट एक्ट की तर्ज पर केंद्र सरकार ने नैतिकता और सुशासन की दुहाई देते हुए अपना एक नया कानून प्रस्तावित किया है। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को आनन-फानन में तीन विधेयक संसद में पेश किए जिनके कानून बनने के बाद गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हो जाएगा। हालांकि प्रस्तावित कानून के दायरे में प्रधानमंत्री को रखने का कोई मतलब नहीं है। यह प्रावधान एक हास्यास्पद पाखंड है, क्योंकि असंभव है कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री किसी मामले में गिरफ्तार हो जाएं। यह सब जानते हैं। बहरहाल, आज देश में अगर धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है, और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से काम करती हैं, तो प्रस्तावित कानून को स्वस्थ पहल माना जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आज धारणाएं उसके उलट हैं। जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है, वह यह है कि कानून प्रवर्तक एजेंसियां राजनेताओं और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देख कर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रस्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और आम लोगों में भी आशंका पैदा होना लाजिमी है। चूंकि इस प्रस्तावित कानून पर केंद्र ने विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया है, और संसद का सत्र समाप्त होने से महज एक दिन पहले गृह मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर ये विधेयक पेश किए, लिहाजा सरकार की नीयत पर सवालों का उठना और प्रस्तावित कानून को नैतिकता और सुशासन के आवरण में सत्ता के

केंद्रीकरण की खूंखार कोशिश के रूप में देखा जाना और इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से किया जाना लाजिमी है। नियमानुसार सदन में कोई भी विधेयक पेश होता है तो सदस्यों को उसकी प्रति 24 घंटे पहले उपलब्ध करानी होती है, ताकि वे विधेयक पर चर्चा के लिए तैयारी करके सदन में आएं। लेकिन ये विधेयक पेश हुए 20 अगस्त को सुबह और इन विधेयकों की प्रतियां सांसदों के पास भेजी गईं 19 अगस्त की देर शाम। इसीलिए शक है कि इन विधेयकों पर कैबिनेट की बैठक में भी विधिवत चर्चा नहीं हुई।

लोक सभा सचिवालय को भी इन विधेयकों के बारे में गृह मंत्रालय की ओर से 19 जनवरी की शाम को सूचित किया गया और इन्हें पेश करने के लिए विशेष अनुमति मांगी गई, जो कि मिलनी ही थी। विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध और नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयक पहले लोक सभा में और सत्र के आखिरी दिन राज्य सभा में पेश किए। बाद में एक प्रस्ताव के जरिए इन्हें संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया जो इनकी समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। हालांकि इस सबके बाद भी इन विधेयकों का पारित होना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें संसद में दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा जो मौजूदा स्थिति में मुश्किल है।

मोदी सरकार अभी सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी है और लगता नहीं कि सहयोगी दल खासकर तेलुगू देशम और जनता दल (यू) इन विधेयकों का समर्थन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कोई काम करेंगे क्योंकि ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए तलवार बनेंगे, बल्कि भाजपा के लिए अपने सहयोगी दलों को भी ब्लैकमेल करने का हथियार बन जाएंगे। फिर भी अगर किसी तरह सरकार संसद में इन विधेयकों को पारित करा लेती है तो उसके लिए अगली बड़ी चुनौती होगी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में इन्हें पारित कराना जो सिरे से आसान नहीं लगता।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार इस समय चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने लंबे समय से नैरेटिव बना रखा था कि वह इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती लेकिन पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से उस नैरेटिव की कलई उतर चुकी है। पाकिस्तान पर बढ़त बना रही भारतीय सेना को उसने न सिर्फ अमेरिकी दबाव में सीजफायर करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इस सिलसिले में उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई समर्थन नहीं मिला, रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की ताकतवर देशों के साथ नजदीकी बढ़ गई, जो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी नाकामी है।

इधर, घरेलू राजनीति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवाने वाले प्रकरण ने तो उसको कमजोर किया ही, चुनावी गड़बड़ियों और बिहार में अचानक शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण चुनाव आयोग के विवादों में घिर जाने की वजह से भी उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनावी गड़बड़ियों के उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे विवादास्पद अभियान ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है, जो अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी फैलने की संभावना है। इसलिए लगता है कि इन्हीं सब बातों से लोगों का और खासकर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने इन तीन नये कानूनों को लाने की पहल की है, जिनका हश्र तीन कृषि कानूनों या ब्रिटिश हुकूमत के रॉलेट एक्ट जैसा ही होने की पूरी संभावना है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

चुनावी गड़बड़ियों के उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे अभियान ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है, जो अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों में फैलने की संभावना है। लगता है कि इसी सब से लोगों खासकर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने की गर्ज से सरकार ने तीन नये कानून लाने की पहल की जिनका हश्र तीन कृषि कानूनों या ब्रिटिश हुकूमत के रॉलेट एक्ट जैसा होने की संभावना है

धातकी के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक फायदे

- पाकृतिक औषधियों में शुमार पौधों में से एक पौधा है, 'धातकी', जिसे 'धवई' और 'बहुपुष्पिका' के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा भारत के लगभग हर राज्य में पाया जाता है। इस पौधे के फूल, फल, जड़ और छाल का इस्तेमाल अलग-अलग आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है, जो इसके बहुमुखी फायदों को दर्शाता है
- अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (एनआईएच) के मुताबिक, धातकी का नाम 'वुडफोर्डिया फ्रुटिकोसा' है। इसकी शाखाओं और पत्तियों पर काले बिंदु होते हैं, जो इसे अन्य पौधों से अलग पहचान दिलाता है। इसके फूल चमकीले लाल होते हैं, जबकि फल पतले और अंडाकार। इनमें भूरे रंग के छोटे बीज भरे होते हैं
- हालांकि, धातकी का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए (मीडिया इनपुट्स)

कैसा ये दुष्चक्र! गिरफ्तारी में किसी दिशा-निर्देश का पालन नहीं। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी। नये प्रस्तावित कानून में मुख्यमंत्री वगैरह की कुर्सी पर खतरा। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चुनावी मुकाबले में हराने की बजाय विपक्षी नेताओं को एजेंसियों से गिरफ्तार कराया जाए। और इस आधार पर उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। मजे की बात यह कि सत्ताधारी पार्टी के सीएम बेधड़क!

डॉ. अभिषेक संघवी, कांग्रेस नेता
@DrAMSinghvi

खोती मासूमियत, बढ़ती क्रूरता

बाल अपराध | **सोनम लववंशी**

अहमदाबाद के एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र द्वारा दसवीं के छात्र की हत्या और नरसिंहपुर में एक छात्र द्वारा अपनी शिक्षिका पर पेट्रोल डाल कर उन्हें आग के हवाले कर देना। दोनों घटनाएं अलग-थलग वारदात नहीं, बल्कि उस गहरे संकट की परछाई हैं, जो हमारी सामाजिक संरचना और परवरिश के तौर-तरीकों को चुनौती दे रहा है। बच्चे, जिनकी दुनिया खेलकूद, पढ़ाई और मासूमियत से भरी होनी चाहिए, आज हिंसा, हताशा और प्रतिशोध के घेरे में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह नहीं कि अपराधी कौन है, बल्कि यह है कि अपराध की जड़ें इतनी गहरा क्यों गई हैं।

यदि बीते आठ वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2014-22 के बीच बाल अपराधों में 81 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज की नींव कहीं न कहीं कमजोर हुई है। बाल अपराधों में सर्वाधिक हिस्सा यौन शोषण का है। बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों का अनुपात लगातार 36 फीसद के आसपास बना हुआ है अर्थात हर तीसरे अपराध में कोई न कोई बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार होता है। यह स्थिति केवल कानून-व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाती, बल्कि समाज की सामूहिक संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। ऐसे में अपराध ही नहीं, बच्चों का मानसिक संतुलन भी गहरे संकट में है।

एनसीआरबी की दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या संबंधी रिपोर्ट बताती है कि 2022 में लगभग तेरह हजार छात्रों ने आत्महत्या की। यह संख्या देश में हुई कुल आत्महत्याओं का लगभग सात फीसद है। सोचिए, केवल परीक्षा में असफल होने के कारण ग्यारह सौ से अधिक बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कुल मिला कर अठारह वर्ष से कम आयु के दस हजार से अधिक बच्चों ने 2022 में आत्महत्या का रास्ता चुना और इनमें लड़कियों की संख्या अधिक रही। यह आंकड़ा सिद्ध करता है कि बच्चे अपने ही घर और विद्यालय के दबावों से हार मान रहे हैं। वहीं नाबालिगों द्वारा किए जा रहे अपराध भी भयावह दिशा में बढ़े हैं। 2016 में किशोरों द्वारा अपराधों में हिंसक घटनाओं का अनुपात 32 फीसद था, जबकि 2022 तक यह बढ़ कर लगभग 50 फीसद हो गया अर्थात संख्या स्थिर रही, किंतु स्वरूप अधिक क्रूर और हिंसक हो गया।

दिल्ली सहित अनेक महानगरों में पिछले दो वर्षों में नाबालिगों को हत्या, लूटपाट और रेप जैसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं में प्रायः मोबाइल फोन, हथियार और इंटरनेट की आसान उपलब्धता बड़ी वजह के रूप में सामने आई। डिजिटल संसार भी बच्चों की सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुका है। 2022 में साइबर अपराधों में चौबीस फीसद की वृद्धि दर्ज की गई और इनमें अनेक मामलों में पीड़ित सीधे तौर पर बच्चे ही थे। अनियंत्रित तकनीकी पहुंच और आभासी दुनिया का मोह बच्चों को वास्तविक जीवन से काट कर असुरक्षित बना रहा है। ये सारे तथ्य बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक संवाद की विफलता का सम्मिलित परिणाम है। विद्यालयों में अब भी अनिवार्य परामर्शदाता व्यवस्था नहीं है। अध्यापक ज्ञान बांटने में सक्षम हैं परंतु बच्चों के भावनात्मक संघर्ष को समझने और संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं। परिवारों में संवाद का दायरा सीमित होता जा रहा है। अभिभावक बच्चों की चिंताओं और हताशाओं को सुनने की बजाय केवल अंक पत्र और करियर पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। समाज मानसिक स्वास्थ्य को विशेष वर्ग का विषय मानता है, जबकि यह हर बच्चे की मूलभूत आवश्यकता है।

अनेक देशों में विद्यालयों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा लागू की जा चुकी है। कला, खेल और संवाद पर आधारित पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किशोर अपराधों से निपटने के लिए 'पुनर्स्थापनात्मक न्याय' पद्धति अपनाई जा रही है, जिसमें अपराधी किशोर को कठोर दंड की बजाय पीड़ित और समाज के साथ संवाद की प्रक्रिया में शामिल कर सुधार की दिशा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि किशोर अपराध को केवल अपराध मान कर कठोर दंड देना समाधान नहीं है। समस्या बहुआयामी है, और इसका समाधान संवेदनशील परवरिश, संवाद और सामाजिक सहयोग से ही संभव है। कुल मिला कर देखें तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को हिंसा और निराशा से बचा पाएंगे? क्या हम उन्हें किताब, कला और संवाद की दुनिया में लौटा पाएंगे? क्या हम स्वीकार करेंगे कि शिक्षा अंकों और रोजगार का साधन ही नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और विवेक का संस्कार भी है? और क्या हम सच्चाई का सामना करेंगे कि बच्चों की हिंसा दरअसल, हमारी सामूहिक विफलता का आईना है?

(लेख में विचार निजी हैं)

आत्मा की पुकार | **संत राजिन्दर**

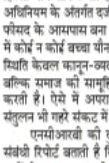

हमारे शरीर में मन के अलावा आत्मा भी निवास करती है। हम अपना जीवन जीते हुए शरीर और मन की जरूरतों की ओर ध्यान देते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा भी कुछ चाहती है? हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते उनसे बिछड़ चुकी है, और चाहती है कि वह हमेशा-हमेशा के लिए प्रभु में जाकर समा जाए। चौरासी लाख योनियों में मानव चोले में ही वह प्रभु से एकमेक हो सकती है, इसलिए वह चाहती है कि हम इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। जब हम अपनी आत्मा की यह करुण पुकार सुनते हैं, तब प्रभु हमें वह रास्ता दिखा देते हैं, जहां से कोई हमें प्रभु के निज धाम वापस ले जा सकता है। प्रभु हमें वक्त के संत-सतगुरु से मिला देते हैं जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में बताते हैं कि हम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं, जो परमात्मा का ही अंश है। फिर वे हमें ऐसी विधि सिखाते हैं, जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी स्वयं के असली स्वरूप को जान सकते हैं। संत-सतगुरु हमें हमारे असली स्वरूप को जानने और पिता-परमेश्वर से एकमेक होने के लिए ध्यान-अभ्यास की विधि सिखाते हैं। हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ध्यान-अभ्यास द्वारा अपने ध्यान को अंतर की दुनिया में लेकर जाएं? वे हमारा संपर्क प्रभु की 'ज्योति' और 'श्रुति' की धारा से कराते हैं, जिसे 'नाम' भी कहा गया है। चेतना की इस धारा के जरिए ही प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की। जब हम ध्यान-अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु की इस धारा के संपर्क में आती है, जिसके द्वारा हम पूर्ण संतुष्टि और आनंद महसूस करते हैं, और फिर जिसके सामने इस संसार के सभी भौतिक आनंद हमें फीके और क्षणभंगुर लगने लगते हैं। प्रभु की यह धारा हमें प्रभु से एकमेक कराती है, और उनसे उत्पन्न प्रेम की शक्ति का भी अनुभव कराती है। हम संसार की किसी भी अन्य वस्तु से वैसी संतुष्टि नहीं पाते जितनी हम ध्यान-अभ्यास के दौरान 'ज्योति' और 'श्रुति' के संपर्क में आ जाने से पाते हैं। हमारी आत्मा जब एक बार उस परमानंद को पा लेती है, तो उसे बार-बार पाना चाहती है, और उस अविरल धारा में अधिक से अधिक लीन रहना चाहती है। फिर हमारी आत्मा भौतिक दुनिया से परे दिव्य आंतरिक मंडलों में उड़ान भरती है।

रीडर्स मेल

मुकाबला दक्षिण बनाम दक्षिण

जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से उपराष्ट्रपति के रिक्त हुए पद के लिए चुनाव की घड़ी निकट आ गई है। राजग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है, जो तमिलनाडु से आते हैं। सरकार को तमिल अस्मिता के नाम पर तेलुगू देशम को भी अपने साथ रखने में आसानी होगी। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है। अब मुकाबला दक्षिण बनाम दक्षिण हो गया है। भाजपा ने प्रत्याशी चयन द्वारा दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का प्रयास किया है। तमिलनाडु में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव है, एवं वर्तमान राज्य सरकार लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आकड़ों को देखते हुए सत्ता पक्ष को इस चुनाव में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव के उपरांत नये उपराष्ट्रपति को विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने की कड़ी चुनौती होगी।

हिमांशु शेखर, गयाजी

संघ के पंच महाप्रण

जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, तब से देश के लोगों के मन-मस्तिष्क में धीमे-धीमे ही सही स्वदेशी अपनाने का विचार आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देश के लोगों से स्वदेशी और केवल भारत में बने उत्पादों का ही इस्तेमाल करने का आह्वान किया है, जो कार्य आज हमें समय की जरूरत लग रहा है। हमारे देश के विचार के मूल में तो वह पहले से ही है। गांधी जी ने सदैव स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं भी उपयोग किया और देशवासियों से भी स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। कोई बड़ा आयोजन अपने शताब्दी वर्ष पर न करके संघ समाज में परिवर्तन के लिए व्यापक अभियान 'पंच परिवर्तन' के नाम से पूरी ऊर्जा के साथ लेकर जा रहा है, जिसमें नागरिक कर्त्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, सामाजिक समरसता और स्वदेशी, ये पंच महाप्रण स्वयंसेवकों ने लिए हैं। स्वयंसेवक इस व्यापक पंच परिवर्तन अभियान को चलाएंगे जिसमें स्वदेशी बहुत ही प्रासंगिक होने वाला है क्योंकि देश में माहौल भी कुछ इसी प्रकार का है।

चंद्रकांत कुआंखेड़ा, सहारनपुर, उप्र

ऑनलाइन गेम्स पर लगाम

विगत काफी समय से ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस कर हर वर्ष सैकड़ों लोग खुदकुशी कर जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर हजारों करोड़ों रुपयों को भी बर्बाद कर देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियमन बिल, 2025 पेश करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य मोबाइल एप्स के जरिए बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम कसना है। यह सही और सराहनीय पहल है। ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी का कारगर कदम कई लोगों को जीवनदान देगा और उन्हें भटकाव से भी बचाएगा। निश्चित ही इससे युवाओं, बच्चों तथा अन्य लोगों को इस लत से मुक्ति मिलेगी। क्या सरकार के साथ माता-पिता और परिजनों को भी संज्ञान में आएगा कि वो अपने बच्चों को इस लत से दूर रखें।

योगेश जोशी, बड़वाह, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-35, अंक 0

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, [illegible] 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। [illegible] संपादक - [illegible]
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR/GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 23 अगस्त 2025

दुरुस्त आए

SC ने स्ट्रे डॉग्स पर सभी पक्षों की सुनी

सुप्रीम कोर्ट ने stray dogs (आवारा कुत्तों) पर अपने ताजा आदेश में विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा है। फैसला इस मायने में संतुलित है कि इसमें सभी पक्षों के बीच सामंजस्य बनाते हुए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई है।

नियमों के अनुरूप । शीर्ष अदालत ने इस बार व्यवहारिकता पर ज्यादा जोर दिया है, जबकि 11 अगस्त के फैसले में इसकी साफ कमी दिख रही थी। कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए MCD को आदेश दिया कि सभी स्ट्रे डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ दिया जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

व्यावहारिकता पर जोर

राष्ट्रीय नीति । स्ट्रे डॉग्स की समस्या केवल दिल्ली या किसी खास इलाके तक सीमित नहीं है। देश के लगभग हर हिस्से में आवारा पशुओं और उनमें भी कुत्तों की बढ़ती आबादी को लेकर समय-समय पर चिंता जाहिर की जाती रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय नजरिये से मदद मिलेगी। यह बेहतर है कि अलग-अलग अदालतों के बजाय स्ट्रे डॉग्स से जुड़ी सारी याचिकाएं एक जगह सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएं।

टकराव न बढ़े । अदालत ने इसका पूरा ध्यान रखा है कि फैसले का अनुपालन करने में कोई समस्या न आए, लेकिन कुछ पॉइंट हैं, जहां परेशानी हो सकती है। आदेश के मुताबिक, स्ट्रे डॉग्स को सार्वजनिक रूप से खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। फीडिंग जोन बनाने के लिए कहा गया है। हालांकि इससे डॉग लवर्स और उनका विरोध करने वालों के बीच तनाव देखने को मिल सकता है। देश की लगभग हर सोसायटी, कॉलोनी, गांव में ऐसे लोग होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हैं। नया टकराव पैदा किए बिना इन्हें कैसे रोका जाएगा, यह देखना होगा।

निगरानी और सख्ती । सुप्रीम कोर्ट ने आक्रामक और रेबीज वाले स्ट्रे डॉग्स को नहीं छोड़ने के लिए कहा है। रेबीज का पता लगाया जा सकता है, लेकिन आक्रामकता की परिभाषा क्या होगी? जब किसी स्ट्रे डॉग को पकड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर उस वक्त उसका व्यवहार आक्रामक होगा। अब तक का अनुभव यही कहता है कि संबंधित एजेंसियों और संस्थाओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश हों ताकि उनके लिए कोई बहानेबाजी न बचे। यह मुद्दा इतना गंभीर हुआ ही इसलिए, क्योंकि इस पर लगातार लापरवाही बरती गई। अब ज्यादा सख्ती और कड़ी निगरानी की जरूरत है।

दो दूनी चार

छत पर छतरी

रमेश तिवारी

इस साल जोरदार बारिश से कई शहर जलमग्न हो गए। कई राज्यों में बाढ़ आई। भूस्खलन ने भी कहर बरपाया। इन प्राकृतिक आपदाओं ने हजारों घर तबाह कर दिए हैं। कई बार छोटी आपदाएं भी बड़ा नुकसान कर जाती हैं। मामूली जलभराव में भी घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम खराब हो सकते हैं। हाल के वाकये बताते हैं कि होम इंश्योरेंस वक्त की जरूरत है, इस बात को लोग समझें। इसके जरिये न सिर्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा मिलती है, बल्कि उसके अंदर रखे सामान की भी।

जिस तरह से लोग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसके मुकाबले हमारे देश में होम इंश्योरेंस की पूछ अब भी कम है। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत दुनिया के कई देशों से काफी आगे है। असल में, आपदाएं हमारे चारों ओर लगातार घटित होती रहती हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि यह उनके साथ नहीं घटित होगी, इसलिए वे बीमा कवर नहीं खरीदते। कुछ लोग इसे एक एक्स्ट्रा खर्च मानते हैं और सोचते हैं कि यह उनके बजट में नहीं आएगा। लेकिन होम इंश्योरेंस का प्रीमियम दूसरे बीमा के मुकाबले बेहद कम है। मान लीजिए कि एक घर और उसके अंदर रखे सामान के लिए 50 लाख रुपये का बीमा लेना है। यह कवर केवल 1,500–2,000 रुपये सालाना में खरीदा जा सकता है।

बड़ी संख्या में लोग बीमा से तुरंत रिटर्न मिलने की उम्मीद करते हैं, जबकि यह एक सुरक्षा योजना है। इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि होम इंश्योरेंस के बारे में जानकारी का अभाव है। सिर्फ एक फीसदी लोगों ने इसे अपनाया है। खुद बीमा इंडस्ट्री भी बहुत साख नहीं कायम कर पाई है। लोगों को लगता है कि क्लेम मिलने में कठिनाई होगी। भरोसा न होने के कारण भी लोग इंश्योरेंस कराने से कतराते हैं। खरीद की प्रक्रिया जटिल होने के कारण भी लोग इसे टाल देते हैं।

होम इंश्योरेंस की अलग-अलग पॉलिसियों में तरह-तरह के फीचर देखने को मिल सकते हैं। इतने विकल्प कि आम आदमी भ्रमित हो जाए। इस भ्रम को दूर करने का इंतजाम भी बीमा रेगुलेटर इरडा ने कर दिया है। उसके निर्देशों के बाद 2021 में एक स्टैंडर्ड पॉलिसी शुरू की गई, भारत गृह रक्षा पॉलिसी। सभी कंपनियों में इस स्कीम के फीचर एक जैसे होंगे। फिर भी पॉलिसी खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये कौन सी आपदाओं को कवर करती है। आजकल, होम इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदारों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे कि महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या जूलरी के लिए विशेष कवरेज लिया जा सकता है। बीमा कंपनियां अब डिजिटल प्लैटफॉर्म के जरिये पॉलिसी खरीदने और मैनेज करने की सुविधा दे रही हैं। लेकिन सलाहकार की जरूरत तब भी होती है। बीमा के मामले में कई लोग उम्मीद करते हैं कि ये सरकार को मुफ्त मुहैया कराना चाहिए। लेकिन जब तक सरकार ये न करे, खुद से विकल्प तलाशे जा सकते हैं।

ऑफ़ दि ट्रैक

सुनहरे बालों जैसे कपड़े

दिलीप लाल

ग्रीक की पौराणिक कथाओं में गोल्डन फ्लीस यानी सुनहरे बालों जैसे कपड़ों का जिक्र मिलता है। उसी से जुड़ा था सी सिल्क नाम का अनोखा कपड़ा, जो लगभग विलुप्त हो चुका था। ब्रिटेन और भूमध्यसागर में पाई जाने वाली एक विशेष शेलफिश (क्लैम) से यह कपड़ा बनाया जाता था। यह शेलफिश आज कई देशों में भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। इससे निकलने वाले महीन रेशों को पहले कचरा समझकर फेंक दिया जाता था। लेकिन दक्षिण कोरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी के शोधकर्ताओं ने इन्हीं रेशों से फिर से कपड़ा तैयार करने में सफलता पाई है। सी सिल्क के रेशे बच्चों के बालों जितने महीन होते हैं। इन धागों को समुद्री पानी से धोकर चमकाया जाता है और चरखियों पर काता जाता है। नींबू के रस से धुलने पर रेशों से आयरन आयन निकल जाते हैं और इनका असली सुनहरा रंग निखर उठता है। इस चमक का रहस्य फोटोनिन नामक गोलाकार प्रोटीन में छिपा है। यह प्रोटीन कपड़े को अनूठा सुनहरा रंग देता है। यह खोज न केवल सदियों पुरानी सी सिल्क परंपरा को पुनर्जीवित कर सकती है, बल्कि वस्त्र और कॉस्मेटिक उद्योग में पर्यावरण-अनुकूल सुनहरे पिगमेंट्स का रास्ता खोल सकती है।

लौहपुरुष के बड़े भाई पहली केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर थे

सरदार से पहले के सरदार

विजेंद्र गुप्ता

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास सड़कों पर हुए जन-आंदोलनों, क्रांतिकारी घटनाओं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए जन-नायकों की गाथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन संस्थागत प्रयासों का भी दस्तावेज है जिनके माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी गई। इस इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, जिसने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि उस समय की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था के संचालन की गरिमा और आदर्श स्थापित किए। वह नाम है विट्ठलभाई झावेरीभाई पटेल।

प्रेरणादायी शख्सियत । वह भारत की पहली निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने और उन्होंने अपनी कार्यशैली, निष्पक्षता और दूरदर्शिता से भारतीय संसदीय परंपरा को ऐसा आकार दिया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। 27 सितंबर 1873 को गुजरात के आनंद जिले के करमसद नगर में जनमे विट्ठलभाई पटेल एक साधारण कृषक परिवार से थे। विट्ठलभाई के छोटे भाई सरदार वल्लभभाई पटेल आगे चलकर भारत के लौहपुरुष के रूप में विख्यात हुए, लेकिन विट्ठलभाई का व्यक्तित्व और योगदान अपने आप में अद्वितीय और स्वतंत्र महत्व रखता है।

लंदन से बार-एट-लॉ । युवावस्था में ही उन्हें कानून के अध्ययन में गहरी रुचि हो गई। इसी उत्साह ने उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित मिडल टेंपल से 'बार-एट-लॉ' की डिग्री प्राप्त की। भारत लौटकर विट्ठलभाई पटेल ने बंबई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। लेकिन विट्ठलभाई का मन केवल पेशेवर सफलता तक सीमित नहीं रहा।

कैसे बदली सोच । 1910 में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई, जब वे बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। 1910 और 1920 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक काल था। विट्ठलभाई पटेल प्रारंभ में उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक रहे, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं ने उनके दृष्टिकोण को अधिक उग्र और राष्ट्रीय आंदोलन के निकट बना दिया।

वैधानिक तरीकों से विरोध । 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का दामन थामा। यह पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का वैधानिक मंचों पर विरोध करने के लिए बनी थी। स्वराज पार्टी की नीति यह थी कि विधान परिषदों में जाकर अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक कार्यों को बाधित करेंगे, सवाल उठाएंगे, बहस करेंगे और इस तरह भारतीय जनता के अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे।

Subrata Dhar

लोकतांत्रिक सोच

- वैधानिक मंचों से किया अंग्रेजों का विरोध
- जालियांवाला बाग कांड का तगड़ा प्रभाव
- उनकी निष्पक्षता के विरोधी भी थे कायल

निष्पक्षता की धाक । 1925 में उनके जीवन का वह ऐतिहासिक क्षण आया, जब वह भारत की पहली निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। इससे पहले इस पद पर केवल ब्रिटिश अधिकारी ही नियुक्त होते थे। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए संसदीय गरिमा और अनुशासन का उच्चतम स्तर स्थापित किया। उनकी निष्पक्षता के कारण विरोधी पक्ष के सदस्य भी उनके निर्णयों की प्रशंसा करते थे।

राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस । 1929 में स्वास्थ्य कारणों से वह यूरोप गए। उस समय लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चल रही थीं। यूं तो वह आधिकारिक रूप से भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां भारतीय दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। बाद में वह अमेरिका भी गए और वहां भारत की आजादी के पक्ष में कई भाषण दिए।

स्विट्जरलैंड में निधन । दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और 22 अक्टूबर 1933 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया। मृत्यु से पहले उन्होंने एक वसीयतनामा लिखा, जिसमें अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों और नेताओं के सहयोग के लिए देने की इच्छा जताई। इससे उनकी राष्ट्रनिष्ठा और बलिदान भावना स्पष्ट होती है।

नियमों के पालन की अहमियत । आज जब संसद और विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को लेकर समय-समय पर सवाल उठते हैं, विट्ठलभाई पटेल का दृष्टिकोण हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र में नियमों का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। अध्यक्ष या स्पीकर का पद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण सदन की निष्पक्ष नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का दायित्व है। बहस और संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं, और इन्हें शिष्टाचार तथा गरिमा के साथ संचालित किया जाना चाहिए। जब भी हम संसद या विधानसभा की कार्यवाही को गरिमापूर्ण और सार्थक बनाने की बात करेंगे, विट्ठलभाई पटेल का नाम हमारे मार्गदर्शक के रूप में अवश्य उपस्थित रहेगा।

(लेखक दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं)

AI image

AI से हैकर्स का फ़ायदा

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ने कई फील्ड में काम आसान कर दिया है, लेकिन इसने सिरदर्द भी बढ़ाया है - खासकर साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के मामले। जानिए कि कैसे AI को टूल बनाकर हैकर्स ज्यादा खतरनाक हो गए हैं।

5 पॉइंट

1 बढ़ते मामले
टेक फर्म IBM के अनुसार, 2024 में डेटा सेंधमारी की हर 6 में से एक घटना में AI का इस्तेमाल किया गया। 2027 तक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जरिये फ्रॉड से होने वाला नुकसान 40 बिलियन डॉलर तक हो सकता है।

2 ज्यादा पहुंच
हैकर्स के लिए भाषा पहले एक बड़ी बाधा थी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) ने उनके लिए यह काम आसान कर दिया है। हैकर्स आसानी से बड़ी आबादी तक करप्ट सॉफ्टवेयर भेज सकते हैं।

3 नकल हुई आसान
डीपफेक, फर्जी ईमेल और यहां तक कि कॉल करना भी अब हैकर्स के लिए मुश्किल नहीं रहा। असली-नकली की पहचान कठिन हो गई है। AI के ऐसे मॉडल मौजूद हैं, जो डीपफेक की सर्विस दे रहे हैं, बेहद कम कीमत पर।

4 बदले हुए रूप
AI का इस्तेमाल Malware को और खतरनाक बनाने के लिए हो रहा है। PDF डॉक्यूमेंट के रूप में भी घुसपैठ की जा सकती है। जुलाई में यूक्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम में ऐसे ही सेंध लगी थी।

5 बढ़ता खर्च
कंपनियों का साइबर सिक्योरिटी बिल बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2026 तक यह 240 अरब डॉलर के पार होगा। हालांकि इससे सिक्योरिटी सर्विस देने वाली फर्म के शेयर हाल में चढ़े हैं।

प्रस्तुति: शैलेंद्र पांडेय

जो भी ग़लत है, उसका प्रतिरोध होना चाहिए

*'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' और 'समर शेष है' जैसी प्रसिद्ध रचनाओं के लेखक व मशहूर हिंदी साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह की इसी हफ्ते राजकमल प्रकाशन से नई किताब आई है 'स्मृतियों की बस्ती'। **शोभा अक्षर** ने उनसे साहित्य की स्मृतियों और उसके वर्तमान पर लंबी बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

अब्दुल बिस्मिल्लाह

■ आज जब न केवल सांप्रदायिकता बल्कि जातिवाद भी प्रबल है, धर्मनिरपेक्षता और प्रतिरोध को बढ़ावा देने में अपनी और अन्य साहित्यकारों की क्या भूमिका देखते हैं?

दूसरों की तो नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न रहा है कि जो कुछ भी गलत है, समाज में उसका प्रतिरोध होना चाहिए। चाहे वह जातिवाद हो या सांप्रदायिकता। मेरी रचनाओं में इन्हें देखा जा सकता है। आज के रचनाकारों को मैं पढ़ता रहता हूं, वे भी प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं हमेशा यह महसूस करता हूं कि शिद्दत के साथ किसी चीज को उठाना है, जिससे एक हलचल-सी पैदा हो, उसकी कमी मुझे नजर आती है। यह भी शायद समय की देन है। निस्संदेह रचनाकार का तो यही कर्तव्य है, बल्कि धर्म है उसका कि जो कुछ भी गलत है उसके विरोध में खड़ा होना।

■ दूसरा पहलू यह भी है कि वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक जो माहौल है, उसका साहित्यिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ रहा है?

जिस परिवेश में हम जी रहे होते हैं, वह हमें प्रभावित करता ही है। खुले शब्दों में कहूं तो हां, एक तरह से भय का वातावरण है। ऐसा नहीं कि यह जो भय का वातावरण है, पहले नहीं था। सवाल यह है कि हम उस वातावरण में कैसे खुद को आगे लेकर आते हैं और कैसे हम उससे जूझते हैं। यह एक बहुत बड़ा बिंदु है। साहित्य और अन्य सारी कलाएं जो हैं, उनकी स्वतंत्रता धीरे-धीरे सीमित हो रही हैं, क्योंकि सब कुछ सीमित होता चला जा रहा है।

■ आपने तो सेंसरशिप का भी समय देखा है, 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' के लिए व्यापक आलोचना आपने झेली और देखी है...

सेंसरशिप शब्द आ गया है तो मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब वाकई कानूनी तौर पर सेंसरशिप लगा था। 1975-76 के दौरान जब इमरजेंसी लागू की गई थी। मुझे एक कवि की याद है, और तो कोई मुझे याद नहीं है। हिंदी के कवि बाबा नागार्जुन, जिन्होंने अपनी एक कविता सुनाई थी उस दौरान पटना के चौराहे पर खड़े होकर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।

■ आप 1984 में दिल्ली आए। आपने हाल में कहीं लिखा है कि 'दिल्ली जो है वह अक्षरों का नहीं, संख्याओं का शहर है।' ऐसा क्यों?

यह बात तो खैर मैंने एक खास संदर्भ में कही है। जो अक्षर हैं और जो संख्या है- इन दोनों शब्द की व्यंजना में अगर हम जाएं तो संख्याएं हमें गणित की तरफ ले जाती हैं और अक्षर हमें विचार और हृदय की तरफ ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि विज्ञान हमारे मस्तिष्क को विकसित करता है लेकिन साहित्य केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। वो हृदय में जाता है। एक समय था जब पूरे देश के लोग रोजी-रोटी की तलाश में कलकत्ता जाया करते थे। उस जमाने में कलकत्ता को विदेश तक कह दिया गया, 'बिदेसिया' लिखा गया। दिल्ली में गणित अधिक चलता है, मस्तिष्क से काम चलता है। एक घटना याद आती है। दिल्ली में मैं नया-नया आया था तो ऐसे ही एक बस स्टॉप पर खड़ा था। साथ में एक मित्र थे जो सहायक अध्यापक के पद पर नए आए थे। उनकी दिल्ली में ही पढ़ाई-लिखाई हुई थी, मैं बनारस से आया था। वहां एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, मैं उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मेरे साथी ने मेरा हाथ खींच लिया। मुझे कहा कि ऐसा मत कीजिए। मान लीजिए कि इसी बीच पुलिस आ जाती है तो पहले आपको पकड़ कर पूछताछ करेगी। वहां मैं हृदय से काम कर रहा था, पर मेरे मित्र मस्तिष्क से काम ले रहे थे।

> **"आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि आलोचक साहब ने अमुक-अमुक धर्म के लेखकों पर ध्यान नहीं दिया या उन्होंने अमुक जाति के लेखकों पर कुछ लिखा ही नहीं है। अब सवाल यह है कि साहित्य को परखने का मापदंड आलोचना है या पाठक हैं? हम आलोचकों के भरोसे जिएंगे क्या? क्या हम इसलिए लिख रहे हैं कि आलोचक हमारे बारे में लिखें?**

■ हिंदी साहित्य में एक आरोप लगता रहा है कि आलोचकों और समीक्षकों पर पुरुषवादी नजरिया हावी रहता है। इस पर क्या कहेंगे?

आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि आलोचक साहब ने अमुक-अमुक धर्म के लेखकों पर ध्यान नहीं दिया, या अमुक जाति के लेखकों पर कुछ लिखा ही नहीं है! सवाल है कि साहित्य को परखने का मापदंड क्या आलोचना है, या पाठक हैं? हम आलोचकों के भरोसे जिएंगे क्या? क्या हम इसलिए लिख रहे हैं कि आलोचक हमारे बारे में लिखें? एक रचनाकार को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। रचना अगर योग्य होगी तो पाठक उसे अपने आप महत्वपूर्ण बना देते हैं।

■ आपकी नई कृति 'स्मृतियों की बस्ती' आई है। इस बस्ती में प्रेम का कोई अप्रतिम क्षण और किसी दुख की कोई पीड़ा जो अभी भी आपके मन में कौंधती है?

तुलसीदास की एक पंक्ति है - 'गिरा अनयन नयन बिनु बानी'। आंख जो है वो बोल नहीं पा रही है और वाणी जो है वो देख नहीं पा रही है। इसका मतलब है कि दोनों समर्थ भी हैं और दोनों असमर्थ भी हैं। पर मतलब यह कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। देखना भी महत्वपूर्ण है, बोलना भी महत्वपूर्ण है। कोई सिर्फ देखता है तो वह भी महत्वपूर्ण है और सिर्फ बोलता है तो वह भी महत्वपूर्ण है। हमें फर्क करना छोड़ देना चाहिए।

www.nbt.in

तस्वीरों में बसी कश्मीर की रूह

खुद अपनी आंख से

रवि ठाकुर

कोरोना के दौरान लॉकडाउन ही नहीं लगा, बल्कि जैसे जिंदगी की रफ्तार पर एक ब्रेक सा भी लग गया था। घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो गया था। काफी दिनों बाद जब ऑफिस खुला तो वही पुरानी दिनचर्या- घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ठहरी हुई जिंदगी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लॉकडाउन से पहले मैं अक्सर आर्ट एग्जिबिशन देखने जाता था। वहां अलग-अलग कहानियां देखने और महसूस करने का मौका मिलता था। लॉकडाउन और उसके बाद के सालों में यह सिलसिला टूट चुका था।

कुछ दिन पहले ऑफिस से निकलते वक्त अचानक एक पोस्टर दिखा। पोस्टर में एक फोटो एग्जिबिशन के बारे में बताया गया था, जो इंदिरा गांधी आर्ट गैलरी, जनपथ में लगी थी। इस प्रदर्शनी में जम्मू-कश्मीर की तस्वीरें थीं, वादियों की, मौसम की और जाने क्या-क्या। न जाने क्यों, उस पोस्टर ने दिल के किसी कोने को छू लिया। मैंने जाने का मन बना लिया। गैलरी में कदम रखते ही जैसे एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया। वहां लगी तस्वीरें महज फोटो नहीं थीं, बल्कि हर तस्वीर अपने-आप में एक जीती-जागती कहानी थी। किसी में कश्मीर की वादियां धुंध में लिपटी हुई थीं, तो किसी में शिकारे पर बैठे मुस्कुराते चेहरे थे। एक तस्वीर में छोटे बच्चे कड़ाके की ठंड में स्कूल जाते दिखे, तो दूसरी में हथकरघा चलाती एक बुजुर्ग कश्मीरी महिला, जिसकी झुर्रियों में भी उम्मीद से भरा वक्त झलक रहा था।

प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों ने मुझे कश्मीर के कई अनदेखे पहलू दिखाए। बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारे, कश्मीरी अवाम की खुशियां और तकलीफें, टूरिस्ट्स का उत्साह, सेना का संघर्ष, और घाटी का गुमसुम सन्नाटा। मैं वहां कभी गया नहीं था, लेकिन उन तस्वीरों के जरिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं कश्मीर की गलियों, पहाड़ों और झीलों में घूम रहा हूं। तस्वीरों की खूबसूरती के साथ-साथ उनकी गहराई ने दिल को छू लिया। लगा जैसे हर फोटो में एक आवाज है, जो कह रही है- 'कश्मीर को सिर्फ खबरों में मत देखो, इसे महसूस करो।' उन तस्वीरों ने सिखाया कि एक आर्टिस्ट की नजर समाज को कैसे एक नए नजरिए से देखना सिखा सकती है। मैं फोटोग्राफर आशीष शर्मा से मिलना चाहता था, लेकिन वो वहां नहीं थे। घर आकर मैंने उन्हें एक खत लिखा, 'आपकी तस्वीरों ने मेरी जिंदगी को एक खूबसूरत अहसास दिया। आपने कश्मीर की वादियों को नहीं, उसकी रूह को दिखाया है। इसके लिए दिल से धन्यवाद।' उस दिन मैंने सीखा कि जिंदगी की भागदौड़ में कभी-कभी हमें खुद को भी समय देना चाहिए। हमें ऐसे अनुभवों को जीना चाहिए जो हमारी संवेदनाओं को जगाएं, इंसानियत और दूसरों के दर्द से जोड़ें। क्योंकि असली खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है।

चलते-चलते...

कोरिया और जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसा नया क्रिस्टल विकसित किया है जो ऑक्सिजन को बार-बार छोड़ने और सोखने की क्षमता रखता है। यह विशेष धातु ऑक्साइड स्ट्रॉन्शियम, आयरन और कोबाल्ट से बना है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज फ्यूल सेल, ऊर्जा-संरक्षण और स्मार्ट थर्मल डिवाइस जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के विकास में क्रांतिकारी साबित हो सकती है।

रीडर्स मेल

▸ सार्थक चर्चा होनी चाहिए

22 अगस्त का संपादकीय 'हंगामा है बरपा' पढ़ा। विपक्ष के सांसदों ने संसद के मॉनसून सत्र में जिस प्रकार हंगामे का रास्ता अख्तियार किया, वह संसाधनों की बर्बादी का सबब बना। संसद सत्र चलाने का खर्च प्रति मिनट ढाई लाख आता है। आखिर इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? भिन्न-भिन्न मुद्दों पर विरोध करने का विपक्ष का अधिकार संसदीय परंपरा में बेशक बना हुआ है, पर विरोध का अधिकार संसद के कामकाज को ठप करने का औजार नहीं होना चाहिए। SIR, संविधान का 130वां संशोधन, जिसमें सीएम और पीएम को हटाने का बिल और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इन सब पर सार्थक चर्चा की दरकार थी। पर ये सब हंगामे की भेंट चढ़ गए। हालांकि यह परिपाटी कोई नई नहीं है, लेकिन भविष्य में धन और संसाधन की बर्बादी के बारे में सोचा जाना चाहिए।

माम चंद सागर, राजोकरी

▸ जारी रहे संवाद

यह पत्र 21 अगस्त के संपादकीय 'राइट ट्रैक' से संबंधित है। दुनिया के कई देश ट्रंप की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी की चपेट में हैं। इस पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद तत्काल तो नहीं की जा सकती। ऐसे में एकमात्र समाधान यही हो सकता है कि दूसरे देशों में व्यापार बढ़ाने के नए रास्ते खोले जाएं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और फर्टिलाइजर के निर्यात पर हामी भर दी है। जाहिर है यह हामी भारत के लिए बेहद अहम है। दूसरे देशों की तरह भारत भी इसके लिए चीन पर निर्भर है। यही नहीं, सीमा के कुछ रास्ते खोलने का भी फैसला लिया गया है। चीन जरूर चाहेगा कि टैरिफ वॉर और अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत से रिश्ते बढ़ाए जाएं। भारत के लिए भी जरूरी है कि व्यापार और संवाद जारी रहें।

पैंथर तोमर, किशन गंज

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 160

वृद्धि के लिए ऊर्जा

केंद्र सरकार की योजना है कि यूरेनियम खनन, आयात, प्रसंस्करण और परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर दशकों से चले आ रहे सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जाए और इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी देने की पहल की जाए। यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। नीतिगत बदलाव का पहला संकेत केंद्रीय बजट में मिला था जिसमें 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावॉट करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। इस मिशन का लक्ष्य है देश की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.18 गीगावॉट के स्तर से आगे बढ़ाना। ये हालिया घटनाएं बताती हैं कि थोड़ी देर से ही सही लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका को पहचाना जा रहा है।

दशकों से सरकार ने विकिरण सुरक्षा, परमाणु सामग्री के दुरुपयोग और सामरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को उचित ठहराया। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) देश में असैन्य परमाणु संयंत्रों की इकलौती संचालक थी। बहरहाल, देश में ऊर्जा बदलाव की बढ़ती आवश्यकता के कारण नीतिगत बदलाव संभव हो रहा है। घरेलू यूरेनियम भंडार जो करीब 76,000 टन का है, वह भविष्य की मांग के एक छोटे हिस्से की ही भरपाई कर सकता है। ऐसे में आयात और प्रसंस्करण क्षमता में विस्तार जरूरी होगा। इस संदर्भ में निजी भागीदारी अहम होगी। उसके आधार पर ही आपूर्ति श्रृंखला तैयार होगी, पूंजी का प्रवाह तय होगा और परियोजना क्रियान्वयन में तेजी आ सकेगी।

इसके लिए सरकार को कानूनी बदलाव करने होंगे। परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करके ही एनपीसीआईएल के एकाधिकार को खत्म किया जा सकता है और निजी कारोबारियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा जा सकता है। परमाणु क्षति के लिए नागरिक जवाबदेही अधिनियम में बदलाव भी उतने ही अहम हैं। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद भी मौजूदा आपूर्तिकर्ता-जवाबदेही प्रावधानों ने वैश्विक परमाणु कंपनियों को हतोत्साहित किया है। किसी भी तरह के सुधार में यह ध्यान रखना होगा कि किसी दुर्घटना के हालात में उचित क्षतिपूर्ति की आवश्यकता के साथ संतुलन कायम हो। ऐसा ढांचा तैयार किया जाना चाहिए जो निवेश या तकनीक हस्तांतरण को हतोत्साहित न करता हो।

भारत का लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी डिजाइन वाले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) तैयार करने का है। इसके साथ ही भारत स्मॉल रिएक्टर्स (बीएसआर) का उन्नयन किया जा रहा है, जो मूलतः 220 मेगावॉट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। इससे जमीन की जरूरत कम की जा सकेगी। ऐसे रिएक्टर उद्योगों के निकट कैप्टिव यानी उनकी जरूरतों के लिए उपयोगी के रिएक्टर रूप में एकदम उपयुक्त माने जा रहे हैं। एसएमआर और बीएसआर एक साथ मिलकर मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक बन सकते हैं, क्योंकि ये उन क्षेत्रों तक ऊर्जा पहुंचा सकते हैं जहां पारंपरिक बड़े संयंत्र उपयुक्त नहीं होते।

अक्सर यह जोखिम होता है कि परमाणु परियोजना कहीं लागत को पार न कर जाए। इसके अलावा लाइसेंसिंग संबंधी दिक्कतें और ग्रिड मूल्य संबंधी विवादों की भी आशंका रहती है। इतना ही नहीं ये आमतौर पर अग्रिम तौर पर पूंजी की मांग वाली होती हैं और इन्हें पूरा होने में काफी समय लगता है। इनका परिचालन चक्र भी छह दशक से अधिक होता है। भारत में तेजी से बढ़ते परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पर नजर रखने वाले निजी निवेशकों के लिए यह आवश्यक है कि वे परमाणु परिसंपत्तियों की दीर्घकालीन प्रकृति के अनुरूप धन जुटाने के लिए नवोन्मेषी तरीके अपनाएं। निवेश को जोखिममुक्त करने के लिए सरकार व्यवहार्यता अंतर के लिए वित्तपोषण और संप्रभु गारंटी जैसे उपायों पर भी विचार कर सकती है।

जैतापुर और कुडनकुलम जैसी जगहों पर पूर्व में हुए विरोध और निजी भागीदारी से उत्पन्न होने वाले संभावित जन भय को देखते हुए, समुदायों के साथ संवाद स्थापित करना, पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करना और उचित मुआवजा देना अत्यंत आवश्यक है।

विनय सिन्हा

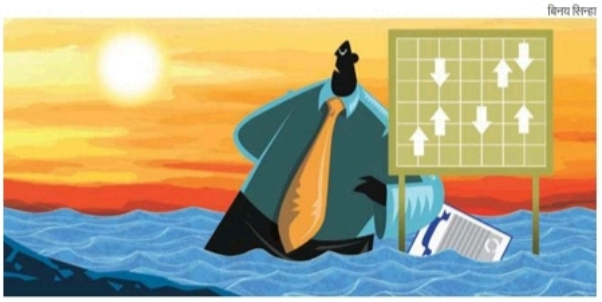

जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर नाकामी

कॉप 30 में प्राथमिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकसित देशों पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वे उत्सर्जन कम करने की दिशा में अधिक विश्वसनीय ढंग से और तेज गति से बढ़ें। बता रहे हैं नितिन देसाई

इस वर्ष नवंबर में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप) की बैठक ब्राजील के एमेजॉन क्षेत्र में मौजूद शहर बेलेम में होगी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन अहम है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जोखिमों को कम करने का काम कोई एक देश अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता है। कार्बन उत्सर्जन तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसों का वातावरण में एकत्रित होना एक वैश्विक समस्या है और इससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।

मूलतः जिस रूप में यूएनएफसीसीसी की कल्पना की गई थी, उसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी विकसित देशों पर डाली गई थी, जिन्हें औपचारिक रूप से 'एनेक्स 1 देश' कहा जाता है। अब यह बदल चुका है। विकसित देश 'साझा किंतु भिन्न जवाबदेही' के विचार से दूर हो गए हैं जबकि यूएनएफसीसीसी के अनुच्छेद 3 भाग 1 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उन्होंने बातों में बनी औपचारिक सहमति से भी दूरी बना ली और अब वे सभी देशों के लिए स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वे विकसित देश हों या विकासशील देश। यही बात 2015 में पेरिस में आयोजित कॉप की बैठक में हुए समझौते में नजर आती है। इस समझौते ने विकासशील देशों, विशेष रूप से चीन और भारत को जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के वैश्विक प्रयासों के केंद्र में ला दिया है।

चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों ने उन कदमों के लिए जवाबदेही स्वीकार की जो मूल यूएनएफसीसीसी में परिकल्पित नहीं थी। वे पहले ही अपने विकास लक्ष्यों की जीवाश्म ईंधन पर कम से कम निर्भर करने की सोच रहे हैं। लेकिन विकसित देश विपरीत दिशा में आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं को कम कर दिया है। ये प्रतिबद्धताएं कार्बन उत्सर्जन की उनकी ऐतिहासिक गतिविधियों पर आधारित थीं। यह जलवायु परिवर्तन की प्रमुख वजह भी हैं।

2015 का पेरिस समझौता यह लक्ष्य तय करता है कि वैश्विक तापवृद्धि को औद्योगीकरण के पूर्व के युग से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखा जाएगा। इसके साथ ही कोशिश की जाएगी कि ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। बदकिस्मती से हकीकत यह है कि विभिन्न देशों के प्रयास ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिहाज से भी अपर्याप्त हैं। यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक विभिन्न देशों द्वारा जताई गई मौजूदा प्रतिबद्धताएं वैश्विक तापमान में 2.6 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा करेंगी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वर्तमान नीतियां इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी नाकाफी हैं और अगर कोई अतिरिक्त क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो दुनिया के तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

वर्ष 2024 तक, उत्सर्जन में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा प्रस्तुत उच्च स्तरीय उत्सर्जन परिदृश्य से कोई विशेष फर्क नहीं हुआ है। इसी आधार पर, एशियाई विकास बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि यह उच्च स्तरीय परिदृश्य टाला नहीं गया, तो जलवायु परिवर्तन 2070 तक विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 17 फीसदी तक घटा सकता है, और भारत की जीडीपी में 24.7 फीसदी की गिरावट आ सकती है।

तापवृद्धि की आशंका का संबंध केवल दीर्घकालिक भविष्य से नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 से 2028 के बीच प्रत्येक वर्ष के लिए वैश्विक औसत सतह तापमान 1850-1900 के आधार स्तर की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस से 1.9 सेल्सियस तक अधिक रहने की आशंका है। औसत वैश्विक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि अब कोई दूर का खतरा नहीं रही, बल्कि एक तात्कालिक चुनौती बन गई है। इस वर्ष यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लू के थपेड़ों की बाढ़ देखी गई है। अब जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है, जो तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि और मौसम की अनिश्चितताओं में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

हमें जलवायु जोखिम को लेकर कहीं अधिक प्रभावी सहयोग की आवश्यकता होगी। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है उन छह प्रमुख उत्सर्जकों की जलवायु परिवर्तन प्रबंधन रणनीति, जो 2023 तक के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 74 फीसदी योगदान करते हैं। ये छह देश हैं- अमेरिका, यूरोपीय संघ (ब्रिटेन सहित), चीन, रूस, जापान और भारत।

विकसित देशों में संचयी उत्सर्जन के बजाय वर्तमान उत्सर्जन दर पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है। 1995 के बाद से अमेरिका, यूरोप और जापान में उत्सर्जन दर में गिरावट आई है, जबकि चीन, रूस और भारत में यह बढ़ी है। हालांकि, यदि जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान उत्सर्जन पर ध्यान दिया जाए, तो 2023 में विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इस प्रकार था- अमेरिका में 14.3 टन, रूस में 12.5 टन, जापान में 7.9 टन और यूरोपीय संघ में 5.4 टन। इसके मुकाबले, चीन निश्चित रूप से एक बड़ा उत्सर्जक दिखाई देता है। वहां 2023 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 8.4 टन था, लेकिन भारत में 2023 में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 2.1 टन था।

अमेरिका सबसे गंभीर खतरा नजर आता है। वह तो 1990 के दशक में भी बातों को लेकर शंकालु था और अक्सर ताप वृद्धि को लेकर ईसानी जवाबदेही के प्रति शुबहा प्रकट करता था। इस नकारात्मक रुख में बाद में बदलाव आया। बराक ओबामा के शासन में अमेरिका ने पेरिस समझौते में शिरकत की और जो बाइडन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई कदम उठाए।

परंतु डॉनल्ड ट्रंप के कदमों ने हालात बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया और पिछली सरकारों द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने संबंधी कदमों को वापस ले लिया। इसका असर अमेरिका द्वारा उत्सर्जन कम करने को लेकर जताए गए लक्ष्यों पर भी पड़ेगा। उसने 2030 तक 40 फीसदी उत्सर्जन कटौती करने का वादा किया था लेकिन अब वह 3 फीसदी तक ही संभव है। यानी वादे की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2 अरब टन का इजाफा। जाहिर है जलवायु परिवर्तन को लेकर हालात बद से बदतर हो रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन संभवतः तमाम समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अधिकांश देशों में उचित नीतियों के अभाव में यह खतरा दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकारों की जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धताओं की यह बिगड़ती स्थिति नवंबर में होने वाले कॉप 30 सम्मेलन में अवश्य उठाई जानी चाहिए। अमेरिका का पेरिस समझौते से बाहर होना शायद उन समझौतों को कमजोर कर चुका है जो 10 साल पहले विकसित और विकासशील देशों के बीच हुए थे।

ब्राजील और भारत, जिनकी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दर 2023 में क्रमशः केवल 2.3 और 2.1 टन थी, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे अन्य कम उत्सर्जन वाले विकासशील देशों के साथ मिलकर यूएनएफसीसीसी के 'साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों' के सिद्धांत की महत्ता को फिर से स्थापित कर सकते हैं। इसलिए, नवंबर में होने वाले कॉप 30 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए तेज और विश्वसनीय कार्रवाई करने का दबाव बढ़ाया जाए।

मणिपुर और म्यांमार सीमा पर राजनीतिक आंच की ताप

देश में विपक्ष द्वारा उठाए गए चुनाव संबंधी गड़बड़ियों के मुद्दे के बीच अगस्त महीने में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। पहली, 1 अगस्त को पड़ोसी देश म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 से लगाए गए आपातकाल को खत्म दिया ताकि वहां दिसंबर में चुनाव हो सकें। दूसरी घटना 5 अगस्त को हुई जब भारतीय संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया। ये दोनों घटनाएं वैसे तो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं लेकिन अगर इन दोनों घटनाओं और बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव को मिलाकर देखें तो ये घटनाक्रम, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति पर गहरा असर डालेंगे।

यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि म्यांमार में भयानक गृहयुद्ध चल रहा है। वहां की सेना का सीमावर्ती इलाकों, खासकर म्यांमार-चीन की सीमा से लगे शान राज्य और मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा से लगे चिन राज्य पर बहुत कम नियंत्रण है। सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) ने हाल ही में एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें दक्षिण एशिया में चीन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका के बारे में शोधार्थी अमारा थीहा ने एक संपादित खंड में इस बात का जिक्र किया है कि चीन, शान राज्य (और वास्तव में म्यांमार के कई अन्य हिस्सों में) की राजनीति में बेहद सक्रिय है। वास्तव में चीन की यह रणनीति बिल्कुल सामान्य है। दरअसल चीन, म्यांमार को आर्थिक और सैन्य मदद देकर, अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर दबाव बनाता है जिसके कारण भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति और अधिक जटिल हो जाती है।

म्यांमार की राजनीति का असर मिजोरम, नागालैंड और खासकर मणिपुर में देखने को मिलता है। पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मणिपुर में जनजातीय तनाव की समस्या को जड़ से म्यांमार से ही रही घुसपैठ है। ऐसे में भारत और म्यांमार के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए 1968 से लागू 'मुक्त आवागमन व्यवस्था' (एफएमआर) को खत्म कर दिया गया था। साथ ही 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा में से 30 किलोमीटर में बाड़ लगाई गई थी ताकि म्यांमार की सीमा से लोग अवैध रूप से भारत में न आ सकें। इसकी संभावना कम ही दिखती है कि पूरी सीमा पर दिसंबर 2025 तक बाड़ लग जाए जब म्यांमार में चुनाव होने हैं। ऐसा अनुमान है कि बाड़ लगाने में 10 साल लग सकते हैं।

पूर्वोत्तर के कुछ अलगाववादी समूहों के शिविर और प्रशिक्षण केंद्र म्यांमार के उत्तरी सागाइंग क्षेत्र में हैं और ये समूह इस बाड़ से नाखुश हैं। मणिपुर से सटे दक्षिणी क्षेत्र में, कुछ संगठनों को प्रतिरोध समूहों के खिलाफ जुंटा द्वारा प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया गया है। म्यांमार में ज्यादातर विरोधी समूह चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वे इसे महज ढकोसला मानते हैं। इस वजह से भारतीय सीमा के पास एक समानांतर प्रशासन चलता रहेगा जो भारत और म्यांमार दोनों के लिए खतरा है।

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

वैसे मणिपुर में हिंसा में भारी कमी आई है और यह विशेषतौर पर राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद हुआ है लेकिन हिंदू मैतेई आबादी और कुकी-जो जनजाति समुदायों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। मणिपुर में कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच की लड़ाई म्यांमार के जातीय विभाजन जैसी है। कुकी-जो समुदाय के लोगों के रिश्तेदार और परिवारों के संबंध के तार म्यांमार से भी जुड़े हैं इसलिए वे सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध करते हैं क्योंकि इससे आवाजाही रुक जाती है।

इस साल मई में बाड़ का विरोध कर रहे म्यांमार के विद्रोही समूहों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 10 विद्रोही मारे गए। सेना ने बताया कि इस गोलीबारी के बाद उनके पास से सात एके-47 राइफल, एक आरपीजी लॉन्चर, एक एम4 राइफल और अन्य खतरनाक हथियार मिले। ये वास्तव में गंभीर किस्म के हथियार हैं। म्यांमार की सरकार कमजोर होने पर इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं, खासतौर पर अगर मणिपुर के कुकी-जो लोग खुद को भारत से अधिक अपने म्यांमार वाले रिश्तेदारों के करीब महसूस करने लगें।

मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच मतभेद नए नहीं हैं। ये मतभेद अक्सर सामने आते हैं और इन्हें राजनीतिक तौर पर देखा जाता है। इस साल जून में, इम्फाल में उस वक्त गोलीबारी हुई जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक मैतेई समूह, अरामबाई तेंगोल के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके तुरंत बाद, उस क्षेत्र के लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उनकी रिहाई की मांग की। उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य सभा सांसद भी विरोध जताने के लिए तुरंत राजभवन गए।

पूर्वोत्तर के इस हिस्से में होने वाली इतनी सारी घटनाओं को देखते हुए और अधिक राजनीतिक भागीदारी की जरूरत है जो अनिवार्य रूप से द्विपक्षीय हो। वर्ष 2025 का शेष समय और वर्ष 2026, इस क्षेत्र के लिए एक महत्त्वपूर्ण समय हो सकता है।

आपका पक्ष

चंद्रयान-3 अभियान के दो साल, विज्ञान को मिले बढ़ावा

इसरो ने 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारकर देश का मान बढ़ाया था। इस दिन को यादगार बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। चंद्रयान-2 की असफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने नए सिरे से काम किया और चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतारा। देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह की जानकारी हासिल करने के लिए चंद्रयान-3 अभियान शुरू किया था जो पूरा हो गया। इसके अलावा 2 सितंबर, 2023 को इसरो ने पहले सूर्य अभियान के लिए आदित्य-एल1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट पीएसएलवी-सी57 के साथ अंतरिक्ष के लिए भेजा गया था। सरकार को इसरो की इस शानदार सफलता पर खुशी मनाने के साथ इस पर विचार करना चाहिए कि देश के वैज्ञानिक

इसरो ने 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारकर देश का मान बढ़ाया था

दुनियाभर के वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। अगर सरकार विज्ञान की पढ़ाई को दुरुस्त करने के लिए गंभीरता दिखाए तो हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। देश में विज्ञान के अनमोल हीरे हैं, लेकिन उन्हें तराशने की जरूरत है। कुछ युवा विज्ञान की पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते हैं। उन्हें यह उम्मीद नहीं होती कि विज्ञान की पढ़ाई के बाद उन्हें आगे बढ़ने या फिर विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार विज्ञान की पढ़ाई की तरफ गंभीरता दिखाए और जो लोग या संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर दिखाना चाहते हैं उनकी हर संभव मदद करे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

संसद के मॉनसून सत्र में काफी समय बरबाद

संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा कराने की मांग को लेकर रोजाना किए जाने वाले प्रदर्शन के कारण एक तिहाई से अधिक समय बरबाद हो गया। इसे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं माना जा सकता है। थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार लोक सभा में 29 फीसदी और राज्य सभा में 34 फीसदी ही कामकाज हो पाया। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए गए एसआईआर के बाद लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची से हट गया है। विपक्षी दल मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जाने के खिलाफ आंदोलनरत है। संसद सत्र आरंभ होते ही विपक्षी दल अक्सर एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लग जाते जिसके बाद भारी हंगामा देख सदन स्थगित कर दिया जाता। संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन इस पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। कामकाज नहीं हो पाने के कारण देशवासियों के कर का पैसा बरबाद हुआ है। हालांकि इस दौरान गेमिंग विधेयक से लेकर कई महत्त्वपूर्ण विधेयक भी दोनों सदनों से पारित हुए हैं। गेमिंग कानून से ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लग सकेगी जिससे इस खेल में पैसा लगाने से लोगों को रोका जा सकेगा। ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाकर खेलने वाले लोग अक्सर हार का सामना करते हैं और अपनी सारी जमापूंजी गंवा बैठते हैं। इससे कई परिवार बरबाद भी हो गए हैं।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में शामिल हुई महिला सैन्य अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। सिंह ने एक कार्यक्रम में 15 देशों की महिला अधिकारियों के साथ बातचीत की जो संयुक्त राष्ट्र महिला सैन्य अधिकारी पाठ्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएमओसी-2025) में भाग ले रही हैं।

मातृ शक्ति से विकसित भारत

दुनिया की आधी आबादी हर क्षेत्र में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। उनकी वित्तीय समझ, कार्य प्रबंधन, अनुकूलन क्षमता, अभिनव सोच तथा स्वयं को सिद्ध करने की जिजीविषा निरंतर यह प्रमाणित कर रही है कि उनके समक्ष कोई भी व्यवधान टिका नहीं रह सकता। स्वतंत्रता विशेष श्रृंखला में महिला सशक्तीकरण पर डालते हैं एक नजर...

41.7% श्रम भागीदारी महिलाओं की, वर्ष 2023-24 के दौरान रही

73% एकल/संयुक्त स्वामी महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों में

रितु सारस्वत
समाजशास्त्री

भारत अपने अथक प्रयासों से स्वयं को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित करने की ओर सुदृढ़ता से कदम रख रहा है और अपने इस वृहद दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वह देश की आधी आबादी को साथ लेकर चलने के हर संभव प्रयास करने को तत्पर दिखाई देता है।

वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएसएफ) रिपोर्ट संपूर्ण भारत में रोजगार के रुझान के संबंध में बताती है कि रोजगार की प्रकृति में बदलाव हुए हैं, जिसका महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है। अधिक महिलाएं स्वरोजगार में लगी हैं या घरेलू उद्यमों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

ग्रामीण महिलाएं बढ़ रही हैं आगे

आर्थिक समीक्षा 24-25 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार वाले श्रमिकों/नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 2017-18 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 23-24 में 31.02 प्रतिशत हो गई, जो स्वतंत्र कार्य और उद्यमिता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। इसी तरह 'घरेलू उद्यमों में सहायकों' की हिस्सेदारी, जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम का प्रतिनिधित्व करती है, 38.7 प्रतिशत से बढ़कर 42.3 प्रतिशत हो गई है, जो परिवार उन्मुख आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कृषि रोजगार 2017-18 में 73.02 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 76.9 प्रतिशत हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ग्रामीण अंचलों की सशक्तता पर निर्भर करता है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक संबलता निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।

बचत के साथ निवेश में भी कदम

भारत में महिलाएं आर्थिक संबलता का केंद्र बन रही है। वह पूंजी निवेश में ही नहीं, अपितु पूंजी संचयन में भी आगे हैं। उदाहरण के लिए, 39.2 प्रतिशत बैंक खाते और 39.7 प्रतिशत जमा अब महिलाओं के पास हैं। वर्ष 2021 और 2024 के दौरान महिलाओं के स्वामित्व वाले डीमैट खातों की संख्या तीन गुना हो गई। साथ ही, आर्थिक समावेशन को अब सामुदायिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। बैंक सखियों के मॉडल ने 3 अरब 51 करोड़ (वर्ष 2020) के लेनदेन को संसाधित किया।

नीति आयोग ने मार्च में 'उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक : भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। भारत में अधिक महिलाएं ऋण लेना चाहती हैं और सक्रिय रूप से वे अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही हैं। दिसंबर 2024 तक, 27 मिलियन महिलाएं अपने क्रेडिट की निगरानी कर रही थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' ने जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) को 918 (2014-15) से बढ़ाकर 930 (2023-24) करने में योगदान दिया है और इसी अवधि में माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से भी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख जीवित जन्म (2014-16) से घटकर 97 (2018-20) हो गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 43 (2015) से घटकर 32 (2020) हो गई। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.4 वर्ष (2016-20) हो गई, जिसके 2031-36 तक 74.7 वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है।

शिक्षा के क्षेत्र में आगे

शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2017-18 से महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) पुरुष जीईआर से आगे निकल गया है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2.07 करोड़ (2021-22) है, जो कि कुल संख्या 4.33 करोड़ का लगभग 50 प्रतिशत है। पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए महिलाएं तेजी से स्टेम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक स्टेम छात्रों में महिलाओं की संख्या 42.57 प्रतिशत है, जो कि उनके लिए नवाचार संचालित नौकरियों तक पहुंच बना रही है।

राजनीति में उम्मीद की किरण

विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की राजनीतिक एवं नेतृत्वकारी भूमिकाएं मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कुल संख्या 1957 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 10 प्रतिशत हो गई है। निर्वाचित महिला सदस्यों की कुल संख्या, जो पहली लोकसभा में 22 और दूसरी लोकसभा में 27 थी, 17वीं लोकसभा में बढ़कर 78 और 18वीं लोकसभा में 75 हो गई है। यह कुल सदस्यों का लगभग 14 प्रतिशत है। राज्यसभा में भी, 1952 में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जो वर्तमान में 42 है। यह कुल सदस्यों का लगभग 17 प्रतिशत है।

इसके अलावा, देश में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46 प्रतिशत है, जो दुनिया में अद्वितीय है। देश में 21 राज्य हैं, जहां पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण के संवैधानिक आदेश की तुलना में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

भारत की महिलाएं अर्थव्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में लेने को तत्पर हैं। उनकी वित्तीय समझ, कार्य प्रबंधन, अनुकूलन क्षमता, अभिनव सोच तथा स्वयं को सिद्ध करने की जिजीविषा निरंतर यह प्रमाणित कर रही है कि उनके समक्ष कोई भी व्यवधान टिका नहीं रह सकता।

उच्च शिक्षा में पंजीकरण
1950-51: **40,000**
2022-23: **2.18 करोड़**

महिला समग्र साक्षरता दर
1951: **8.86%**
2023: **70.3%**

मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर
2011-13: 167
2023: 80

- भारत में लगभग 50% स्टेम (STEM) स्नातक महिलाएं हैं, जो विश्व में उच्चतम है।
- 17 विश्वविद्यालय और 4375 कॉलेज केवल महिलाओं के लिए हैं।

हमने जो सोचा है

नारी को अबला कहना उसकी मानहानि

महात्मा गांधी

महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ और सहृदय होती हैं। अबला पुकारना महिलाओं की आंतरिक शक्ति को दुत्कारने जैसा है।
इतिहास पर नजर डालें, तो हमें महिलाओं की वीरता की कई मिसालें मिल जाएंगी। महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर लें, तो कुछ ही समय में अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती हैं।

अहिंसा हमारे जीवन का धर्म है, तो भविष्य नारी जाति के हाथ में है। जहां तक स्त्रियों के अधिकारों का सवाल है, तो मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। नारी को अबला कहना उसकी मानहानि करना है। स्त्री पुरुष की सहचरी है। उसकी मानसिक शक्तियां पुरुष से जरा भी कम नहीं हैं।

यदि मैं स्त्री रूप में पैदा होता, तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए हर अन्याय का जमकर विरोध करता। युगों से चल रही बुराइयों को खोजना और उन्हें नष्ट करना जागरूक स्त्रियों का विशेषाधिकार होना चाहिए।

-संपादित अंश

महिलाओं को उनके अधिकार मिलने ही चाहिए

डॉ. भीमराव आंबेडकर

महिलाएं 'राष्ट्र की निर्मात्री' होती हैं। महिलाओं के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव गैरकानूनी है। महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए। महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिलें, इसलिए हमने संविधान में महिलाओं के लिए समानता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया।

हिंदू कोड बिल पेश करने के पीछे हमारी यही भावना है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे मामलों में उन्हें समुचित अधिकार मिलें।

उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए।

-संपादित अंश

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : मन परेशान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

वृष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन भी परेशान रहेगा। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। कारोबार के लिए पिता से धन मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। कारोबार से लाभ में बढ़ोतरी होगी। भवन सुख में वृद्धि होगी। पिता का सान्निध्य मिलेगा। मित्र के सहयोग से आय बढ़ सकती है।

कर्क : आत्मविश्वास में कमी रहेगी, परंतु माता का सान्निध्य मिलेगा। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से कारोबार के लिए धन मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

सिंह : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की मिल सकती है।

कन्या : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। परिवार में भी शांति बनाए रखें। कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा।

तुला : मन अशांत रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। चिकित्सा खर्च बढ़ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संयत रहें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। अफसरों का सहयोग मिलेगा।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

मकर : संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्च बढ़ेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। आय भी बढ़ेगी। परिश्रम अधिक रहेगा।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। अफसरों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि। स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

23 अगस्त, शनिवार शक संवत् : 01, भाद्रपद (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग :** 08, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम :** 28 सफर 1447, **विक्रमी संवत् :** भाद्रपद कृष्ण अमावस्या प्रातः 11.37 मिनट तक। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। **सूर्य दक्षिणायन।** वर्षा ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भाद्रपद अमावस। कुशोत्पाटिनी अमावस।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मैं गारमेंट फैक्ट्री में खरीदारों के लिए शोरूम बनाना चाहता हूं। -कुमार, जयपुर

- शोरूम फैक्ट्री की उत्तर पश्चिम दिशा में बनाएं। उसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में महेंद्र पद पर रखें। पूर्व दिशा में सूर्य की सात घोड़ों के रथ वाली मूर्ति या चित्र लगाएं। उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में थोड़ा हल्का माल रखें। उत्तर पश्चिम दिशा में जिन देशों के साथ काम करना चाहते हों, उनके झंडे के चित्र रखें।

वर्ग पहेली : 8066

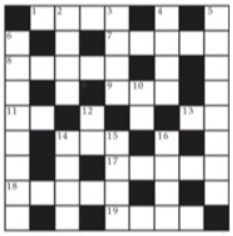

बाएं से दाएं
1. भेंट; नजराना (4)
7. बहुत बड़ा नगर; बड़ा शहर (5)
8. कथा करने वाला (5)
9. सर्पिणी (3)
11. उछाल; फलांग (2)
13. लकड़ी के खोल के दोनों ओर चमड़ा मढ़ा वाद्य; हाथों से बजाया जाने वाला बाजा (2)
14. जन्मदाता; पिता; पैदा करने वाला (3)
17. अध्ययनशील; चिंतन करने वाला (5)
18. जिसमें गलने की प्रवृत्ति हो; सरलता से गलने वाला; क्षरणशील (5)
19. इच्छा के विरुद्ध; जबरदस्ती; बलपूर्वक (4)

ऊपर से नीचे
2. जमीन का हिसाब-किताब रखने वाला सरकारी कर्मचारी (4)
3. हिंडोले पर पेंग मारना; झूमते-इतराते हुए चलना (4)
4. ठाट-बाट; वैभव; सजधज; मर्यादा (2,2)
5. अदब के साथ चलना; प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहते हुए चलना (2,1,2,3)
6. असह्य दुर्गंध होना; दुर्गंध के कारण रुक न पाना (2,3,3)
10. तीव्र दृष्टि वाला मांसाहारी पक्षी; गीध (2)
12. मौज; लगन; तल्लीनता (2)
14. ओल; प्रतिभूति; बंधक दायित्व; ली गई जिम्मेदारी (4)
15. कमल में जन्मा; ब्रह्मा (4)
16. जंतु; पशु (4)

-हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8065

कुं	■	कि	■	अ	ट	प	टा	■
द	म	सा	ध	ना	■	ह	■	अ
न	■	न	■	द	म	ल	गा	ना
सा	या	■	■	र	■	वा	■	र
द	■	वा	ल	■	फ़ा	न	■	क्षि
म	■	त	■	ख	■	■	ला	त
के	व	च	धा	री	■	टि	■	क
ना	■	ला	■	दे	र	कि	ना	र
■	जा	ना	मा	ना	■	या	■	ना

सुडोकू : 8048

*मध्यम

				4				
	9				2	8	7	
	2		8	6	3			
	5	9				1		
4		8				7		6
		7				9	3	
			5	8	6		1	
	6	2	3				8	
				9				

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8047

4	3	1	9	7	8	2	5	6
2	6	9	1	3	5	7	4	8
8	7	5	2	6	4	9	3	1
7	5	4	3	8	6	1	9	2
6	8	2	4	1	9	5	7	3
9	1	3	5	2	7	8	6	4
5	2	8	7	4	3	6	1	9
1	4	7	6	9	2	3	8	5
3	9	6	8	5	1	4	2	7

शक्ति, सुरक्षा और सम्मान

उत्तर प्रदेश की नारी बन रही प्रगति की पहचान

उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव में उनकी आत्मनिर्भरता एवं खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सुरक्षित मातृत्व, निःशुल्क टीकाकरण, स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, मुफ्त गैस कनेक्शन एवं इज्जतघर (शौचालय) की सुविधा से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पीएम आवास योजना, पीएम स्वामित्व योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिया गया है। महिलाओं व किशोरियों के प्रति होने वाली हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। मिशन शक्ति अभियान से जुड़कर महिलाएं स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ रही हैं।

- 1.75 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं।
- 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिला रोजगार।
- पीएम स्वामित्व योजना में 98 लाख+ महिलाओं को घर के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 60 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2.77 करोड़ शौचालय और 4,500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से 2 करोड़ बेटियों को मिला बेहतर भविष्य।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 4.76 लाख से अधिक जोड़ों का विवाह सम्पन्न।
- उज्ज्वला योजना से 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, दीवाली-होली पर मुफ्त सिलेंडर।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 23.40 लाख बेटियों को आर्थिक सहायता।
- वन स्टॉप सेंटर (ओ एस सी) से 2.03 लाख महिलाएं लाभान्वित
- 18 क्षेत्रीय मुख्यालयों में महिला साइबर सेल की स्थापना
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दोष सिद्धि दर में देश में प्रथम स्थान
- 60 लाख+ बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ।
- 1090 महिला पावर लाइन पर 99.55% शिकायतों का समाधान।
- वीरांगना झलकारी बाई, अवंतीबाई और ऊदा देवी के नाम पर महिला PAC बटालियन की स्थापना।

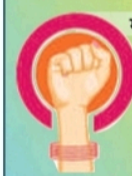

महिला श्रम भागीदारी में क्रांतिकारी बढ़त

निर्माण क्षेत्र में 34.65% महिलाएं

ई-श्रम पोर्टल पर 53% महिलाएं पंजीकृत

महिलाएं बनी भागीदार - डबल इंजन सरकार

हिन्दुस्तान मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव

क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाले जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है, जिसमें वह रखा हुआ है।

– मार्क ट्वेन

सदन का समय

संसद कानून और नीति निर्माण करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। देश की दिशा एवं दशा तय करने में इसकी अहम भूमिका होती है। यह सरकार के कामकाज की निगरानी करने और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर समाधान तलाशने का विशिष्ट मंच है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, जहां जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। जन प्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती है कि वे आम लोगों से जुड़े मसलों को संसद में उठाकर नीति निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। मगर, संसद के मानसून सत्र के कामकाज पर गौर करें तो इन उम्मीदों पर सियासत के बादल मंडराते नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जन प्रतिनिधियों के लिए दलगत राजनीति जन सरोकार से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। संसद के अंदर और बाहर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के शोरगुल में असल मुद्दे गौण हो जाते हैं। इससे न केवल संसद का बहुमूल्य समय यों ही जाया हो जाता है, बल्कि सार्वजनिक धन की भी बर्बादी होती है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में महज 31 फीसद और राज्यसभा में 39 फीसद कामकाज हुआ। सत्र के दौरान कामकाज के लिए 120 घंटे उपलब्ध थे, मगर इस दौरान लोकसभा में केवल 37 घंटे और राज्यसभा में 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। दोनों सदनों में कुल 15 विधेयक पारित किए गए और तीन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। सत्र के दौरान 'आपरेशन सिंदूर' को लेकर दोनों सदनों में विशेष चर्चा हुई, जिसकी मांग विपक्ष ने उठाई थी। मगर, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का मुद्दा दोनों सदनों में हंगामे और गतिरोध की प्रमुख वजह बना रहा। सत्तापक्ष का तर्क था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। सवाल है कि क्या सदन में हंगामे से कुछ हासिल हो पाया? इसके विपरीत इस वजह से दोनों सदनों में एक भी दिन प्रश्नकाल एवं शून्यकाल सामान्य तरीके से नहीं चल पाया और सत्र के दौरान गैर सरकारी कामकाज भी नहीं हो सका। यानी, मानसून सत्र के कामकाज की सूची में शामिल जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दे बिना चर्चा और जवाब के ही रह गए।

इसमें दोराय नहीं कि संसद सत्र नियमित रूप से चलाने का दायित्व सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का है। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर विरोध दर्ज करना विपक्ष की भूमिका का एक हिस्सा है और सत्तापक्ष से उम्मीद की जाती है कि वह विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण करे। मगर संसद में सार्थक और तर्कपूर्ण बहस करने के बजाय हंगामे से गतिरोध बनाए रखने से अंततः नुकसान देश की जनता का होता है। सियासी दलों और उनके जनप्रतिनिधियों को इस बात पर गंभीरता और गहराई से विचार करना चाहिए कि संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। जन प्रतिनिधियों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे उस जन सरोकार को प्राथमिकता दें, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। एक निर्दलीय सांसद ने तो संसद परिसर में प्रदर्शन कर यह मांग भी उठाई है कि सदन में हंगामे की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई सांसदों के वेतन से की जानी चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सामूहिक तौर पर प्रयास यही होना चाहिए कि सदन नियमित रूप से चले, ताकि जनकल्याण के लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण हो सके।

संवेदना और सुरक्षा

सड़कों-गलियों में खुला घूमने वाले कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय का शुक्रवार को आया ताजा निर्देश विवेकसम्मत और तार्किक है। निस्संदेह अदालत ने पशु प्रेमियों की संवेदनाओं का खयाल रखा है, लेकिन साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी नागरिक सड़क पर कहीं भी कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा। दरअसल, राजधानी में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे संज्ञान में लेकर अदालत ने उन्हें जल्द से जल्द सड़कों से हटा कर आश्रय स्थल भेजने का निर्देश दिया था। अदालत के इस फैसले को लेकर व्यापक स्तर पर चिंता जाहिर की गई कि क्या आवारा कुत्तों के प्रति थोड़ा नरम नहीं हुआ जा सकता है। मगर सवाल यह है कि इस पूरी समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर संबंधित महकमों की ओर से पशु जन्म नियंत्रण नियमों को गंभीरता से लागू किया गया होता, तो न कुत्तों की संख्या बढ़ती और न ही उन्हें सड़कों से हटाने की नौबत आती। अब अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा है कि हटाए गए कुत्तों का बंध्याकरण हो, टीकाकरण किया जाए और उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जहां से उन्हें हटाया गया था। हालांकि यह निर्देश आक्रामक व्यवहार वाले और संक्रमण के संदेह वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा।

गौरतलब है कि हर सभ्यता में कुत्ते मनुष्य के साथ रहे हैं। वे इंसानों के अच्छे साथी साबित हुए। संवेदना के स्तर पर परस्पर जुड़ाव महसूस किया जा सकता है। कुत्ते आज लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। मगर अब समय आ गया है कि हम उन कारणों की भी पड़ताल करें, जिनकी वजह से कुत्तों का व्यवहार आक्रामक हुआ। कई राज्यों में इनकी बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। अगर संबंधित निकायों ने ध्यान दिया होता, तो अदालत सख्त कदम नहीं उठाती। हालांकि उसका कहना सही है कि यह समग्र समस्या स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता का नतीजा है। कुत्तों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन कहीं भी उन्हें खाना खिलाने की आदत हमें बदलनी होगी। इसीलिए ताकीद की गई है कि इसके लिए खास जगह निर्धारित हो। इसे गंभीरता से लेने के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शीर्ष अदालत का निर्देश व्यापक और सार्थक है।

बैटरी कचरे का बढ़ता अदृश्य संकट

भारत जैसे-जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ रहा है, यह समझना अनिवार्य हो गया है कि अगर हमने इस बैटरी कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं किया, तो हमारी प्रगति का मार्ग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक विनाशकारी जाल बन सकता है।

रंजना मिश्रा

आज दुनिया बैटरी पर चल रही है। सुबह के अलार्म से लेकर रात में टीवी का रिमोट बंद करने तक, हमारी अंगुलियां दिन भर में दर्जनों बार बैटरी से चलने वाले उपकरणों को छूती हैं। हाथ में स्मार्टफोन, कलाई पर बंधी घड़ी, बच्चों के खिलौने, लैपटाप और अब तो हमारी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां भी बैटरी से ही चल रही हैं। यह तकनीकी प्रगति का उदाहरण है, जिसने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। मगर इस सुविधा का दूसरा पहलू भी है, जो उतना चमकीला नहीं है। यह पहलू है इस्तेमाल की हुई बैटरियों के कचरे का, जो एक अदृश्य और खतरनाक संकट के रूप में हमारे सामने खड़ा हो रहा है। भारत जैसे-जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ रहा है, यह समझना अनिवार्य हो गया है कि अगर हमने बैटरी कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं किया, तो हमारी प्रगति का मार्ग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक विनाशकारी जाल बन सकता है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। हर वर्ष करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रानिक उपकरण खरीदे जाते हैं और उनके साथ आती हैं करोड़ों बैटरियां। इनमें 'पेंसिल सेल' जैसी छोटी क्षार बैटरियों से लेकर मोबाइल फोन और लैपटाप में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियां और गाड़ियों तथा इनवर्टर में लगने वाली भारी-भरकम लेड-एसिड बैटरियां तक शामिल हैं। सरकार की 'फेम इंडिया' जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति स्वागत योग्य है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप आने वाले दशक में लिथियम-आयन बैटरियों का कचरा तेजी से हमारे शहरों में फैलेगा। सवाल है कि इन लाखों बैटरियों का जीवनकाल समाप्त होने पर उनका क्या होगा? अगर हम इन्हें साधारण कचरे की तरह फेंकते रहे, तो हम अपने ही घर में एक जहरीला 'टाइम बम' लगा रहे होंगे।

बैटरी कचरे को खतरनाक बनाने वाली चीज इसके अंदर मौजूद रसायन है। बाहर से ठोस और सुरक्षित दिखने वाली हर बैटरी के भीतर भारी और विषैली धातुओं का एक मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए, हमारी गाड़ियों और इनवर्टर में इस्तेमाल होने वाली लेड-एसिड बैटरियों में सीसा (लेड) और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सीसा शक्तिशाली न्यूरोटाक्सिन है, यानी यह सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। जब इन बैटरियों को अवैज्ञानिक तरीके से तोड़ा या फेंका जाता है, तो सीसा मिट्टी में और फिर भूमिगत जल में मिल जाता है। यह धीरे-धीरे हमारी खाद्य शृंखला में प्रवेश करता है। फिर यह पानी, सब्जियों और अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। बच्चों के लिए यह विशेष रूप से घातक है। सीसे के संपर्क में आने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक सकता है। उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है और व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

दूसरी ओर, आधुनिक उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों की जान कही जाने वाली लिथियम-आयन बैटरियां भी दूध की धुली नहीं हैं। इन्हें अक्सर 'हरित विकल्प' माना जाता है, लेकिन इनके कचरे का प्रबंधन भी बड़ी चुनौती है। इनमें लिथियम के अलावा कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसी धातुएं होती हैं। अगर इन्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए, तो ये भारी धातुएं रिस कर भूजल को प्रदूषित कर सकती हैं। इसी तरह, पुरानी पहियों और रिमोट में इस्तेमाल होने वाली बटन सेल में पारा (मर्करी) और खिलौनों की बैटरियों में कैडमियम जैसी अत्यंत विषैली धातुएं पाई जाती हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

> **भारत में बैटरी कचरे के प्रबंधन की जमीनी हकीकत चिंताजनक है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र यानी हमारे कबाड़ वालों के माध्यम से संचालित होता है। यह क्षेत्र एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ, ये कचरा बीनने वाले लोग हमारे घरों और दुकानों से इस्तेमाल की हुई बैटरियों को इकट्ठा करके पुनर्चक्रण शृंखला की पहली और सबसे अहम कड़ी का काम करते हैं। उनके बिना यह कचरा शायद हमारे घरों के कोनों में या कूड़ेदानों में ही पड़ा रहता। दूसरी तरफ, उनके काम करने का तरीका खुद उनके लिए असुरक्षित और पर्यावरण के लिए विनाशकारी है।**

भारत में बैटरी कचरे के प्रबंधन की जमीनी हकीकत चिंताजनक है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र यानी हमारे कबाड़ का कारोबार वालों के माध्यम से संचालित होता है। यह क्षेत्र एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ, कचरा बीनने वाले लोग हमारे घरों और दुकानों से इस्तेमाल की हुई बैटरियों को इकट्ठा करके पुनर्चक्रण शृंखला की पहली और सबसे अहम कड़ी का काम करते हैं। उनके बिना यह कचरा शायद हमारे घरों के कोनों में या कूड़ेदानों में ही पड़ा रहता। दूसरी तरफ, उनके काम करने का तरीका खुद उनके लिए असुरक्षित और पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। वे बिना किसी सुरक्षा उपकरण, जैसे दस्ताने या मास्क के इन जहरीली बैटरियों को हथौड़ों से तोड़ते हैं। लेड-एसिड बैटरियों से तेजाब को खुले में नालियों में बहा दिया जाता है और सीसे को छोटी-छोटी भट्ठियों में पिघलाया जाता है, जिससे जहरीला धुआं सीधे हवा में घुल जाता है। इस प्रक्रिया में काम करने वाले श्रमिक खुद सीसा विषाक्तता, त्वचा रोगों और सांस की गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। इस तरीके से केवल कुछ मूल्यवान धातुओं की ही वसूली हो पाती है और बाकी जहरीले तत्त्व लापरवाही से जमीन या पानी में फेंक दिए जाते हैं, जो अंततः हमारे पास लौट कर आते हैं।

इस गंभीर स्थिति को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगस्त 2022 में, सरकार ने 'बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022' अधिसूचित किया। ये नियम पुराने नियमों की जगह लेते हैं। ये एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसे 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' कहा जाता है। सरल शब्दों में, अब बैटरी बनाने वाली या उसे आयात करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ बैटरी बेचने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब वह बैटरी खराब हो जाए, तो उसे उपभोक्ताओं से वापस इकट्ठा किया जाए और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण किया जाए।

इन नए नियमों के तहत, सभी प्रकार की बैटरियों- पोर्टेबल, आटोमोटिव, औद्योगिक और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों को शामिल किया गया है। उत्पादकों के लिए हर वर्ष एक निश्चित मात्रा में पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करने और उन्हें पंजीकृत पुनर्चक्रण करने वालों को सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितनी बैटरियां बाजार में बेची गई और उनमें से कितनी वापस पुनर्चक्रण के लिए आईं। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैटरी कचरे को कूड़े के ढेर में दबाना या जलाना प्रतिबंधित है। यह नीति सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत है और अगर इसे सही भावना से लागू किया जाए, तो यह भारत में बैटरी कचरे के प्रबंधन का चेहरा बदल सकती है।

हमें बैटरी पुनर्चक्रण को केवल कचरा प्रबंधन के रूप में नहीं, बल्कि एक आर्थिक अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। आज भारत लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्त्वपूर्ण धातुओं के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पुरानी बैटरियों से इन धातुओं को निकालने की गुंजाइश बन सकी तो हम अपनी आयात निर्भरता कम कर सकते हैं। यह एक 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जहां कचरे को फेंकने के बजाय उसे वापस एक मूल्यवान संसाधन में बदल दिया जाता है। इससे न केवल हमारा पर्यावरण बचेगा, बल्कि नए रोजगार भी पैदा होंगे और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य के लिए, हमें अपनी बैटरियों का जिम्मेदारी से समापन करना सीखना ही होगा।

भय बनाम साहस

राकेश सोहम्

भय क्या है? यह कहना बड़ा कठिन है। सवाल है कि भय है भी या नहीं, क्योंकि भय का कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई साकार रूप नहीं होता। यह होता है बस। अंग्रेजी में कहें तो भय 'इंटेंजिबल' है। आशय यह कि इसे छुआ नहीं जा सकता। पर यह दिलचस्प है कि नहीं होते हुए भी भय होता है। यह व्यक्ति को डराता है। जिस कारण को एक व्यक्ति भय कहता है, दूसरा उसमें आनंदित होता है। आमतौर पर कई लोग कीड़े-मकोड़ों से डरते हैं। सांप का नाम सुनकर ही जान निकल जाती है। अंधेरे में रस्सी को ही सांप समझ बैठते हैं और भाग खड़े होते हैं या उनकी चीख निकल जाती है। वही सपेरा इनसे खेलता हुआ प्रतीत होता है। सपेरे के बच्चे सांपों के साथ क्रीड़ा करते हैं!

चिंतक मानते हैं कि व्यक्ति की मानसिक, आत्मिक या शारीरिक हानि के विरुद्ध जो खड़ा होता है, वह भय के बाद की मनोस्थिति है। अपनों के अहित के विरुद्ध जो खड़ा है वह भी यही है। मृत्यु के कारण के विरुद्ध खड़ा भय सबसे बड़ा होता है। भय हर स्थिति में उपस्थित होता है। अनिष्ट में वह हमेशा रहता है। विकट परिस्थितियों में भय की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। जब हम कहते हैं कि भय नहीं है, तब वह साहस बनकर खड़ा होता है। तब फिर सवाल उठता है कि क्या 'भय' ही 'साहस' है? निर्भय या निर्भीक व्यक्ति को साहसी कहा जाता है। उनके भीतर भय नहीं होता, इसलिए वह साहसी कहलाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि भय से भरा हुआ व्यक्ति संकट की घड़ी में मरते दम तक संघर्ष करता है!

दरअसल, उसका संघर्ष उसके साहस का परिणाम होता है। साहस उसके भय के परिवर्तन की परिणति। जब बचने का कोई रास्ता न दिखे, तब विकट परिस्थितियों में व्यक्ति के मुख से निकलते हैं यह शब्द 'अब जो होगा देखा जाएगा।' उसके ये शब्द भय के साहस बनकर खड़े होने का उदाहरण है। 'भय' और 'साहस' को एक सिक्के के दो पहलू माना जा सकता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में नियति एक अदृश्य सिक्का उछालती है जो व्यक्ति की तासीर के अनुरूप 'चित' या 'पट' गिरता है। तब वह व्यक्ति या तो भयभीत होकर भाग खड़ा होता है या फिर युद्ध के लिए साहस के साथ खड़ा हो जाता है। सवाल है कि क्या एक ही समय व्यक्ति के भीतर भय और साहस दोनों हो सकते हैं?

अक्सर भयभीत व्यक्ति साहस नहीं जुटा पाते और कभी ऐसा भी होता है कि साहसी व्यक्ति भी भयभीत हो जाते हैं। 'भय बिनु प्रीत न होत गोसाईं'। इसमें छिपा मर्म गहरा है। मर्मज्ञों ने इसकी व्याख्याएं की हैं। इसके अर्थ को ऐसा भी माना जा सकता है कि वह भय ही है जो प्रेम के लिए साहस बनकर खड़ा हो जाता है और प्रेम जैसे साहसिक कार्य कर पाता है। भय कब साहस में बदलेगा? यह द्रव्य के वाष्प में बदलने जैसा मामला है। भिन्न द्रव्य के वाष्पीकरण का तापमान अलग-अलग होता है। इसलिए कई बार एक भयभीत व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में तुरंत अदम्य साहस का परिचय देता है और कोई मरते दम तक भयाक्रांत केवल चीखता रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का संघर्ष दैहिक धरातल पर होता है, जबकि उसकी साहसिक चेतना शून्य रहती है।

आमतौर पर लोकप्रिय फिल्मों में खलनायक साहसी किरदार को प्रपंच रचकर भयभीत करने की कोशिश करता है। कभी-कभी कई जांबाजों को धूल चटाने वाला नायक कथानक की जरूरत के मुताबिक डर कर हथियार डाल देता है। उसका साहस भय में बदल जाता है। यह क्रिया पदार्थ के गलनांक के जैसा मामला है कि किस दबाव में कोई पदार्थ पिघलकर बिखर जाएगा। विज्ञान के अनुसार यह दबाव अलग-अलग पदार्थ के लिए भिन्न होता है। हालांकि यह कतई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का साहस भय में बदल ही जाए। आजकल भय की भक्ति का दौर चल रहा है। लोग भयभीत हैं। भय विक्रेता चालाक बाबा, ओझा और धर्म प्रचारक भक्तों की भीड़ जुटा रहे हैं। वे लोगों की दरिद्रता का भय, मृत्यु का भय, संतान न होने का भय, व्यापार में हानि का भय और न जाने कितने भय दिखाकर अपना भक्त बना रहे हैं। लोग डर की वजह से न केवल आस्था से जुड़ते हैं, बल्कि कुछ तथाकथित बाबा-वैरागियों के भक्ति में सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। लोगों के अंधविश्वास पर आधारित धारणाएं मजबूत होने के कई खमियाजा सामने आते रहे हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **भय हर स्थिति में उपस्थित होता है। अनिष्ट में वह हमेशा रहता है। विकट परिस्थितियों में भय की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। जब हम कहते हैं कि भय नहीं है, तब वह साहस बनकर खड़ा होता है। तब फिर सवाल उठता है कि क्या 'भय' ही 'साहस' है? निर्भय या निर्भीक व्यक्ति को साहसी कहा जाता है।**

भय पर आधारित 'डिजिटल अरेस्ट' वर्तमान की अधुनातन ठगी है। यानी इस तरह लूटने के लिए लोगों को पहले भयभीत ही किया जाता है और फिर उन्हें अपने मन-मुताबिक संचालित किया जाता है। लोगों का भय उन्हें मोबाइल की स्क्रीन से हटने नहीं देता। वे कई घंटे या फिर कई दिनों तक मोबाइल की कैद में जीते हैं। रोज कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। सावधान रहने के जोर-शोर से प्रचार-प्रसार के बावजूद इन मामलों में कमी नहीं दिखाई देती। दरअसल, लोगों का अंदरूनी भय उन्हें चैतन्य नहीं होने दे रहा। वे लगातार भय में जी रहे हैं और ठगों की चल निकली है। भय-मुक्त प्रेम को ही निस्वार्थ प्रेम माना गया है। भय पर आधारित भक्ति निस्वार्थ-भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि निस्वार्थ भक्ति ही असल भक्ति है। लोगों की चैतन्य बुद्धि और जागृत मानसिक दशा से ही डर की दुकानों का कारोबार बंद होगा।

जड़ता की हिंसा

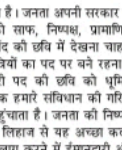

समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराओं की बेड़ियां आज भी कई मासूम जिंदगियों को निगल रही हैं। अंतरजातीय विवाह हो या प्रेम संबंध, परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर होने वाली हत्या एक ऐसी सच्चाई है, जो आधुनिक भारत की तस्वीर पर धब्बा बन गई है। हाल की घटनाओं ने यह सवाल और गहरा कर दिया है कि क्या परंपरा के शिकंजे में इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है? तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में शिक्षा और नौकरियों की वजह से दलित समाज पहले से अधिक सशक्त हुआ है। हाल ही में बिहार के दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में ऐसी ही एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी के सामने उसके पति की गोली मार कर हत्या कर दी। दरअसल, इन राज्यों में अंतरजातीय विवाह की संख्या अधिक है। इसके साथ ही झूठी शान के नाम पर होने वाली हत्या के मामले भी यहां अधिक होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2019 और 2020 में ऐसे 25 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में बढ़ कर 33 हो गए। यह हिंसा उन महिलाओं को निशाना बनाती है, जो अपनी पसंद से विवाह करने का साहस दिखाती हैं।

– रवि रंजन, नई दिल्ली

प्रभुत्व की होड़

तकनीक हमेशा शक्ति संतुलन को बदलती रही है। बारूद, छापाई मशीन, बिजली, इंटरनेट हर आविष्कार ने भू-राजनीति की नई पटकथा लिखी। आज वही भूमिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता निभा रही है। यह सिर्फ तकनीकी विकास का सवाल नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व की नई होड़ का आधार है। अमेरिका और चीन इस दौड़ के मुख्य धुरव बन चुके हैं। अमेरिका जहां ओपनएआइ, गूगल और माइक्रोसाफ्ट जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ अनुसंधान की अग्रिम पंक्ति में है, वहीं चीन अपने राज्य-नियंत्रित माडल से डेटा और अनुप्रयोगों की अपार शक्ति जुटा रहा है। यूरोप इस होड़ में अपेक्षाकृत पीछे है, पर उसने एआइ विनियमन में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से अपनी अलग छाप छोड़ी है। इस स्पर्धा का असर केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा यह आने वाले समय में सैन्य रणनीति, आर्थिक नियंत्रण, सूचना-प्रवाह और यहां तक कि सांस्कृतिक प्रभुत्व तक फैलेगा।

– अमन सिंह गौर, वाराणसी, उप

निष्पक्षता की जरूरत

हाल ही में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और उसके बाद तीस दिनों तक जेल में रहने पर पद से हटाए जाने के विधेयक को लोकसभा में पेश करने की केंद्र सरकार की पहल को सराहनीय कदम माना जा सकता है। कई बार सरकार में मंत्री बन गए या फिर अन्य जनप्रतिनिधियों को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोपी पाया जाता है, जिससे जनता में नकारात्मक भावना उपजती है। जनता अपनी सरकार के प्रतिनिधियों को साफ, निष्पक्ष, प्रामाणिक और न्याय पसंद की छवि में देखना चाहती है। आरोपी मंत्रियों का पद पर बने रहना न केवल सरकारी पद की छवि को धूमिल करता है, बल्कि हमारे संविधान की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। जनता की निष्पक्ष सेवा करने के लिहाज से यह अच्छा कदम है, बशर्ते इसे लागू करने में ईमानदारी और लोकतांत्रिक तकाजा ध्यान में रखा जाए।

– अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

ठगी का दायरा

आए दिन 'डिजिटल अरेस्ट' और ठगी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी कितनी ही वारदात हो चुकी है, लेकिन सबक के नाम पर शून्य ही नजर आता है। हम भले ही तकनीकी युग और संसाधनों के बीच जी रहे हैं, पर पुलिस तंत्र ठगी पर अंकुश लगाने में नाकाम ही रहा। अब तो ये घटनाएं ज्यादा ही होने लगी हैं। शिक्षित वर्ग भी डिजिटल ठगी का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया प्रभावी होने और पुलिस की निगरानी के बावजूद अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना संभव नहीं हुआ है। आखिर कब तक ठगी की ये घटनाएं निर्दोष लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती रहेंगी? कारगर रणनीति या प्रभावी ठोस कदम उठाए जाएं, तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। अपराधी लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं, लेकिन पुलिस और सत्ता तंत्र मूकदर्शक बना रहता है।

– योगेश जोशी, कंचर कालोनी, बड़वाह

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

हिन्दुस्तान 1936

आधार की वैधता

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संदर्भ में शुक्रवार, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। अदालत का आधार संबंधी ताजा आदेश न सिर्फ आश्वस्तकारी है, बल्कि भविष्य की ऐसी किसी भी कवायद के लिए एक मानक तय करता है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को हुक्म दिया है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। साथ ही राज्य के राजनीतिक दलों को भी निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए जिन ग्यारह दस्तावेजों को वैध माना था, उनमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था। इससे काफी सारी विसंगतियां पैदा हो गईं और करीब 65 लाख लोगों के नाम मसौदा सूची से बाहर हो गए। स्वाभाविक ही इस मुद्दे पर सियासत गरमाई और अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई थी।

निस्संदेह, चुनाव आयोग ने एक अच्छी मंशा के तहत ही यह प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि बिहार विधानसभा के आसन्न चुनावों को अधिक साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। मगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए जितने वक्त की दरकार थी, आयोग शायद इसको भांप नहीं सका। इसीलिए वैध दस्तावेजों का निर्धारण करते हुए उससे बिहार की सामाजिक-आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों की अनदेखी हुई।

एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आधार संबंधी ताजा आदेश न सिर्फ न्यायोचित है, बल्कि भविष्य की ऐसी किसी कवायद के लिए एक मानक भी तय करता है।

अव्वल तो, जिस मौसम में यह कवायद हो रही है, उसमें इस सूबे की एक बड़ी आबादी बाढ़ से त्रस्त रहती है। फिर, आधार जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध सरकारी दस्तावेज की अनदेखी ने भी लोगों को चौंकाया, क्योंकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आधार कार्ड अनिवार्यतः मांगा जाता है। लोगों में इससे संदेह पैदा हुआ, विवाद बढ़ा और निरर्थक राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों को जगह मिली। खुद चुनाव आयोग को कटु आलोचनाएं झेलनी पड़ीं और अब उसे आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। आयोग इस अप्रिय स्थिति को उस वक्त भी टाल सकता था, जब आरंभिक सुनवाई के दौरान माननीय जजों ने यह अपेक्षा जताई थी कि आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मानने पर विचार हो। यह नैतिक रूप से भी उचित होता, क्योंकि जिस आधार नंबर के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई, जिसके बायोमेट्रिक डाटा के संरक्षण के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसे सिरे से नकारने का कोई तुक नहीं था।

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है, तो राज्य के सभी 12 राजनीतिक दलों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों की मदद करें और प्रस्तुत मसौदे में जो भी त्रुटियां हैं, उनको दुरुस्त करने में आयोग की सहायता करें। आयोग ने अदालत को सूचित किया है कि बाहर हुए करीब 65 लाख लोगों में से 22 लाख की मृत्यु हो चुकी है, जबकि आठ लाख नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं। यदि आयोग के इस दावे को मानें, तो लगभग 35 लाख लोग कोई दस्तावेज न होने के कारण मतदाता सूची से बाहर हुए हैं? राजनीतिक दलों के पास इतने बड़े मतदाता वर्ग की सेवा का यह अहम मौका है। दुर्योग से, हमारे यहां आरोप लगाने की संस्कृति ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं लगता। मगर सत्ता के दावेदारों को नहीं भूलना चाहिए कि चंद हजार वोटों के अंतर से उनका भाग्य पलट सकता है। इसलिए उन्हें जमीन पर सक्रिय होना चाहिए।

देश के राजनीतिक जीवन में शुचिता लाने के इरादे से केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, मगर विपक्षी दल इसके प्रावधान को खतरनाक मान रहे हैं। उन्हें आशंका है कि इसके दुरुपयोग से राज्य सरकारें अस्थिर की जा सकती हैं।

आमने-सामने

शीर्ष पदों का सम्मान बचाने वाला विधेयक

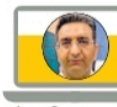

यहां स्कैन करें

गौरव भाटिया | राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

भारतीय लोकतंत्र के लिए राजनीति का अपराधीकरण सबसे गंभीर खतरों में से एक है। आज भी अनेक विधायक और सांसद भ्रष्टाचार से लेकर संगठित अपराध के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में, संसद में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक कानून बनकर इसके विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

यह विधेयक देश की सामूहिक इच्छाशक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार-मुक्त और अपराध-मुक्त राजनीतिक नेतृत्व के दृष्टिकोण को दृढ़ता से उजागर करता है। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ने 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' का उद्घोष करके जवाबदेही और सत्यनिष्ठा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि सरकारें जेल से नहीं चलाई जाएंगी। भारत को ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो संदेह से परे हों। विधेयक में 30 दिन की न्यायिक हिरासत का प्रावधान है, जो दोनों पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह न तो तुच्छ और राजनीतिक गिरफ्तारी पर लागू होगा और न ही न्यायिक समीक्षा को हल्के में लेगा। लंबी न्यायिक हिरासत तभी संभव है, जब कोर्ट को आरोपी के खिलाफ गंभीर आधार मिलते हैं। यह विधेयक शून्य में नहीं बना है, बल्कि पहले के ढांचे पर ही आधारित है। संविधान का अनुच्छेद 75(1बी) और 164 (1बी) पहले से ही दलबदल करने वालों को मंत्री बनने के अयोग्य ठहराते हैं। अनुच्छेद 102 और 191 दंडित होने पर सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करते हैं।

राजनीति केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, यह ऊंचे नैतिक मानदंड स्थापित करने का दायित्व है। यदि एक सरकारी क्लर्क की गिरफ्तारी पर उसे निलंबित किया जा सकता है, तो मंत्री क्यों अपवाद बने रहें? यह विधेयक याद दिलाता है कि लोक पद व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, एक पवित्र दायित्व है। जो भी इस विश्वास को तोड़ेगा, उसे अस्थायी रूप से ही सही, पद छोड़ना होगा। कांग्रेस शासन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया गया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने तुरंत पद से इस्तीफा दे दिया। वह सार्वजनिक जीवन में तब लौटे, जब अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया। इसी प्रकार, लालकृष्ण आडवाणी पर जब जैन हवाला मामले में बेबुनियाद आरोप लगाए गए, तब उन्होंने सांसद पद छोड़ दिया। उन्होंने तब साफ घोषणा की थी कि 'जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता, संसद में वापस नहीं आऊंगा।'

इसकी तुलना आज के राजनीतिक आचरण से कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने छह महीने तक जेल से अपनी सरकार चलाई, जेल को ही मुख्यमंत्री कार्यालय बना दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद केजरीवाल मंत्रिमंडल के सदस्य सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथों से होता है।' एक अन्य उदाहरण डीएमके के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी का है, जिन्होंने हिरासत के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को उनके पद पर बने रहने पर रोक लगानी पड़ी। 130वां संविधान संशोधन गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बीच की खाई को पाटता है और सांविधानिक शुचिता के सिद्धांत को मजबूती देता है। यह साफ-सुथरे शासन और राजनीति के अपराधीकरण के बीच के चुनाव को आईना दिखाता है। यह किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है। लोकतंत्र चुनावों से ही नहीं, बल्कि संस्थाओं की शुचिता से भी आंका जाता है। जब अखबारों की सुर्खियों में आता है कि 'मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं', तब यह भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करता है।

मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, 'प्रधानमंत्री से यह वैध अपेक्षा की जा सकती है कि वह ऐसे व्यक्ति को मंत्री न बनाएं, जिसके खिलाफ जघन्य अपराधों में आरोप तय हो चुके हों। संविधान यही संकेत देता है और प्रधानमंत्री से यही सांविधानिक अपेक्षा है। संसद को चाहिए कि वह इस नैतिकता को कानून में रूपांतरित करे। मौजूदा विधेयक इसी अपेक्षा को मूर्त रूप देता है। यह विधेयक संविधान सभा की दृष्टि, आडवाणी और अमित शाह जैसे नेताओं के उदाहरण तथा सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षाओं का सम्मान करता है। जैसा कि गृह मंत्री ने विधेयक पेश करते समय कहा, 'इसका उद्देश्य सरल किंतु गहरा है- सार्वजनिक विमर्श का नैतिक स्तर उठाना और शासन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना।'

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हमारे गणतंत्र के संघीय ढांचे पर सीधा हमला

यहां स्कैन करें

आलोक शर्मा | राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

संसद का मानसून सत्र जब समाप्त होने में सिर्फ दो दिन रह गया था, तब सरकार द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के लिए एक अजीबोगरीब प्रावधान है। इस मसौदे के मुताबिक, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिनों तक लगातार जेल में रहता है, चाहे उसके विरुद्ध जांच एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो या नहीं, उनको त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उनका वर्तमान पद स्वतः चला जाएगा।

इस विधेयक के कानून बनने से हम मौजूदा अघोषित आपातकाल से सुपर आपातकाल की ओर बढ़ जाएंगे। जिस दौर में तमाम सांविधानिक संस्थाएं सरकार के कब्जे में प्रतीत होती हैं; शीर्ष न्यायालय जांच एजेंसी ईडी को नियमित रूप से फटकार लगाता हो; ईडी 96 फीसदी मुकदमे विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर दायर करता हो; केंद्रीय चुनाव आयोग विपक्ष को डाटा देने से इनकार करता हो; पूर्व सीबीआई निदेशक की पेंशन बंद हो, अंदाज लगाया जा सकता है कि देश की हालत क्या होगी? यहां इस तथ्य पर गौर करने की जरूरत है कि विपक्ष शासित झारखंड में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने केंद्रीय एजेंसी ईडी पहुंच गई थी। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते समय टिप्पणी की कि कोई ठोस सुबूत नहीं है, तो समझिए जब 130वां संशोधन विधेयक कानून बन गया, तब लोकतंत्र का क्या होगा? इसलिए विपक्ष पूरी तरह से इस विधेयक के खिलाफ है। विरोध तो सरकार के घटक दल भी दबी जुबान से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस कानून का पहला दुरुपयोग उनके खिलाफ ही होगा।

इस विधेयक में प्रावधान है कि आरोपी को अपने आपको निर्दोष साबित करना होगा। साफ है, देश को एक पुलिस स्टेट में बदलने का प्रयास है। यदि यह विधेयक पारित हुआ, तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। यह भारतीय गणतंत्र के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। इससे कार्यपालिका के जरिये जनादेश की अवहेलना का रास्ता खुल जाएगा। केंद्र सरकार के लिए राज्यों की विपक्षी सरकारों को अस्थिर करना बेहद आसान हो जाएगा। यह कोई छिपा रहस्य नहीं है कि देश की फास्ट ट्रैक अदालतों को फैसले तक पहुंचने में महीनों-वर्षों लग जाते हैं, वहां तीस दिन के भीतर किसी भी मंत्री के मामले की सुनवाई हो जाए, यह उम्मीद पालना भी नितांत भोलापन ही है।

गौर कीजिए, यह विधेयक इसी समय क्यों आया है? दरअसल, 'ऑपरेशन सिंदूर' के सीजफायर, भारत से आयात पर अमेरिका द्वारा 50 फीसदी टैरिफ थोपने और मतदाता सूचियों की गड़बड़ियां देश की जनता के सामने आ गई हैं। केंद्र सरकार इन सभी विषयों पर घिर गई है, इसलिए वह इस विधेयक के जरिये लोगों का ध्यान भटकाना और अपने खिलाफ बढ़ते विरोध की धार को कुंद करने का असफल प्रयास कर रही है। साल 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) कानून बनाया था, तब उसमें प्रावधान किया गया कि दो वर्ष से अधिक सजा पाने वाला व्यक्ति कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इस कानून में सभी जन-प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाया गया था, मगर 130वां संशोधन विधेयक सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करता है।

सरकार ने इस विधेयक को मानसून सत्र के आखिरी दिनों में इसलिए पेश किया है कि इस पर संसद में चर्चा न हो सके। इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। अगर यह कानून बना, तो इसका दुरुपयोग सरकारें गिराने, दल-बदल कराने, राज्यों में अस्थिरता फैलाने और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक के सभी राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का प्रखर विरोध किया है। देश के अनेक कानूनविदों ने भी इस पर सख्त आपत्ति जताई है। इसके अमल में आने के बाद किसी भी नेता का राजनीतिक करियर खत्म किया जा सकता है। हमारे देश में दहेज विरोधी, बलात्कार व छेड़छाड़ विरोधी उद्देश्यपूर्ण कानून भी दुरुपयोग के कारण लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। इस कानून से तो लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार हमारे मूल लोकतांत्रिक अधिकारों को चोट न पहुंचा सके, इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का भविष्य संवारता इसरो

यहां स्कैन करें

पल्लव बागला | वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने साल 2023 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उस वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले देश बने। इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए भारत आज अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इस बार यह मौका इसलिए भी खास है, क्योंकि अभी-अभी भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में बिताकर लौटे हैं, जिनमें से 18 दिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। यह यात्रा एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा था, जिसे भारतीय पर्यवेक्षक अक्सर 'मिशन आकाशगंगा' कहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला के इस मिशन की खूब सराहना की और कहा कि यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। वाकई, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए अब तारों तक पहुंचना आम बातें होती जा रही हैं। चंद्रमा और मंगल पर पहुंचने के बाद हमारी नजरें शुक्र से जुड़े मिशन और चंद्रमा से नमूना वापस लाने पर टिकी हुई हैं। इतना ही नहीं, भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट के जरिये भारतीय नागरिक को मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान पर भेजने की योजना भी तेजी से आकार ले रही है।

जाहिर है, भारत की अंतरिक्ष यात्रा नई ऊंचाइयों को छू रही है। एक के बाद दूसरी मिल रही सफलताओं का नतीजा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जनवरी 2025 में अपने 100वें रॉकेट का प्रक्षेपण किया, जिसमें एक नेविगेशन उपग्रह भी था, जो भारत की स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन था। इन्हीं उपलब्धियों का एक अहम पड़ाव बीती 30 जुलाई को 1.3 अरब डॉलर की लागत वाले नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी 'निसार' सैटेलाइट का किया गया प्रक्षेपण है, जो भारत और अमेरिका का साझा मिशन है। भारत के जीएसएलवी एफ-16 द्वारा प्रक्षेपित निसार में नासा और इसरो के दोहरे आवृत्ति वाले एसएआर पेलोड लगे हैं और यह जलवायु परिवर्तन, आपदाओं व कृषि पर नजर रखेगा। इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने उचित ही इसे भारत के तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक सहयोग का प्रतीक बताया, और कहा कि भारत की क्रायोजेनिक प्रक्षेपण प्रणालियां सटीक व भरोसेमंद साबित हो रही हैं।

भारत के अंतरिक्ष अभियान तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं और भरोसेमंद भी। यही कारण है कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी बनता जा रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर विशेष-

वास्तव में, भारत का रोडमैप गगनयान तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने इससे आगे की साहसिक रूपरेखा भी खींच दी है। उनके मुताबिक, हमें 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करनी है और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय को उतारना है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो यकीनन भारत स्वदेशी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करने वाले उस 'एलिट क्लब' का हिस्सा बन सकता है, जिसके फिलहाल तीन सदस्य हैं- रूस, अमेरिका और चीन। यह दिन दूर भी नहीं, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष अभियान तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं और भरोसेमंद भी। यही कारण है कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी बनता जा रहा है। सरकार ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के लिए पहले ही अरबों डॉलर रकम आवंटित करके अपनी गंभीरता का परिचय भी दे दिया है।

भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं की बात करें, तो चंद्रयान-4 भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिशन से फिर से चांद से नमूना लाने की तैयारी हो रही है। इसी तरह, शुक्र ग्रह के लिए एक अभियान, नए शक्तिशाली रॉकेट का विकास, 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन (भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन) और इसकी पूर्वयोजना के रूप में 2028 में एक अंतरिक्ष मॉड्यूल का प्रक्षेपण आदि सभी उल्लेखनीय योजनाएं हैं। इन सबकी परिणति 2040 में चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने के रूप में हम देख सकते हैं।

आज 300 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्ट-अप चल रहे हैं, जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को नई गति दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में अभी 50 से ज्यादा भारतीय उपग्रह सक्रिय हैं, जो यहां की उभरती अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में, यह दावा अतिरंजित नहीं कि 'जब हम 2047 में भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब चांद पर भी भारतीय तिरंगा लहरा रहा होगा'। निस्संदेह, यह वक्त अंतरिक्ष विज्ञान में सिरमौर बनने का है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 23 अगस्त, 1950

ओवन के प्रयास

काश्मीर की समस्या को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा मनोनीत सर ओवन डिक्सन के लगभग चार महीनों के प्रयास का क्या परिणाम आया, इस बारे में यद्यपि अभी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, किन्तु यह करीब-करीब ज्ञात हो गया है कि उन्हें सफलता नहीं मिली। यह कहा जा रहा है कि वह एक-दो दिन में लेक सक्सेस के लिए रवाना हो जायेंगे और अपनी विफलता की कहानी सुरक्षा परिषद के सामने रख देंगे। बंगाल के अल्पसंख्यकों के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच गत अप्रैल में जो समझौता हुआ था, उसके बाद यह आशा बलवती हो गई थी कि काश्मीर की समस्या का भी कोई न कोई हल निकल आयेगा। किन्तु जब सर ओवन द्वारा आयोजित नेहरू-लियाकत मुलाकात का परिणाम निराशाजनक आया, तो सर ओवन के मिशन की सफलता संदिग्ध हो गई। उसके बाद सर ओवन ने काश्मीर के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच मतैक्य स्थापित करने के जो भी प्रयास किये, उनकी तुलना किसी डूबते हुए प्राणी के अंतिम प्रयत्नों से की जा सकती है जो थककर चूर हो जाने के बावजूद अपने प्राण बचाने के लिए मध्य धारा में हाथ-पांव पीटने की कोशिश करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सर ओवन ने भारत और पाकिस्तान में समझौता कराने का अपने बूते प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा होगा। किन्तु दोनों देशों के दृष्टिकोण में काश्मीर की समस्या के बारे में बुनियादी तौर पर इतना अंतर है कि ऊपरी तौर पर कुशल से कुशल व्यक्ति भी खाई को नहीं पाट सकता। सर ओवन को समझौता कराने का यश नहीं मिला। किन्तु इसमें उनका अपना कोई दोष नहीं। असल में काश्मीर कमीशन ही उनके लिए मैदान काफी बिगड़ी हुई हालत में छोड़ गया था। अतः सर ओवन की विफलता पर उनके प्रति सहानुभूति ही प्रदर्शित की जायेगी।

काश्मीर में जनमत-संग्रह की शर्तों के बारे में मतभेद चला आ रहा था। भारत काश्मीर को एक ईकाई मानकर चलता है। पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप काश्मीर का कुछ इलाका उससे अलग कर लिया गया है। भारत ने काश्मीर का भविष्य तय करने के लिए जनमत-संग्रह की बात स्वीकार की है, किन्तु जनमत-संग्रह से पहले काश्मीर की वही स्थिति हो जानी चाहिए, जो पाकिस्तान के आक्रमण से पहले थी।

मनसा वाचा कर्मणा

ज्ञान को बोझ न बनाएं

यहां सब कुछ पुनरावृत्त होता है। पृथ्वी करोड़ों वर्ष पुरानी है, पहाड़, जल, हवा, सब कुछ। अरबों लोगों ने उसी हवा में सांस ली है। तुम भी पुनरावृत्त होते हो। तुम्हारे शरीर के सभी कण पुराने हैं; तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं पुनरावृत्त हैं, तुम्हारा मन भी पुनरावृत्त है। चेतना पुनरावृत्त है, वही पुरानी चेतना है।

अपने आप को याद दिलाओ कि यहां सब कुछ पुनरावृत्त है और फिर शांत हो जाओ। सब कुछ वहीं जाता है, जहां से आया है। पुनरावृत्ति फिर से शुद्धता और स्वच्छता लाती है।

ज्ञान मन को पुनरावृत्त करता है। ज्ञान सब कुछ नवीन रखता है। इसीलिए, इसी सृष्टि की बार-बार पुनरावृत्ति हो सकती है। प्रज्ञावान मन को सब-कुछ नवीन लगता है। यदि तुम ज्ञान में नहीं रहते, तब मन अशुद्ध होने लगता है। ज्ञान वापस मन को शुद्ध करता है।

पुनरावृत्ति स्वच्छता और शुद्धता लाती है। मगर ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हारा भोलापन ले ले। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हें विशेष होने का एहसास दिलाए। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हें महसूस कराए कि तुम ज्ञानी हो। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह जीवन में संकलित न हो। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह प्रसन्नता न लाए। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हें मुक्त न करे।

याद रखो, ज्ञान और संदेश में अंतर है। भोजन में डाली जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की सूची तुम पढ़ सकते हो, तुम संदेश पढ़ सकते हो, पर जब उस भोजन का स्वाद लेते हो, तभी वह जानकारी ज्ञान बनती है। वर्तमान क्षण में जीने के विषय में तुम बार-बार पढ़ सकते हो, परंतु यह ज्ञान तभी बनता है, जब तुम्हें इसका अनुभव होता है।

श्री श्री रविशंकर

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

बहुत सारे नेता आज मानवाधिकारों को समस्या के रूप में देखते हैं। मगर हम जानते हैं कि ये समाधान हैं। ये शांति की नींव हैं और संघर्ष एवं अराजकता के बीच सुरक्षा व आशा का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

अनुलोम-विलोम
ऑनलाइन गेमिंग

ऑनलाइन गेम के मायाजाल पर चाबुक

ऑनलाइन गेम एक ऐसा मायाजाल है, जिसमें खिलाड़ी इतना रम जाता है कि उसे आस-पड़ोस तक की सुध नहीं रहती। इसकी लत भी बदतर है और हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। पारंपरिक खेलों में शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा मिलता है, जबकि ऑनलाइन गेम में शरीर सुस्त पड़ने लगता है और दिमाग सुन्न। इन खेलों का सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन लोगों में अवसाद, चिंता और मानसिक विकार की समस्याएं दिखती हैं। इतना ही नहीं, हर साल इस तरह के एप पर लोग करोड़ों रुपये गंवा रहे हैं। इस सूरतेहाल में सरकार ने पैसे वाले ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित करने का जो नया कानून बनाया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह देर से उठाया गया, मगर एक दुरुस्त कदम है।

दरअसल, युवा पीढ़ी इतनी डिजिटल फ्रेंडली है कि वह शौक-शौक में पहले ऐसे खेलों में फंसती है और फिर दलदल में धंसती चली जाती है। यहां तक कि कम आयु के बच्चे भी इसके आदी हो रहे हैं। रातोंरात मालामाल होने का लोभ वे संवरण नहीं कर पाते। ऑनलाइन गेमिंग एप इस मानसिकता को समझते हैं, इसलिए वे फिल्म स्टार या क्रिकेट के दिग्गजों से अपना प्रचार करवाते हैं। चूंकि ये एप मात्र अपने मालिकों के हितों का पोषण करते हैं और देश के युवाओं को कुंद बना रहे हैं, इसलिए सरकार ने सबके हितों को प्राथमिकता देते हुए इन एप पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया, जो अब कानून की शक्ल ले चुका है। यह बताता है कि सरकार कितनी अच्छी मंशा के साथ काम कर रही है। वह देश के भविष्य को बचाना चाहती है। वह नहीं चाहती कि युवा पीढ़ी, जिस पर देश के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है, पैसे वाले ऑनलाइन खेलों में इतनी रम जाए कि अपना सुध-बुध खो बैठे।

आंकड़े बताते हैं कि 45 करोड़ से अधिक लोगों को पैसे वाले ऑनलाइन गेम खेलने की लत है और इस चक्कर में वे सालाना 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाते हैं। यानी, ऑनलाइन गेमिंग एप न सिर्फ देश के मानव संसाधन को खत्म कर रहे हैं, बल्कि हमारे आर्थिक संसाधनों में भी सेंध लगा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसकी जगह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करने का एलान किया है। चूंकि कुछ लोगों को इन एप से बतौर ईनाम अच्छी-खासी रकम भी मिल चुकी है, इसलिए वे इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। मगर व्यापक अर्थों में देखें, तो ऑनलाइन मायाजाल पर चाबुक चलाने का यह एक सराहनीय प्रयास है।

सूर्यदीप कुशवाहा, टिप्पणीकार

ऐसे खेलों को प्रतिबंधित करना गलत

अगर कोई व्यक्ति पैसे वाले ऑनलाइन गेम में अपने कौशल के बूते कुछ कमाता है, तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को क्या दिक्कत होनी चाहिए? निवेशक भले ही यह तर्क दें कि गेमिंग पर पैसे उड़ाने के बजाय कोई 25 साल का युवा हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करे, तो 12 फीसदी के सालाना रिटर्न के हिसाब से 20 साल में उसके पास 49 लाख रुपये जमा हो सकते हैं, लेकिन सच यही है कि ऑनलाइन गेमिंग एप ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। खेल को किस तरह अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है या दिमागी कौशल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह जीत हासिल की जा सकती है, यह ऑनलाइन गेम खेलने वालों से बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता।

इन खेलों के कई फायदे हैं। एक तो यह अभावों में जीने वाले लोगों को बड़ा संबल देते हैं। आप महज मामूली रकम से इस खेल की शुरुआत कर सकते हैं और ईनाम में बड़ी राशि जीतने का मौका पा सकते हैं। फिर, आपमें अगर सही खिलाड़ियों के चयन का कौशल है, तो आप अच्छी-खासी रकम भी यहां से जीत सकते हैं।

आज जब तकनीक का इतना प्रसार हो गया है, तब इस तरह के खेलों से लोगों को यूं रोकना गलत है। ऐसे खेल आज की जरूरत हैं। अगर सरकार इन पर प्रतिबंध लगा देगी, तो मुमकिन है कि चोर दरवाजे से लोग इसे खेलने को उत्सुक हो जाएंगे। इस सूरत में सरकार को दोहरा नुकसान हो सकता है। एक तो उसकी मंशा पूरी नहीं होगी, फिर उसके खजाने पर इसका असर पड़ सकता है।

इस स्थिति में अच्छा यही होता कि सरकार ऐसे गेम को लेकर नियम-कानून बनाती। इनको प्रतिबंधित करने के लिए बेहतर नियम-कानून बनाया जाता। मुमकिन है, तब 'लत' जैसी समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। हां, यह बात सही है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। सरकार ने शायद इसी मंशा के साथ इन खेलों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से लोगों को इन खेलों से रोकने का कोई अर्थ नहीं है। अगर जागरूकता फैलाई जाती, तो हो सकता है कि कुछ लोग, जो इन खेलों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, इनसे दूरी बरतते। इससे सभी का मकसद पूरा हो जाता। मनोवैज्ञानिक भी खुश हो जाते कि लोग इन खेलों में कम वक्त बीता रहे हैं। देश के नौजवान खुश हो जाते कि उनको कोई खेलने से रोक नहीं रहा और सरकार खुश हो जाती कि इन खेलों की कुछ कमाई उसके खजाने में भी आ रही है। यह सभी के लिए मुफीद स्थिति होती। खेलों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 23 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

सिर्फ हंगामा, काम नहीं

मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर बार किसी न किसी बात को लेकर हंगामा शुरू होता है, और फिर पूरे सत्र थमता ही नहीं। विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है उस पर सत्ता पक्ष सहमत नहीं होता और हंगामा बढ़ता ही जाता है। यही मानसून सत्र के साथ भी हुआ। मानसून सत्र बिना खास कामकाज के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग सरकार ने अनसुना कर दी। फलस्वरूप लोक सभा की उत्पादकता महज 31 फीसद और राज्य सभा की 39 फीसद रही। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गतिरोध का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। इसी प्रकार राज्य सभा में उपसभापति हरिवंश ने भी सत्र के दौरान लगातार बने रहे गतिरोध पर निराशा

जताई। इससे न केवल बहुमूल्य संसदीय समय की हानि हुई, बल्कि लोक महत्त्व के कई मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो सकी। लोक सभा में केवल 37 घंटे और राज्य सभा में मात्र 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। हल्ले-गुल्ले में सरकार ने 15 विधेयक जरूर पारित करा लिए। संविधान का (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किया गया जिस पर विपक्ष को ढेरों आपत्तियां हैं। दो अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक 'संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' भी पेश किए गए। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान है। भारी हंगामे के बाद सरकार तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने पर सहमत हो गई। सत्र के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा हुई। पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाली घटना में सत्र के पहले ही दिन राज्य सभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। सरकार और विपक्ष में तलवारें इस हद तक खिंची हैं कि सत्र स्थगित होने के बाद लोक सभा अध्यक्ष के कमरे में होने वाली अनौपचारिक मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कुछ मंत्री तो पहुंचे किंतु दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य कोई प्रमुख विपक्षी नेता पहुंचा ही नहीं। सवाल उठता है कि जब काम नहीं तो वेतन नहीं नियम यहां क्यों लागू नहीं होता।

विवाह की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकता कि जब तक हमारा वैवाहिक संबंध है, मैं दूसरे जीवन साथी से स्वतंत्र रहना चाहता/चाहती हूं। मामले में अलग रह रहे दंपति को कहा, हर पति-पत्नी का आपस में कोई न कोई विवाद होता रहता है। दंपति के दो बच्चे भी हैं। पीठ ने कहा, हमें खुशी होगी अगर दंपति साथ आ जाता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। उन्हें टूटा हुआ घर देखने को न मिले। महिला का दावा है कि उसका पति सिंगापुर में रह रहा है, और मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। पति की कुछ हरकतों के कारण उसका वहां रहना मुश्किल है। महिला की इस दलील पर कि वह पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती, अदालत ने कहा कोई पत्नी पति से यह नहीं कह सकती क्योंकि भावनात्मक रूप से पति पर निर्भर होती है पत्नी। बेशक, पति-पत्नी के बीच विवाद की गुंजाइश से

इंकार नहीं किया जा सकता परंतु दांपत्य में दोनों का बराबरी का संबंध होता है। जब महिलाएं साक्षर नहीं थीं, उनकी स्थिति बनिस्बत खराब थी। परिवार/समाज उनके साथ निराश्रितों की तरह बर्ताव करता था। तब उनकी मजबूरी थी कि पति पर निर्भर रहें। मगर अब व्यावहारिक तौर पर स्वीकारना होगा कि दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। विवाह में निजी स्वतंत्रता बमुश्किल मिलती है। यह सामंजस्य का बंधन है जिससे संपूर्ण कुनबा बंधा होता है। खासकर अपने समाज में आज भी शादी सामाजिक/पारिवारिक निर्णय है। उस पर जब दंपति के बच्चे भी हों तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तमाम झगड़ों-झंझटों के बावजूद अभी भी अपने यहां बुरी से बुरी शादियां ताउम्र चल जाती हैं। सवाल सिर्फ दांपत्य तक सीमित नहीं है, हर रिश्ते में तारतम्यता की आवश्यकता होती है। सारी दुनिया में यूं भी अकेलेपन की समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। बेहतर जीवन गुजारने और दांपत्य की दरारों को मिटाने के प्रयास दोनों तरफ से होने जरूरी हैं। खासकर बच्चेदार पालकों को उनके मुस्तकबिल का ख्याल कर बीच का रास्ता निकालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बात सिर्फ गुजारा भत्ता या बच्चों के भरण-पोषण तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक समस्या है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से विमर्श करके निपटाया जा सकता है। कदम दोनों को बढ़ाना होगा, छद्म अहंकार हमेशा परिवार तोड़ने वाला ही होता है।

कटाक्ष/ कबीरदास

मास्टर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक

मोदी जी का सही है। अगले का हरेक स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक होता है। बताइए, चार-चार रेट वाली जीएसटी जब लागू की थी, मास्टर स्ट्रोक थी कि नहीं? 28 फीसद वाली भी और 18 फीसद वाली भी। 6 फीसद वाली जीएसटी भी और 12 फीसद वाली भी। अब घटा कर, रेट चार की जगह दो कर रहे हैं, सबसे ऊपर का रेट 28 से घटा कर 18 फीसद, तो यह भी मास्टर स्ट्रोक है। देशवासियों के लिए दीवाली गिफ्ट वाला मास्टर स्ट्रोक, लाल किले से ऐलान करने वाला मास्टर स्ट्रोक। बिहार चुनाव में काम आने वाला मास्टर स्ट्रोक। बीमा पर जीएसटी लगाई, तब भी मास्टर स्ट्रोक। सुना है कि अब हटा रहे हैं, अब भी मास्टर स्ट्रोक। और यह तो मोदी जी का स्टाइल ही है, शुरू से ही। इस बार लाल किले से डेमोग्राफी की चिंता जताई, बेशक मास्टर स्ट्रोक। हिन्दुओं की बहुसंख्यकता खतरे में बताई, मास्टर स्ट्रोक। जमीन से लेकर, बहन-बेटियों तक और रोटी-रोजगार से लेकर संस्कार तक, हर चीज खतरे में दिखाई, मास्टर स्ट्रोक। और उन्हीं मोदी जी ने गद्दी संभालते ही, 2014 में उसी लाल किले से सांप्रदायिकता और जातिवाद पर चिंता जताई थी, बेशक मास्टर स्ट्रोक। देश को राह दिखाई कि दस साल के लिए संप्रदाय और जाति के सवालों को उठा कर रख देना चाहिए, मास्टर स्ट्रोक। पर दस साल संप्रदाय और जाति के सवालों को न किसी ने उठाकर रखा और न उनके भक्तों ने रखने दिया, एक और मास्टर स्ट्रोक। अब दस साल बाद, ब्याज समेत सांप्रदायिकता और जाति के सवालों को बढ़ाने का संकल्प, एक और मास्टर स्ट्रोक। ऐसी वाशिंग मशीन बनाई, जो ग्यारह साल से चल रही है। दागदार हिमंत बिस्व सर्मा इसके अंदर, बेदाग बाहर। कालिख पुता अजीत पवार मशीन के अंदर, साफ-शफ्फाक बाहर। मास्टर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक। सीबीआई, ईडी, आईटी, सब दागदारों को घेर-घेर कर लाएं, वाशिंग मशीन में दूध सा सफेद बनाएं, मास्टर स्ट्रोक। और जो धुल कर सफेद होने में ज्यादा ही नखरा दिखाएं, सुधारगृह में रगड़-रगड़ के दाग मिटाएं, यह भी मास्टर स्ट्रोक। इसके बाद भी किसी कोने-कुचारे में अस्वच्छता रह गई हो तो बागी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को महीने जेल में रखने के बाद, उनके खुद ब खुद बर्खास्त हो जाने की एकदम नई मशीन हाजिर है-एक और मास्टर स्ट्रोक।

अनमोल वचन

इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए।

-चाणक्य

निरंकुशता का अंदेशा

नये विधेयक

अनिल जैन

भारत में 100 साल से भी पहले 18 मार्च, 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने एक बेहद खतरनाक दमनकारी 'कानून अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम' पारित किया था, जो रॉलेट एक्ट के नाम से कुख्यात हुआ। इसका मकसद देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना था। इस कानून के तहत भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे दो साल तक जेल में रखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत को था। यह रॉलेट एक्ट ही था, जिसके खिलाफ आंदोलन ने महात्मा गांधी को स्वाधीनता संग्राम की मुख्यधारा में लाकर भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग का सूत्रपात किया। उस आंदोलन के चलते ही 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ था। हालांकि कड़े विरोध के चलते यह कानून कभी भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका और अंततः 1922 में इसे निरस्त करना पड़ा।

अब कुछ-कुछ उसी रॉलेट एक्ट की तर्ज पर केंद्र सरकार ने नैतिकता और सुशासन की दुहाई देते हुए अपना एक नया कानून प्रस्तावित किया है। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को आनन-फानन में तीन विधेयक संसद में पेश किए जिनके कानून बनने के बाद गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हो जाएगा। हालांकि प्रस्तावित कानून के दायरे में प्रधानमंत्री को रखने का कोई मतलब नहीं है। यह प्रावधान एक हास्यास्पद पाखंड है, क्योंकि असंभव है कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री किसी मामले में गिरफ्तार हो जाएं। यह सब जानते हैं। बहरहाल, आज देश में अगर धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है, और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से काम करती हैं, तो प्रस्तावित कानून को स्वस्थ पहल माना जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आज धारणाएं उसके उलट हैं। जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है, वह यह है कि कानून प्रवर्तक एजेंसियां राजनेताओं और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देख कर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रस्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और आम लोगों में भी आशंका पैदा होना लाजिमी है। चूंकि इस प्रस्तावित कानून पर केंद्र ने विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया है, और संसद का सत्र समाप्त होने से महज एक दिन पहले गृह मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर ये विधेयक पेश किए, लिहाजा सरकार की नीयत पर सवालों का उठना और प्रस्तावित कानून को नैतिकता और सुशासन के आवरण में सत्ता के

केंद्रीकरण की खूंखार कोशिश के रूप में देखा जाना और इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से किया जाना लाजिमी है। नियमानुसार सदन में कोई भी विधेयक पेश होता है तो सदस्यों को उसकी प्रति 24 घंटे पहले उपलब्ध करानी होती है, ताकि वे विधेयक पर चर्चा के लिए तैयारी करके सदन में आएं। लेकिन ये विधेयक पेश हुए 20 अगस्त को सुबह और इन विधेयकों की प्रतियां सांसदों के पास भेजी गईं 19 अगस्त की देर शाम। इसीलिए शक है कि इन विधेयकों पर कैबिनेट की बैठक में भी विधिवत चर्चा नहीं हुई।

लोक सभा सचिवालय को भी इन विधेयकों के बारे में गृह मंत्रालय की ओर से 19 जनवरी की शाम को सूचित किया गया और इन्हें पेश करने के लिए विशेष अनुमति मांगी गई, जो कि मिलनी ही थी। विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध और नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयक पहले लोक सभा में और सत्र के आखिरी दिन राज्य सभा में पेश किए। बाद में एक प्रस्ताव के जरिए इन्हें संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया जो इनकी समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। हालांकि इस सबके बाद भी इन विधेयकों का पारित होना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें संसद में दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा जो मौजूदा स्थिति में मुश्किल है।

मोदी सरकार अभी सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी है और लगता नहीं कि सहयोगी दल खासकर तेलुगू देशम और जनता दल (यू) इन विधेयकों का समर्थन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कोई काम करेंगे क्योंकि ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए तलवार बनेंगे, बल्कि भाजपा के लिए अपने सहयोगी दलों को भी ब्लैकमेल करने का हथियार बन जाएंगे। फिर भी अगर किसी तरह सरकार संसद में इन विधेयकों को पारित करा लेती है तो उसके लिए अगली बड़ी चुनौती होगी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में इन्हें पारित कराना जो सिरे से आसान नहीं लगता।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार इस समय चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने लंबे समय से नैरेटिव बना रखा था कि वह इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती लेकिन पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से उस नैरेटिव की कलई उतर चुकी है। पाकिस्तान पर बढ़त बना रही भारतीय सेना को उसने न सिर्फ अमेरिकी दबाव में सीजफायर करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इस सिलसिले में उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई समर्थन नहीं मिला, रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की ताकतवर देशों के साथ नजदीकी बढ़ गई, जो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी नाकामी है।

इधर, घरेलू राजनीति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवाने वाले प्रकरण ने तो उसको कमजोर किया ही, चुनावी गड़बड़ियों और बिहार में अचानक शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण चुनाव आयोग के विवादों में घिर जाने की वजह से भी उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनावी गड़बड़ियों के उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे विवादास्पद अभियान ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है, जो अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी फैलने की संभावना है। इसलिए लगता है कि इन्हीं सब बातों से लोगों का और खासकर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने इन तीन नये कानूनों को लाने की पहल की है, जिनका हश्र तीन कृषि कानूनों या ब्रिटिश हुकूमत के रॉलेट एक्ट जैसा ही होने की पूरी संभावना है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

चुनावी गड़बड़ियों के उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे अभियान ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है, जो अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों में फैलने की संभावना है। लगता है कि इसी सब से लोगों खासकर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने की गर्ज से सरकार ने तीन नये कानून लाने की पहल की जिनका हश्र तीन कृषि कानूनों या ब्रिटिश हुकूमत के रॉलेट एक्ट जैसा होने की संभावना है

- प्राकृतिक औषधियों में शुमार पौधों में से एक पौधा है, 'धातकी', जिसे 'धवई' और 'बहुपुष्पिका' के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा भारत के लगभग हर राज्य में पाया जाता है। इस पौधे के फूल, फल, जड़ और छाल का इस्तेमाल अलग-अलग आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है, जो इसके बहुमुखी फायदों को दर्शाता है
- अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (एनआईएच) के मुताबिक, धातकी का नाम वुडफोर्डिया फ्रुटिकोसा है। इसकी शाखाओं और पत्तियों पर काले बिंदु होते हैं, जो इसे अन्य पौधों से अलग पहचान दिलाता है। इसके फूल चमकीले लाल होते हैं, जबकि फल पतले और अंडाकार। इनमें भूरे रंग के छोटे बीज भरे होते हैं
- हालांकि, धातकी का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए (मीडिया इनपुट्स)

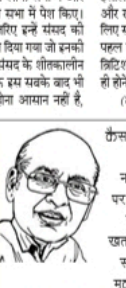

कैसा ये दुष्चक्र! गिरफ्तारी में किसी दिशा-निर्देश का पालन नहीं। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी। नये प्रस्तावित कानून में मुख्यमंत्री वगैरह की कुर्सी पर खतरा। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चुनावी मुकाबले में हराने की बजाय विपक्षी नेताओं को एजेंसियों से गिरफ्तार कराया जाए। और इस आधार पर उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। मजे की बात यह कि सत्ताधारी पार्टी के सीएम बेधड़क!

डॉ. अभिषेक संघवी, कांग्रेस नेता
@DrAMSinghvi

खोती मासूमियत, बढ़ती क्रूरता

बाल अपराध

सोनम लववंशी

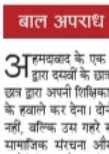

अहमदाबाद के एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र द्वारा दसवीं के छात्र की हत्या और नरसिंहपुर में एक छात्र द्वारा अपनी शिक्षिका पर पेट्रोल डाल कर उन्हें आग के हवाले कर देना। दोनों घटनाएं अलग-थलग वारदात नहीं, बल्कि उस गहरे संकट की परछाई हैं, जो हमारी सामाजिक संरचना और परवरिश के तौर-तरीकों को चुनौती दे रहा है। बच्चे, जिनकी दुनिया खेलकूद, पढ़ाई और मासूमियत से भरी होनी चाहिए, आज हिंसा, हताशा और प्रतिशोध के घेरे में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह नहीं कि अपराधी कौन है, बल्कि यह है कि अपराध की जड़ें इतनी गहरा क्यों गई हैं।

यदि बीते आठ वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2014-22 के बीच बाल अपराधों में 81 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज की नींव कहीं न कहीं कमजोर हुई है। बाल अपराधों में सर्वाधिक हिस्सा यौन शोषण का है। बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों का अनुपात लगातार 36 फीसद के आसपास बना हुआ है अर्थात हर तीसरे अपराध में कोई न कोई बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार होता है। यह स्थिति केवल कानून-व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाती, बल्कि समाज की सामूहिक संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। ऐसे में अपराध ही नहीं, बच्चों का मानसिक संतुलन भी गहरे संकट में है।

एनसीआरबी की दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या संबंधी रिपोर्ट बताती है कि 2022 में लगभग तेरह हजार छात्रों ने आत्महत्या की। यह संख्या देश में हुई कुल आत्महत्याओं का लगभग सात फीसद है। सोचिए, केवल परीक्षा में असफल होने के कारण ग्यारह सौ से अधिक बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कुल मिला कर अठारह वर्ष से कम आयु के दस हजार से अधिक बच्चों ने 2022 में आत्महत्या का रास्ता चुना और इनमें लड़कियों की संख्या अधिक रही। यह आंकड़ा सिद्ध करता है कि बच्चे अपने ही घर और विद्यालय के दबावों से हार मान रहे हैं। वहीं नाबालिगों द्वारा किए जा रहे अपराध भी भयावह दिशा में बढ़े हैं। 2016 में किशोरों द्वारा अपराधों में हिंसक घटनाओं का अनुपात 32 फीसद था, जबकि 2022 तक यह बढ़ कर लगभग 50 फीसद हो गया अर्थात संख्या स्थिर रही, किंतु स्वरूप अधिक क्रूर और हिंसक हो गया।

दिल्ली सहित अनेक महानगरों में पिछले दो वर्षों में नाबालिगों को हत्या, लूटपाट और रेप जैसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं में प्रायः मोबाइल फोन, हथियार और इंटरनेट की आसान उपलब्धता बड़ी वजह के रूप में सामने आई। डिजिटल संसार भी बच्चों की सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुका है। 2022 में साइबर अपराधों में चौबीस फीसद की वृद्धि दर्ज की गई और इनमें अनेक मामलों में पीड़ित सीधे तौर पर बच्चे ही थे। अनियंत्रित तकनीकी पहुंच और आभासी दुनिया का मोह बच्चों को वास्तविक जीवन से काट कर असुरक्षित बना रहा है। ये सारे तथ्य बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक संवाद की विफलता का सम्मिलित परिणाम है। विद्यालयों में अब भी अनिवार्य परामर्शदाता व्यवस्था नहीं है। अध्यापक ज्ञान बांटने में सक्षम हैं परंतु बच्चों के भावनात्मक संघर्ष को समझने और संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं। परिवारों में संवाद का दायरा सीमित होता जा रहा है। अभिभावक बच्चों की चिंताओं और हताशाओं को सुनने की बजाय केवल अंक पत्र और करियर पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। समाज मानसिक स्वास्थ्य को विशेष वर्ग का विषय मानता है, जबकि यह हर बच्चे की मूलभूत आवश्यकता है।

अनेक देशों में विद्यालयों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा लागू की जा चुकी है। कला, खेल और संवाद पर आधारित पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किशोर अपराधों से निपटने के लिए 'पुनर्स्थापनात्मक न्याय' पद्धति अपनाई जा रही है, जिसमें अपराधी किशोर को कठोर दंड की बजाय पीड़ित और समाज के साथ संवाद की प्रक्रिया में शामिल कर सुधार की दिशा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि किशोर अपराध को केवल अपराध मान कर कठोर दंड देना समाधान नहीं है। समस्या बहुआयामी है, और इसका समाधान संवेदनशील परवरिश, संवाद और सामाजिक सहयोग से ही संभव है। कुल मिला कर देखें तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को हिंसा और निराशा से बचा पाएंगे? क्या हम उन्हें किताब, कला और संवाद की दुनिया में लौटा पाएंगे? क्या हम स्वीकार करेंगे कि शिक्षा अंकों और रोजगार का साधन ही नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और विवेक का संस्कार भी है? और क्या हम सच्चाई का सामना करेंगे कि बच्चों की हिंसा दरअसल, हमारी सामूहिक विफलता का आईना है?

(लेख में विचार निजी हैं)

आत्मा की पुकार | संत राजिन्दर

हमारे शरीर में मन के अलावा आत्मा भी निवास करती है। हम अपना जीवन जीते हुए शरीर और मन की जरूरतों की ओर ध्यान देते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा भी कुछ चाहती है? हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते उनसे बिछड़ चुकी है, और चाहती है कि वह हमेशा-हमेशा के लिए प्रभु में जाकर समा जाए। चौरासी लाख योनियों में मानव चोले में ही वह प्रभु से एकमेक हो सकती है, इसलिए वह चाहती है कि हम इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। जब हम अपनी आत्मा की यह करुण पुकार सुनते हैं, तब प्रभु हमें वह रास्ता दिखा देते हैं, जहां से कोई हमें प्रभु के निज धाम वापस ले जा सकता है। प्रभु हमें वक्त के संत-सतगुरु से मिला देते हैं जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में बताते हैं कि हम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं, जो परमात्मा का ही अंश है। फिर वे हमें ऐसी विधि सिखाते हैं, जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी स्वयं के असली स्वरूप को जान सकते हैं। संत-सतगुरु हमें हमारे असली स्वरूप को जानने और पिता-परमेश्वर से एकमेक होने के लिए ध्यान-अभ्यास की विधि सिखाते हैं। हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ध्यान-अभ्यास द्वारा अपने ध्यान को अंतर की दुनिया में लेकर जाएं? वे हमारा संपर्क प्रभु की 'ज्योति' और 'श्रुति' की धारा से कराते हैं, जिसे 'नाम' भी कहा गया है। चेतनता की इस धारा के जरिए ही प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की। जब हम ध्यान-अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु की इस धारा के संपर्क में आती है, जिसके द्वारा हम पूर्ण संतुष्टि और आनंद महसूस करते हैं, और फिर जिसके सामने इस संसार के सभी भौतिक आनंद हमें फीके और क्षणभंगुर लगने लगते हैं। प्रभु की यह धारा हमें प्रभु से एकमेक कराती है, और उनसे उत्पन्न प्रेम की शक्ति का भी अनुभव कराती है। हम संसार की किसी भी अन्य वस्तु से वैसी संतुष्टि नहीं पाते जितनी हम ध्यान-अभ्यास के दौरान 'ज्योति' और 'श्रुति' के संपर्क में आ जाने से पाते हैं। हमारी आत्मा जब एक बार उस परमानंद को पा लेती है, तो उसे बार-बार पाना चाहती है, और उस अविरल धारा में अधिक से अधिक लीन रहना चाहती है। फिर हमारी आत्मा भौतिक दुनिया से परे दिव्य आंतरिक मंडलों में उड़ान भरती है।

रीडर्स मेल

मुकाबला दक्षिण बनाम दक्षिण

जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से उपराष्ट्रपति के रिक्त हुए पद के लिए चुनाव की घड़ी निकट आ गई है। राजग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है, जो तमिलनाडु से आते हैं। सरकार को तमिल अस्मिता के नाम पर तेलुगू देशम को भी अपने साथ रखने में आसानी होगी। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है। अब मुकाबला दक्षिण बनाम दक्षिण हो गया है। भाजपा ने प्रत्याशी चयन द्वारा दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का प्रयास किया है। तमिलनाडु में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव है, एवं वर्तमान राज्य सरकार लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आंकड़ों को देखते हुए सत्ता पक्ष को इस चुनाव में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव के उपरांत नये उपराष्ट्रपति को विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने की कड़ी चुनौती होगी।

हिमांशु शेखर, गयाजी

संघ के पंच महाप्रण

जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, तब से देश के लोगों के मन-मस्तिष्क में धीमे-धीमे ही सही स्वदेशी अपनाने का विचार आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देश के लोगों से स्वदेशी और केवल भारत में बने उत्पादों का ही इस्तेमाल करने का आह्वान किया है, जो कार्य आज हमें समय की जरूरत लग रहा है। हमारे देश के विचार के मूल में तो वह पहले से ही है। गांधी जी ने सदैव स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं भी उपयोग किया और देशवासियों से भी स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। कोई बड़ा आयोजन अपने शताब्दी वर्ष पर न करके संघ समाज में परिवर्तन के लिए व्यापक अभियान 'पंच परिवर्तन' के नाम से पूरी ऊर्जा के साथ लेकर जा रहा है, जिसमें नागरिक कर्त्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, सामाजिक समरसता और स्वदेशी, ये पंच महाप्रण स्वयंसेवकों ने लिए हैं। स्वयंसेवक इस व्यापक पंच परिवर्तन अभियान को चलाएंगे जिसमें स्वदेशी बहुत ही प्रासंगिक होने वाला है क्योंकि देश में माहौल भी कुछ इसी प्रकार का है।

चंद्रकांत कुआंखेड़ा, सहारनपुर, उप्र

ऑनलाइन गेम्स पर लगाम

विगत काफी समय से ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस कर हर वर्ष सैकड़ों लोग खुदकुशी कर जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर हजारों करोड़ों रुपयों को भी बर्बाद कर देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियमन बिल, 2025 पेश करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य मोबाइल एप्स के जरिए बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम कसना है। यह सही और सराहनीय पहल है। ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी का कारगर कदम कई लोगों को जीवनदान देगा और उन्हें भटकाव से भी बचाएगा। निश्चित ही इससे युवाओं, बच्चों तथा अन्य लोगों को इस लत से मुक्ति मिलेगी। क्या सरकार के साथ माता-पिता और परिजनों को भी संज्ञान में आएगा कि वो अपने बच्चों को इस लत से दूर रखें।

योगेश जोशी, बड़वाह, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक [illegible] द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तल 1209-1210, [illegible], 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - [illegible] ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352360, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

दैनिक जागरण
कम बोलने से मन की शक्ति बढ़ती है

आधार भी स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर पर चुनाव आयोग को यह आदेश देकर बिहार के लोगों को राहत देने के साथ विपक्ष की बोलती बंद करने का भी काम किया कि वह वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी स्वीकार करे। चुनाव आयोग ने इसके लिए जिन 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, उनमें आधार नहीं था। एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को मान्य करने को कहा था, लेकिन आयोग का तर्क था कि उसे फर्जी तरीके से बनवाया जा सकता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन गत दिवस उसने बिहार के लोगों को आधार के जरिये भी मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दे दिया। इसके साथ ही आनलाइन आवेदन का भी विकल्प दे दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तब फिर उसे वोट चोरी का शोर मचाना बंद कर देना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि वोट चोरी के आरोप की आड़ में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा से खेला जा रहा है। चिंताजनक यह है कि यह काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उन्होंने न केवल चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, बल्कि उसके अधिकारियों को धमकाया भी। हद तो तब हो गई, जब आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ ऐसी छिछली राजनीति शर्मनाक है।

बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के मामले में आधार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जता रहे विपक्षी नेता इस पर गौर करें तो बेहतर कि शीर्ष अदालत ने यह कहकर एक तरह से उन्हें कठघरे में खड़ा किया कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह विपक्षी दलों के दोहरे और गैर जिम्मेदार रवैए का परिचायक नहीं कि अभी तक किसी भी दल ने चुनाव आयोग के समक्ष कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है? यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार के सभी दलों को पक्षकर बनाने का निर्देश दिया। यह निर्देश मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया पर आसमान सिर पर उठाने वाले राजनीतिक दलों को दिखाया जाने वाला आईना ही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने से मना कर दिया। अभी इस मामले की सुनवाई जारी है। बेहतर होगा कि इस मामले में शीघ्र ही अंतिम फैसला दिया जाए, ताकि विपक्षी दलों को सस्ती राजनीति करने का अवसर न मिले।

टीबी उन्मूलन माडल

क्षय रोग (टीबी) केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि यह गरीबी, कुपोषण और सामाजिक असमानता का परिणाम है। दवाइयां अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि मरीज का शरीर पोषण से वंचित है, तो उपचार अधूरा रह जाता है। झारखंड द्वारा टीबी रोगियों को नियमित राशन उपलब्ध कराना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की गहरी समझ का उदाहरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पहल को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए आदर्श माडल बताया है, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि जिन मरीजों को उचित भोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व मिले, उनकी रिकवरी दर और जीवित रहने की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि बीमारी से लड़ाई दवा और पोषण दोनों पर निर्भर करती है। झारखंड का अनुभव हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य नीति को केवल औषधि वितरण तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बीमारी के सामाजिक निर्धारकों जैसे गरीबी, भोजन की उपलब्धता और जागरूकता पर ध्यान दिए बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का संकल्प लिया है। यह लक्ष्य तभी साकार होगा जब झारखंड माडल जैसी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाए। हम टीबी को केवल चिकित्सकीय चुनौती न मानकर सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा से जुड़े प्रश्न के रूप में देखें।

झारखंड का अनुभव हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य नीति को केवल औषधि वितरण तक सीमित नहीं रखना चाहिए

मोदी का नव पंचशील सिद्धांत

डा. एके वर्मा

पीएम मोदी की नीतियां नई भू-राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने के साथ भारतीय लोकतंत्र के पारंपरिक व्याकरण को बदलने की संभावनाएं भी संजोए हैं

अवधेश राजपूत

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने 12वें उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए भारत और राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखते हुए एक तरह से नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष किया। अप्रैल 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पीएम चाऊ एन लाई ने पंचशील सिद्धांत का निरूपण किया था, जो पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित था, पर 1962 में चीन ने हमारे हजारों किमी भू-भाग पर कब्जा कर उसकी अंत्येष्टि कर दी। प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में विरासत में विषम आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां मिलीं। उनका सामना करते हुए उन्होंने पंचशील सिद्धांत का पालन किया। विगत 11 वर्षों में उन्होंने भारत की वैश्विक छवि और शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन किया है। पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से पहलगाम में लोगों का मजहब पूछकर हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति से विश्व को परिचित कराया। मोदी ने विश्व को संदेश दिया कि यह नया भारत है, जो पुराने पंचशील सिद्धांत का अनुपालन करते हुए एक नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष करता है।

मोदी का नव पंचशील सिद्धांत नई सैन्य रणनीति, कुशल विदेश नीति, चतुर कूटनीति, नवीन आर्थिक संकल्पना और हिंदुत्ववादी समावेशी राजनीति पर आधारित है। यह उभरते भारत की अस्मिता है। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हमेशा रही है, पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और रणनीतिक कमजोरियों के चलते कई बार सेना का सामर्थ्य व्यर्थ हो गया, वह चाहे 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो या 1971 में बांग्लादेश युद्ध। 1965 और 1971 में भारत अपनी विजय के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इससे पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि भारत उसके प्रति आक्रामक रुख नहीं अपना सकता। नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान और भी आश्वस्त हो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा, पर मोदी ने देश की सैन्य रणनीति का 'गियर' बदल दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए आपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि अब आतंकी गतिविधियों का प्रत्युत्तर भारत कैसे देगा। मोदी की घोषणा कि 'आतंकी हमलों को युद्ध की संज्ञा दी जाएगी' भारतीय सैन्य रणनीति को एक नया आयाम देती है।

आपरेशन सिंदूर को स्थगित करना पाकिस्तान पर सदैव लटकने वाली तलवार है, जो न केवल उसके नाभिकीय ब्लैकमेल को दरकिनार करती है, वरन वहां की सरकार और सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है। 15 अगस्त को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कर मोदी ने बाहरी आक्रमण से संवेदनशील प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना और सशक्त प्रत्युत्तर देना भी सैन्य रणनीति में शामिल किया है। विदेश नीति में वैश्विक शक्तियों से समान दूरी के सिद्धांत का परित्याग कर मोदी ने सबसे समान निकटता का सिद्धांत अपनाया है, जो वसुधैव कुटुंबकम् के अनुरूप है। उन्होंने अगस्त 2025 तक 78 देशों की यात्राएं की हैं और 27 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। वे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों जैसे अमेरिका-रूस, रूस-यूक्रेन, अरब-इजरायल, अमेरिका-चीन तथा अन्य सभी देशों से बात कर सकते हैं। उनकी विदेश नीति में पंचशील से आगे पंचामृत के दर्शन होते हैं, जो सम्मान, संवाद, संवृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता से निर्मित है। मोदी भारतीय सम्मान से समझौता किए बिना सभी देशों से संवाद करते हैं, ताकि सभी का हित हो और किसी की सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता पर आंच न आए। इसीलिए चीन से तनाव के बावजूद वे चीन जा रहे हैं।

कूटनीतिक कुशलता नव पंचशील का तीसरा तत्व है, जिसमें यथार्थवाद और नैतिकता का अद्भुत समन्वय है। उनमें चातुर्य के साथ सहनशीलता है। वे साम, दाम, दंड और भेद का समुचित प्रयोग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव पर बार-बार मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश और असभ्य राजनयिक भाषा के प्रयोग का जवाब देने की विपक्षी चुनौती को अनदेखा कर मोदी ने दृढ़ता से, पर सभ्य राजनयिक भाषा में प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने ट्रंप के अमेरिका आने के आमंत्रण को सधन्यवाद अस्वीकार किया और संसद में स्पष्ट किया कि भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम बिना किसी मध्यस्थ के पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ। उनकी कूटनीति भारतीय बाजार के हितों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है, ताकि भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। वे किसी सामरिक संघर्ष में उलझना नहीं चाहते।

नव पंचशील का चौथा तत्व आर्थिक सामर्थ्य है, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के स्तंभों पर खड़ा है। गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। भारत की वैश्विक निर्णयन में बराबरी की भूमिका हो, इसके लिए मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे भारतीय बाजार को अमेरिकी लूट के लिए नहीं खोलेंगे और भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। फाइटर जेट इंजन, सेमीकंडक्टर आदि का देश में निर्माण कर वे भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। उनके नव पंचशील का पांचवां तत्व समावेशी राजनीति है, जो जातिवादी अस्मिता से आगे निकल वर्ग राजनीति की ओर जाती है। इसीलिए वह चार वर्गों- महिलाओं, युवाओं, छोटे किसानों और गरीब-शोषित-वंचित को विशेष तरजीह देते हैं। वे 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। हिंदुत्व को केंद्र में रख उन्होंने श्रीरामजन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया, अनुच्छेद-370 खत्म किया और अब समान नागरिक संहिता की ओर अग्रसर हैं। उनका नव पंचशील सिद्धांत भारत के वैश्विक संबंधों को पुनर्परिभाषित कर एक नई भू-राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने में तो समर्थ है ही, भारतीय लोकतंत्र के पारंपरिक व्याकरण को बदलने की संभावनाएं भी संजोए है।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

निचले स्तर पर राजनीतिक व्यवहार

अवधेश कुमार

जैसे ही राहुल गांधी किसी नेता, अधिकारी या संस्था को निशाना बनाते हैं, पूरी पार्टी मर्यादा भूलकर उस पर टूट पड़ती है

देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगा रही है। वे उसके अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और निचले व्यवहार पर उतरकर उनके परिवार तक को निशाना बना रहे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शर्मनाक है। राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चोर कहते हुए निशाना बना रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें... एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में हमारी सरकार होगी। फिर हम आप तीनों को देखेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया हैंडल देख आप सन्न रह जाएंगे। राजनीति इतने नीचे स्तर पर गिर जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी की राजनीति देश में डरावने दृश्य प्रस्तुत कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यह व्यवहार पहली बार नहीं है। पिछले लगभग सात वर्षों से राहुल गांधी की राजनीति का एक स्थापित पैटर्न बन गया है।

राहुल गांधी पहले भी कई संस्थाओं को धमकी दे चुके हैं। वे प्रधानमंत्री का नाम लेकर सार्वजनिक रूप से ऐसा कह चुके हैं कि मोदी अब सड़कों पर निकलेगा तो लोग डंडों से पीटेंगे? उनके नेतृत्व में अब कांग्रेस ऐसी राजनीति कर रही है जिसमें मर्यादा, पद की गरिमा, भाषा की शालीनता, व्यवहार का संतुलन तथा सच और झूठ के भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी किसी को निशाना बनाते हैं, उनकी पूरी पार्टी उस व्यक्ति, अधिकारी या उनके खानदान को ढूंढ कर चरित्र हनन और बदनाम करने का अभियान चलने लगती है। डिजिटल मीडिया कई बार बहुत विषाक्त हो जाता है। इसकी अनदेखी न की जाए कि आपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिसरी को डिजिटल मीडिया पर किस तरह निशाना बनाया गया।

आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के घर पर प्रदर्शन। फाइल

निम्न राजनीति पहले सामने वाले के विरुद्ध संदेह पैदा करने के लिए कथित तथ्य गढ़ती है, फिर नारे एवं मुहावरे बनाती है। अब वह संस्थाओं को भी निशाना बना रही है। इन दिनों संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग इस राजनीति के निशाने पर है। आज पूरे देश के सामने प्रश्न है कि इस तरह के राजनीतिक व्यवहार का प्रतिकार कैसे हो? राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त सहित पूरे चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों के पक्ष में कोई ठोस तथ्य नहीं दे रहे हैं। अब तो वे सार्वजनिक रूप से गलत साबित हो रहे हैं। गत दिनों बिहार में उनकी वोट अधिकार यात्रा के दौरान रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के एक गांव की रंजू देवी उनके सामने यह कहती देखी गईं कि उनका और परिवार के सभी छह लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। राहुल ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बना दिया। बाद में उन्हीं रंजू देवी ने कहा कि मतदाता सूची में उनके परिवार के सभी लोगों के नाम हैं। उनके अनुसार वार्ड सचिव ने कहा था कि राहुल आ रहे हैं, उनके सामने बता देना कि हमारा नाम मतदाता सूची से कट गया है। उन्होंने माना कि वार्ड सचिव ने जैसा कहा, वैसा राहुल के सामने बोल दिया। यह एक प्रसंग राहुल और वोट चोरी के आरोप लगाने वालों के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। राहुल के महाराष्ट्र चुनाव संबंधी आरोप भी गलत साबित हो चुके हैं। बंबई उच्च न्यायालय संबंधित याचिका खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र के रामटेक और देवली विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा में क्रमशः 38.45 प्रतिशत तथा 36.82 प्रतिशत मतदाताओं की कमी का आंकड़ा भी गलत साबित हो गया। इसे "सामने" लाने वाले सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक ने न केवल संबंधित पोस्ट को हटाया, बल्कि गलत उत्तर देने के लिए माफी भी मांगी। इसके बावजूद वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के तेवर और भाषा देखकर लगता है कि उनका मुद्दा चुनाव आयोग या सत्ता प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि कुछ और है। लगता है वे सब कुछ पहले से निर्धारित किसी योजना के अनुसार कर रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि किसी संवैधानिक संस्था पर नेताओं द्वारा राजनीतिक आरोप लगाने के पीछे निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे कि संस्थानों पर दबाव बढ़ाना, उन्हें कानूनी मामले में फंसाना, ताकि लोगों का मुख्य काम से ध्यान हटे। देश में संस्थाओं के प्रति घोर अविश्वास और विरोध का वातावरण बनाने और उसके खिलाफ आक्रामक तरीके से शोर मचाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या राहुल और उनके सहयोगी देश में उथल-पुथल और अशांति की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लक्ष्य साधना चाहते हैं?

आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं, इसे जनता खुद समझे। शायद वह समझ भी रही है। इसकी आशंका है कि अपने किसी खतरनाक उद्देश्य के लिए राहुल के नेतृत्व में आगे भी देश की अन्य संस्थाओं की प्रतिष्ठा समाप्त करने के लिए ऐसे ही निम्नतम स्तर के अभियान चलें, ताकि सामने वाला विवश होकर या आवेश में कार्रवाई करे और देश का वातावरण बिगड़े। देश की शांति, स्थिरता, समृद्धि और विश्व स्तर पर उसकी साख की चिंता करने वाले हर व्यक्ति को ऐसी राजनीति से चिंतित होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मर्यादा

मनसा-वाचा-कर्मणा सभी सांसारिक व्यवहारों की सीमा रेखा मर्यादा कहलाती है। सृष्टि में कोई ऐसा तत्व नहीं, जिसके लिए मर्यादा आवश्यक न हो। सूर्य, चंद्र, ग्रह-नक्षत्र सभी मर्यादा में रहकर ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। पंचतत्व मर्यादा में ही जीवन प्रदाता हैं, अन्यथा महाविनाश लेकर आते हैं। आग तभी तक भूख शांत करती है जब तक चूल्हे की मर्यादा में है। मर्यादा का तटबंध लांघते ही जीवनदायिनी नदियां भी काल बन जाती हैं। वर्षाचक्र के साथ जीवनचक्र का प्रवर्तक सागर भी सुनामी बन जाता है। अतः मर्यादा-उल्लंघन का परिणाम सदा घातक होता है।

मर्यादाएं वह लक्ष्मण रेखा हैं, जो किसी सीता को मर्यादा की दहलीज पार करने से पूर्व अकल्पनीय परिणाम के लिए चिंतन करने को विवश करती हैं। पारस्परिक संबंधों के समवाय होने से परिवार और समाज मर्यादा की अपेक्षा रखते हैं। संबंधों की उम्र का निर्धारण इसी से होता है, क्योंकि मर्यादाएं परस्पर विश्वास में वृद्धि कर संबंधों को चिरंजीवी बनाती हैं, पर जब ये टूटती हैं तो न परिवार बचता है, न समाज। राष्ट्रीय एकता भी खंडित होती है।

मर्यादाएं जीवन का अलंकरण हैं। यद्यपि इनका दिग्दर्शन बाह्य रूपेण नहीं होता, किंतु ये अंतर्मन को अलंकृत कर आचरण को पवित्र करती हैं। जैसे आचरण के बिना ज्ञानोपदेश अधूरा है, वैसे ही मर्यादा के बिना आचरण। इसलिए मर्यादा का स्थान सबसे ऊपर है। सुख-शांति का आधार होने से मर्यादापूरित आचरण ही सदाचार है और सबसे बड़ा धर्म भी। बदले युगीन परिदृश्य में सर्वाधिक क्षति मानवीय संबंधों की हुई है, जिसकी परिणति पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन के रूप में देखी जा रही है। इसका प्रमुख कारण मर्यादाओं का क्षरण है। मर्यादा पालन ही इसका समाधान है। इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। आइए, मर्यादित आचरण से मानवीय संबंधों को गरिमा प्रदान करें।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

शोध की विश्वसनीयता का संकट

प्रदीप

विश्लेषणकर्ताओं का निष्कर्ष है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर होती है और वह तेजी से बढ़ रही है

वैज्ञानिक जर्नलों का मूल उद्देश्य है- संबंधित विषय में रुचि रखने वाले पाठकों को नए शोधों और अध्ययनों की सटीक, समकक्ष-समीक्षित (पीयर रिव्यूड) रिपोर्ट प्रदान करना, लेकिन हाल में 'प्रोसीडिंग्स आफ नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज' (पीएनएएस) में प्रकाशित एक सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार वैज्ञानिक साहित्य में धोखाधड़ीपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान से उत्पन्न नकली नतीजे तेजी से घुस रहे हैं, जिससे यह उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो रहा है। विश्लेषणकर्ताओं का निष्कर्ष है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर होती है और वह तेजी से बढ़ रही है। ये निष्कर्ष 70,000 जर्नलों में प्रकाशित 50 लाख से अधिक वैज्ञानिक शोधपत्रों के विश्लेषण से सामने आए हैं। शोधकर्ताओं को ऐसे संदिग्ध संगठनों के प्रमाण मिले हैं, जो औद्योगिक स्तर पर नकली या निम्न-गुणवत्ता वाले शोधपत्र तैयार कर रहे हैं। और उनका उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वैज्ञानिक शोध की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।

नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के डाटा विज्ञानी और पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन के लेखक लुइस ए. नून्स अमरल का कहना है कि 'अगर इन खतरनाक प्रवृत्तियों को नहीं रोका गया, तो वर्तमान वैज्ञानिक तंत्र नष्ट हो जाएगा।'

पिछली कुछ शताब्दियों में विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति की है, केवल इसलिए क्योंकि विज्ञानियों की नई पीढ़ियां पिछली पीढ़ियों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ सकीं। हर बार जब कोई नया शोधपत्र प्रकाशित होता है, तो बाकी विज्ञानी उस खोज का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी खोजों को आगे बढ़ाने के तरीके के बारे में सोच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विज्ञान दूसरों के काम पर भरोसा करने पर निर्भर करता है, इसलिए शोधकर्ताओं को हर चीज दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां वैज्ञानिक शोधपत्रों की संख्या प्रत्येक 15 वर्ष में दोगुनी होती है, वहीं धोखाधड़ीपूर्ण लेखों की संख्या मात्र 1.5 साल में दोगुनी हो रही है। यह स्थिति न सिर्फ बेहद चिंताजनक है, बल्कि विज्ञानी समुदाय की साख को भी गहरी चोट पहुंचा रही है। धोखाधड़ी केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे पेपर मिलों और ब्रोकरेज फर्मों जैसी समन्वित संस्थाओं का नेटवर्क सक्रिय है। ये संस्थाएं नकली शोधपत्र तैयार करती हैं, जिनमें सावधानी से गढ़े हुए आंकड़े और झूठे प्रयोग सम्मिलित होते हैं। अक्सर एआइ का सहारा लेकर ये पाठ्य तैयार किए जाते हैं। फिर उसे इच्छुक अकादमिक लोगों को बेचा जाता है, जो अपनी प्रकाशन संख्या बढ़ाना चाहते हैं।

यह स्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए कठोर निगरानी और पारदर्शी समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता है। नहीं तो, विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति 'उसकी विश्वसनीयता' पर ही प्रश्न-चिह्न खड़ा हो जाएगा।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

जनता को मिले टैक्स कटौती का लाभ

'तर्कसंगत जीएसटी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में दो स्लैब में जीएसटी के सरकारी कदम की सराहना करते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। जीएसटी में आगामी समय में संभावित सुधारों पर तार्किक सुझाव प्रशंसनीय है। अमेरिका द्वारा अध्यारोपित टैरिफ नीति से लड़ने की समीक्षा, चीन की टक्कर में भारतीय सामानों की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही बदलते आर्थिक परिदृश्य में बाजार और व्यापार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उपायों पर अमल किया जाना चाहिए। जीएसटी चोरी को रोकना, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना इसी परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है। तेजी के साथ सुधारों को अपनाया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि वर्तमान में विश्व बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है, नए-नए समीकरण उभरकर सामने आ रहे हैं। अतः भारतीय नागरिकों से भी यह अपेक्षित है कि वे अपनी भूमिका को समझते हुए सरकारी प्रयासों को सार्थक बनाने में सहयोगी बनें। भारत के सामने आर्थिक चुनौतियों से पार पाने के लिए नित नए अवसर प्रकट हो रहे हैं और सरकार स्वयं इस दिशा में गंभीर नजर आ रही है। इसलिए, यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि इन आर्थिक सुधारों के प्रति जागरूक रहते हुए ग्राहक और व्यापारी वर्ग अपनी आर्थिक योजना तय करें। सरकार को भी चाहिए कि चंद आर्थिक सुधारों से ही संतुष्ट न हो और सतत विकास के समेकित लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य कमियों को दूर करने के लिए अधिक तत्परता दिखाए।

मोहित सोनी, कुक्षी, मप्र

मेलबाक्स

दो स्लैब वाली जीएसटी प्रणाली

हाल में गठित समिति द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में जीएसटी की दरों को केवल दो स्लैब- 5 और 18 प्रतिशतमें सीमित करने की अनुशंसा की गई है। इससे 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब हटने की पूरी संभावना है, जो कर प्रणाली को सरल और व्यावहारिक बनाएगा। अर्थशास्त्रियों और व्यापार जगत के अनुभवी लोगों ने बार-बार यह सुझाव दिया है कि कर व्यवस्था जितनी सरल होगी, उतनी ही अधिक पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि होगी। ऊंची दरों और जटिल प्रविधानों से कर वंचना की प्रवृत्ति को बल मिलता है। अतीत में भी जब-जब कर दरें घटाई गई हैं, राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि कम कर दरें और सरल प्रणाली ही दीर्घकालिक हित में हैं। साथ ही, छोटे करदाताओं के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे बिना किसी कर विशेषज्ञ की मदद लिए स्वयं रिटर्न दाखिल कर सकें। आनलाइन प्रक्रियाओं को और सहज एवं उपयोगी बनाना आज की आवश्यकता है। यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो न केवल कारोबारियों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि "ईमानदार करदाता" की संख्या में भी वृद्धि होगी।

sureshgoyal8@gmail.com

राष्ट्र की सुरक्षा को मिले प्राथमिकता

भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां तेजी से जटिल होती जा रही हैं। युद्ध अब केवल सीमा पर सैनिकों और हथियारों के बल पर नहीं लड़े जाते, बल्कि ऊर्जा ग्रिड, संचार तंत्र, जल और खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य ढांचे तथा साइबर नेटवर्क भी दुश्मन के निशाने पर रहते हैं। ऐसे माहौल में भारत के लिए अपनी सैन्य और तकनीकी ढाल को और सुदृढ़ बनाना समय की अनिवार्यता है। इसी कड़ी में मिशन सुदर्शन चक्र जैसी अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक मानी जा रही है। यह प्रणाली पारंपरिक रक्षा प्रणालियों से कहीं आगे होगी। इसमें एआइ, साइबर सुरक्षा तकनीक और लेजर-आधारित इंटरसेप्टर जैसे भविष्य के हथियार शामिल होंगे। यह केवल आकाश, एस-400 और क्यूआर-सैम जैसी मौजूदा क्षमताओं का पूरक ही नहीं, बल्कि एकीकृत रक्षा ढांचे का स्वरूप भी प्रस्तुत करेगा। यह सतह, हवा और समुद्र तीनों से संचालन-प्रक्षेपण की क्षमता रखेगा, जिससे यह बहु-आयामी ढाल साबित होगी।

मधु सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, म.प्र.

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

4.6 प्रतिशत ही खर्च होता है सार्वजनिक शिक्षा पर भारत में कुल जीडीपी का। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे छह प्रतिशत तक किया जाना निर्धारित किया गया है।

आजकल

महाशक्तियों के समक्ष खींचनी होगी नई रेखा

रूस के साथ अपने सामान्य संबंधों के लिए भारत दशकों तक पश्चिम की आंखों में किरकिरी बना रहा। वहीं पश्चिमी देशों द्वारा मास्को के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों की कीमत भारत को भी चुकानी पड़ी है। अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल के आयात का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करते हुए 50 प्रतिशत करने के कारण सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत व अमेरिका के बीच वर्षों से बढ़ते सहयोग को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में चीन की ओर बढ़ते झुकाव के बीच भारत को महाशक्तियों के साथ नए सिरे से रणनीति बनाने पर विचार करना चाहिए

डा. नवीन कुमार मिश्र
भू-राजनीतिक मामलों के जानकार

नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच राजनीतिक विश्वास बीते कुछ दिनों में कम हुआ है, जिससे बीजिंग की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। चीन भारत के साथ संबंधों में फिर से सुधार का इच्छुक है। परंतु नई सड़कें, रेल-लाइन बनाकर और गांव बसाकर भारत से लगी अपनी सीमा को मजबूत भी कर रहा है। साथ ही, हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं, जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे चीन की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत नेटवर्क मिलने वाला है।

चीन और भारत के हित अभी भी कई मायनों में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु चीन ने भारत और अन्य विकासशील देशों को ट्रंप के टैरिफ के विरुद्ध पूंजी और तकनीक के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रतिसंतुलन का विकल्प प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहता हैं, जिसमें बहुध्रुवीय एशिया भी शामिल हो। इन परिस्थितियों में इस माह के अंत में होने वाली एससीओ की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री चीन के पूर्वोत्तर शहर तियानजिन में क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक के लिए जा रहे हैं। परंतु सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस वर्ष मई में भारतीय सेना के साथ झड़प के दौरान चीन ने पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। भारत इसलिए भी सतर्क है, क्योंकि शी चिनफिंग पर भरोसा करने के कारण वर्ष 2020 में एक बार झटका लग चुका है।

चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए ही भारत ने अपनी रणनीति को व्यापक करते हुए वाशिंगटन से निकटता बढ़ाई थी। इस बीच ट्रंप आर्थिक लाभ के लिए विगत 25 वर्षों की मेहनत से चीन को रोकने के लिए तैयार हुई रणनीति को ही दांव पर लगा रहे हैं। अमेरिका के कारण भारत को होने वाले आर्थिक और सामरिक नुकसान की भरपाई यूरोप, चीन, रूस, ब्रिक्स देशों और पूर्वी एशिया में अपना व्यापार फैलाकर कर सकता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दक्षिण एशिया के साथ पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में जीवंत कड़ी बनने की व्यापक क्षमता है। भारत के पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति हमारे वाणिज्यिक हितों के लिए एक धुरी बनाती है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को व्यापक रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है, जिसे वैश्विक अवसरों और चुनौतियों की एक श्रृंखला की मेजबानी के रूप में देखा जाता है।

वर्ष 2014 में शुरू हुई भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी एक रणनीतिक और आर्थिक पहल है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है तथा भू-राजनीतिक रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना भी है। बिम्सटेक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है, जिसमें भारत-म्यांमार-थाइलैंड (आइएमटी-टीएच) त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी के तहत एक प्रमुख क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा पहल है, जिसका उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सड़क से संपर्क करना है। यह मार्ग 1360 किमी लंबा है, जो मणिपुर के मोरेह से शुरू होता है और म्यांमार के तमू व मांडले से होते हुए थाइलैंड के माई सोत में समाप्त होता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को सुधारना व दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को मजबूत करना है।

भारत-म्यांमार-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत को आसियान बाजारों तक सीधे भूमि और समुद्री पहुंच बनाने में मदद करता है। ये परियोजनाएं विशेष रूप से म्यांमार और बंगाल की खाड़ी में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करती हैं। भारत को व्यापारिक बाधाओं को कम करने और आसियान एवं पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। भारत और आसियान लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क मार्ग का विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, परंतु म्यांमार की भौगोलिक कठिनाइयों के अलावा राजनीतिक अस्थिरता इस परियोजना के लिए समस्या बनी हुई है।

भारत समुद्री अभ्यासों तथा बिम्स्टेक व आसियान देशों को रक्षा निर्यात के माध्यम से सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देने से दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता के विरुद्ध एक विकल्प भी प्रस्तुत करता है। बौद्ध पर्यटन सर्किट, शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और प्रवासी समुदाय की भागीदारी जैसी पहलों से साफ्ट पावर की महत्ता को समझने का अवसर देता है। द्विपक्षीय समझौतों, संयुक्त बैठकों और सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से भारत को आसियान देशों से संबंध मजबूत करने की जरूरत है।

भारत एक अविश्वसनीय अमेरिका और दूसरे ध्रुव पर हावी प्रतिद्वंद्वी चीन के बीच फंसा हुआ है। भारत को रूस, अमेरिका व चीन की भू-राजनीतिक गतिशीलता से सतर्क रहते हुए रणनीतिक स्वायत्तता के साथ विकास को गति देनी होगी। दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों साथ अपने हजारों वर्ष पुराने रिश्ते को पुनर्जीवित करना होगा, जहां पर वृहद भारत के व्यापारिक व सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस, थाइलैंड, पूर्वी-तिमोर और वियतनाम को अगस्त्य ऋषि एवं उनकी परंपरा में कम्बु-कौंडिन्य व चोल राजा राजेंद्र के भारतीय संस्कृति के अपने पुराने संबंधों को पुनर्जीवित कर, महाशक्तियों की ध्रुवीय राजनीति पर प्रहार कर, भारत को वैश्विक शक्ति हासिल कर लेने का यह सही समय है।

पिछले साल रूस में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी चिनफिंग। फाइल

वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव

राहुल पाण्डेय
शोधार्थी, पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र, जेएनयू

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों के बीच प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा इतिहास में बार-बार निर्णायक मोड़ लाती रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में हुई मुलाकात को केवल एक द्विपक्षीय वार्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखना उचित होगा। इस शिखर वार्ता की प्रकृति में शीत युद्ध की झलक दिखती है। ट्रंप यदि पुतिन की किसी भी मांग के आगे यूक्रेन की सहमति या यूरोपीय सहयोग के बिना झुकते हैं, तो उनकी तुलना नेविल चैंबरलेन से की जाएगी, जिन्होंने 1938 में म्युनिख में हिटलर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से की जाएगी, जिन्होंने 1945 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की यूरोप के बंटवारे की मांगों के आगे झुकने का आरोप झेला था।

इस बैठक के बाद पुतिन की यह टिप्पणी कि बातचीत केवल यूक्रेन संकट का समाधान नहीं, बल्कि अमेरिका और रूस के बीच 'व्यावहारिक संबंधों' की पुनर्स्थापना का आरंभ बिंदु हो सकती है, इस बात का संकेत है कि मास्को वाशिंगटन के साथ संवाद की बहाली को केवल संघर्ष समाधान से कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण में देखता है। इस समूचे परिदृश्य में ट्रंप की भूमिका एक जटिल समीकरण प्रस्तुत करती है। एक ओर, वे ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो एक निर्णायक समझौते की संभावना बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पूर्ववर्ती कार्रवाइयां जैसे 2018 में हेलसिंकी में पुतिन के पक्ष में खड़े होना या यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन की आक्रामकता को 'जीनियस' बताना, उनके इरादों और पक्षधरता पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। यह प्रश्न अब भी प्रासंगिक है कि क्या ट्रंप वास्तव में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे नेता के रूप में जिन्हें रूसी रणनीति के तहत अपने पूर्व के बयानों के कारण सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है।

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस पर द्वितीयक प्रतिबंधों की चेतावनी, भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर शुल्क बढ़ाना और मास्को को शांति कायम न करने पर गंभीर परिणामों की धमकी, यह सब उस बदलती कूटनीतिक मुद्रा की ओर इशारा करते हैं जो केवल प्रशंसा से आगे बढ़कर शक्ति संतुलन की रणनीति तक पहुंची है। किंतु यह भी स्पष्ट है कि इस पूरी प्रक्रिया में यूरोपीय भागीदारी और यूक्रेन की सक्रिय सहमति के बिना कोई समाधान वैधता नहीं प्राप्त कर सकता। चाहे ट्रंप और पुतिन कितनी भी गर्मजोशी से मुलाकात कर लें, लेकिन जब तक इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाता, तब तक कोई शांति प्रस्ताव संभव नहीं।

ट्रंप-पुतिन के बीच मुलाकात उस दीर्घकालिक भू-राजनीतिक प्रतियोगिता का एक अध्याय है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को फिर से आकार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा केवल यूक्रेन के मैदान तक सीमित नहीं है, यह उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें शक्ति, प्रभुत्व और वैधता के प्रश्न अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। वहीं चीन का शक्ति प्रदर्शन से दूरी बनाना यह दर्शाता है कि वाशिंगटन के सुरक्षा विशेषज्ञ चाहते हैं कि अमेरिका का चीन से लड़ाई में रूस को उसके पक्ष में करना एक अहम बिंदु हो जाता है। इसीलिए अमेरिकी सरकार रूस से अच्छे संबंध बनाकर चीन को अलग थलग करना चाहती है। लेकिन यह विश्लेषण भी गलत साबित होता दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप द्वारा भारत पर कर लगाना दर्शाता है कि भारत जैसी महत्वपूर्ण उभरती शक्तियां जो अमेरिका के लिए एशिया में एक मजबूत दोस्त हो सकती थीं, उसे भी वह अपने हाथ से जाने देने पर आतुर है। ऐसे में भारत को भी सतर्कता के साथ आगे कदम बढ़ाना होगा।

खरी-खरी

समाजवाद आ गया

पूरन सरमा

समाजवाद फिर सिर उठा रहा है। सातवें दशक की सरकारों ने भरसक प्रयत्न किया था कि देश में समाजवाद आ जाए, परंतु पता नहीं कैसे नहीं आया। अब सरकारें तो किसी अच्छे काम के लिए प्रयत्न ही कर सकती हैं। कुछ समाजवाद की भी गलती है कि यह हमारे देश में जाने क्यों आना ही नहीं चाहता, जबकि हमारे यहां तो समाजवादी भी हैं और समाजवादी पार्टी भी। फिर भी नए सिरे से लाने के लिए लोग पुनः सचेष्ट हो गए हैं। मुझे लगता है कि यदि इसी तरह लगे रहे तो वह दिन दूर नहीं है, जब समाजवाद हर क्षेत्र में आ ही जाएगा। समाजवाद का अर्थ अब अमीर-गरीब की खाई को पाटना भर नहीं है, अपितु हर क्षेत्र में हर नागरिक को समान रूप से कार्य करने का अधिकार मिल जाए तो यह भी समाजवाद ही है।

इधर सांसद भी समाजवाद की ओर अग्रसर हो गए हैं, पहले केवल काम करने की रिश्वत सरकारी कर्मचारी ही लेता था, लेकिन अब सांसद, मंत्री और तमाम राजनेता इस ओर पूरी ईमानदारी से चेष्टा कर रहे हैं। यदि रिश्वत का सार्वजनिकीकरण हो जाता है तो यह समाजवाद ही है। सभी को रिश्वत लेने का अवसर हाथ लग जाए और उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो तो यह हमारे लिए समाजवाद के सन्निकट ले जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की प्रासंगिकता बिलकुल नहीं रही है। जांच आयोगों का हश्र हम लोग देख ही रहे हैं। रिश्वतखोर, घोटालेबाज तथा दलालों को समान दृष्टि से देखा जाना ही समाजवाद का पर्याय है।

युग बदला है तो समाजवाद के मायने भी बदल गए हैं। समाजवाद अब हर कोई लाने पर उतारू है। सरकार का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। लोग कर्तव्यों को भूलकर अपने अधिकारों के प्रति इतने जागृत हो गए हैं कि समाजवाद का सा वातावरण सब ओर दिखाई देने लगा है। अब समाजवाद को कहीं से उधार लाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमारी सरकारें भी सबको समान अवसर देने का संकल्प कर चुकी हैं। पुलिस और चोर मिलकर एक बीड़ी फूंक रहे हैं। राजनेता बाहुबलियों को लेकर सत्तातंत्र पर हावी हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि समाजवाद आ गया है।

पोस्ट

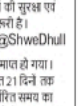

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आवारा कुत्तों पर उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा और स्थानीय निकायों को उसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह कदम इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा एवं सह-अस्तित्व के लिए जरूरी है।
श्वेता ढुल@ShweDhull

संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। दोनों सदनों ने पूर्व निर्धारित 21 दिनों तक कार्य किया। हालांकि निर्धारित समय का दो-तिहाई हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए।
प्रकाश सिंह@singh_prakash

वैसे नैतिकता तो यह कहती है कि यदि आरोप गंभीर है तो व्यक्ति स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दे, गिरफ्तारी से पहले!
आरके विज@ipsvijrk

अमेरिका इन दिनों सोते-जागते भारत का नाम जप रहा है। इसने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दी है, जो अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के लिए प्रभावी ढंग से खड़ा है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है।
नवरूप सिंह@TheNavroopSingh

जागरण जनमत कल का परिणाम

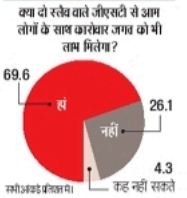

क्या दो स्लैब वाले जीएसटी से आम लोगों के साथ कारोबार जगत को भी लाभ मिलेगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाला है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

टोपी पहनाकर करे नेता का सम्मान,
नेता अगर नकार दे तो घट जाए मान।
तो घट जाए मान घाव यह इतना रिसता,
समझ लीजिए खत्म वोट का उससे रिश्ता!
लटक रही तलवार निपटना होगा जो भी,
ठुकरा चुके नितीश पहनना उनकी टोपी!!
- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

एनडीए के शासन की बुनियाद में लालू

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद तीन दशक बाद भी अपरिहार्य बने हुए हैं। लंबे समय बाद वह सासाराम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अपने पुत्र तेजस्वी यादव के साथ मंच पर अवतरित हुए, उस समय भीड़ का उत्साह देखकर यही पता चला कि वह जब तक हैं, उनकी अपरिहार्यता बनी रहेगी। समर्थक उन्हें हद से अधिक पसंद करते हैं। विरोधी उसी मात्रा में नापसंद करते हैं। यही वह गुण है, जो सत्ता से करीब 16 साल अलग रहने के बाद भी उन्हें प्रासंगिक बनाए हुए है।

पिछले दो दशक से राज्य की सत्ता में रहने और अगले पांच साल के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विकास की तमाम उपलब्धियों के बावजूद अपने संबोधन में लालू प्रसाद की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। हां, नीतीश सीधे उनका नाम नहीं लेते हैं। वह 2005 से पहले की सरकार के बारे में बताते हैं और भीड़ समझ जाती है कि लालू-राबड़ी शासन के 15 वर्षों की चर्चा हो रही है।

एनडीए लालू प्रसाद को कितनी गंभीरता से ले रहा है, उदाहरण है कि इसके घटक दलों के नेताओं को यह प्रशिक्षण दिया गया है कि वे लालू-राबड़ी शासनकाल में कानून-व्यवस्था की बुरी हालत के बारे में लोगों को बताएं। उन्हें भूलने न दें। इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर ऐसे दृश्य बड़ी संख्या में दिखाए जा रहे हैं, जिनमें उस दौर की बदहाली और फिर हुए बदलाव की चर्चा रहती है। एनडीए का आकलन है कि नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते कि वे 15 साल कितने दुखदाई थे। इसलिए उन्हें अतीत के बारे में बताया ही जाना चाहिए।

इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए के प्रचार का नई पीढ़ी पर असर हो रहा है। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि लालू के शासनकाल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जागृत हुई आबादी उन्हें भूल गई है। इसका प्रमाण भी सासाराम की सभा में मिला। राहुल गांधी बोल चुके थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बोल रहे थे। उससे पहले कहा गया कि खरगे के बाद लालू का संबोधन होगा। बस, भीड़ अनियंत्रित हो गई। चालू भाषा में कहें तो भीड़ खरगे को हूट कर रही थी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष ने महसूस किया। वह खीज कर बोले- जिन्हें भाषण सुनना हो, सुनें। नहीं सुनना हो, चले जाएं। दस लोग भी रहेंगे, मैं तब भी भाषण दूंगा। हालांकि वह अपने कहे पर कायम नहीं रह सके। भीड़ का दबाव बढ़ा तो खरगे अपने भाषण में कटौती कर बैठ गए। इधर लालू ने मुश्किल से दो मिनट भी संबोधित नहीं किया। भीड़ की नब्ज को पहचान कर उन्होंने एक भोजपुरी गीत का मुखड़ा सुनाया- लागल-लागल झुलनिया का धाका (धक्का), बलम कलकत्ता चला....। समर्थक जोश से भर गए। उन्हें लगा कि जाने-पहचाने लालू पुराने दौर में लौट आए हैं।

दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों के जो नेता इस कार्यक्रम का लाइव देख रहे थे, वे भी गदगद हुए बिना नहीं रह सके। क्योंकि लालू प्रसाद ही नहीं, उनकी शैली भी एनडीए की बिगड़ी बनाती रही है। सासाराम का यह जोश अब राहुल गांधी या समग्रता में कहें तो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का सारथी बन गया है। राजद के एक विधायक को समर्थकों ने उनके विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में घुसने से रोक दिया। नवादा की यात्रा के दौरान एक समर्थक ने रजौली सुरक्षित के राजद विधायक प्रकाशवीर को इस बार टिकट न देने की अपील तेजस्वी यादव से की। सिलसिला चल रहा है। यात्रा एक सितंबर को पटना में आम सभा के साथ समाप्त होगी। आश्चर्यजनक यह है कि महागठबंधन के साथ-साथ एनडीए भी इस यात्रा को लेकर उत्साहित है।

वर्ष 1989 के बाद से केवल 2020 का विधानसभा चुनाव पहला था, जिसमें लालू प्रसाद अनुपस्थित थे। राजद ने पोस्टर पर उनका फोटो देना उचित नहीं समझा। परिणाम आश्चर्यजनक था। महागठबंधन महज 12 हजार वोट और 12 विधायकों की कमी के कारण सत्ता में आने से रह गया था। लालू प्रसाद दृश्य में नहीं थे, इसलिए उनकी शैली भी अनुपस्थित थी। एनडीए को लालू प्रसाद की चर्चा करते नहीं बन रहा था। लालू के विपरीत तेजस्वी यादव सहज ढंग से भाषण कर रहे थे। परिणाम यह निकला कि लालू विरोध के नाम पर आक्रामक ढंग से वोट करते रहे लोग शिथिल पड़ गए। उन्होंने मान लिया था कि तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो लालू की उस शैली की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद अगर सक्रिय होते हैं तो उनके समर्थकों की वह शैली भी प्रकट होगी, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग डर जाते हैं। इस बड़ी आबादी का यह डर राजद को नुकसान और एनडीए को लाभ पहुंचाता रहा है।

प्रदेश में हुए बड़े और क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव के लिए लालू प्रसाद की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। साथ में इस सच को भी अस्वीकार नहीं किया जाता है कि बीते 20 वर्षों में लालू प्रसाद ही एनडीए के शासन की बुनियाद बने हुए हैं।

हाल ही में आरा में आयोजित महागठबंधन की एक रैली के दौरान लालू प्रसाद। फाइल

मंथन

प्राथमिक शिक्षा में ठोस सुधार

देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों का विलय किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका दुष्प्रभाव सामने आ सकता है, लिहाजा इस पर विचार किया जाना चाहिए

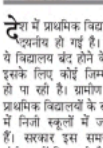

आदित्य कुमार
शिक्षा मामलों के जानकार

देश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय हो गई है। बड़ी संख्या में ये विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे बड़ी संख्या में निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हैं। सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। ऊपर से जिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं, उन्हें या तो बंद करने पर विचार हो रहा है या फिर उन्हें अन्य स्कूलों में विलय किए जाने की नीति बनाई जा रही है, बल्कि कई राज्यों में तो इसका कार्यान्वयन भी आरंभ हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा के लिए यह सब घातक हो सकता है।

नहीं दिख रहा अपेक्षित परिणाम : वस्तुतः शिक्षा क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी यही होता दिख रहा है। परंतु इसके परिणाम अपेक्षित नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए पांच वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु अनुकूलित बुनियादी ढांचे के अभाव एवं कुछ व्यावहारिक अड़चनों के कारण अब तक नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं। चूंकि संविधान में शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए हर राज्य में शिक्षा की अपनी व्यवस्था, पाठ्यक्रम व अलग अलग भाषा है। ऐसे में पूरे देश में कोई एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं है।

सार्वजनिक शिक्षा पर बढ़े खर्च : भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता के बाद से ही मैकाले नीति व मानसिकता के कारण संघर्ष कर रही है। असर (एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट) 2024 के अनुसार, सरकारी स्कूलों में केवल 24 प्रतिशत कक्षा तीन के छात्र ही कक्षा दो स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं। सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय जीडीपी का मात्र 4.6 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित छह प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।

शिक्षकों की व्यापक कमी : कई राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक रिक्तियां हैं, जिस कारण छात्र-शिक्षक अनुपात बहुत अधिक (47 : 1 तक) है और शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक लाख से अधिक रिक्तियां हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लगभग 18 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भरमार है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में इनकी बहुत कमी है।

देश के अन्य राज्यों की स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें तो हाल ही में यहां लगभग पांच हजार प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इससे पहले राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारें भी हजारों स्कूलों को विलय के नाम पर बंद कर चुकी हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पिछले दिनों पूरे देश में चर्चित रहा और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की शिक्षा की चिंता करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणी की थी। इससे यह भी पता चलता है कि शिक्षकों के चयन में बंगाल में किस तरह की गड़बड़ी की गई है जिसमें भ्रष्टाचार हावी रहा।

पाठ्यक्रम की असंगतता : वास्तव में भारत की शिक्षा नीति कुछ इस तरह से हो गई है जहां बदलाव के नाम पर हर नई समिति, शिक्षाविद् और नीति निर्माता अपनी समझ से कुछ नया थोपने का प्रयास करता है, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकांश राज्यों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का अस्तित्व संकट में है। नवाचार का अर्थ यह नहीं होता कि मौलिक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर दी जाए। स्कूल में शिक्षकों की अनुपलब्धता, बुनियादी ढांचे का अभाव और पाठ्यक्रम की असंगतता जैसी समस्याएं बजट के अभाव में स्वाभाविक परिणाम नहीं दे पाती हैं।

ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाते हुए उसे मजबूत बनाने की बात करें तो वैश्विक संदर्भ में फिनलैंड जैसे देश स्थायित्व, शिक्षक स्वायत्तता और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण के कारण उत्कृष्ट परिणाम दे पाए हैं। वहां शिक्षा में लगातार प्रयोग नहीं, सुसंगत नीति और समाज-सरकार की साझेदारी है। साथ ही, स्थाई और समन्वित नीति बनाई गई है, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों का ध्यान भी रखा गया है।

सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा कोई राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। विश्व गुरु वही बन सकता है, जो अपने बच्चों को ज्ञान, जिज्ञासा और मूल्य के साथ शिक्षित करे, न कि केवल नीति के आंकड़ों से।

इन सबके बीच सरकार को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न प्रयोगों एवं बदलावों की अति से बचना चाहिए तथा शिक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ एवं स्थाई सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा होने की स्थिति में ही हमारा देश एक बार फिर शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरु बन सकता है।

शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बच्चों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। फाइल

****